खण्ड-241, अंक-1
शुक्रवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1885
(22 मार्च, 1963 ई0)

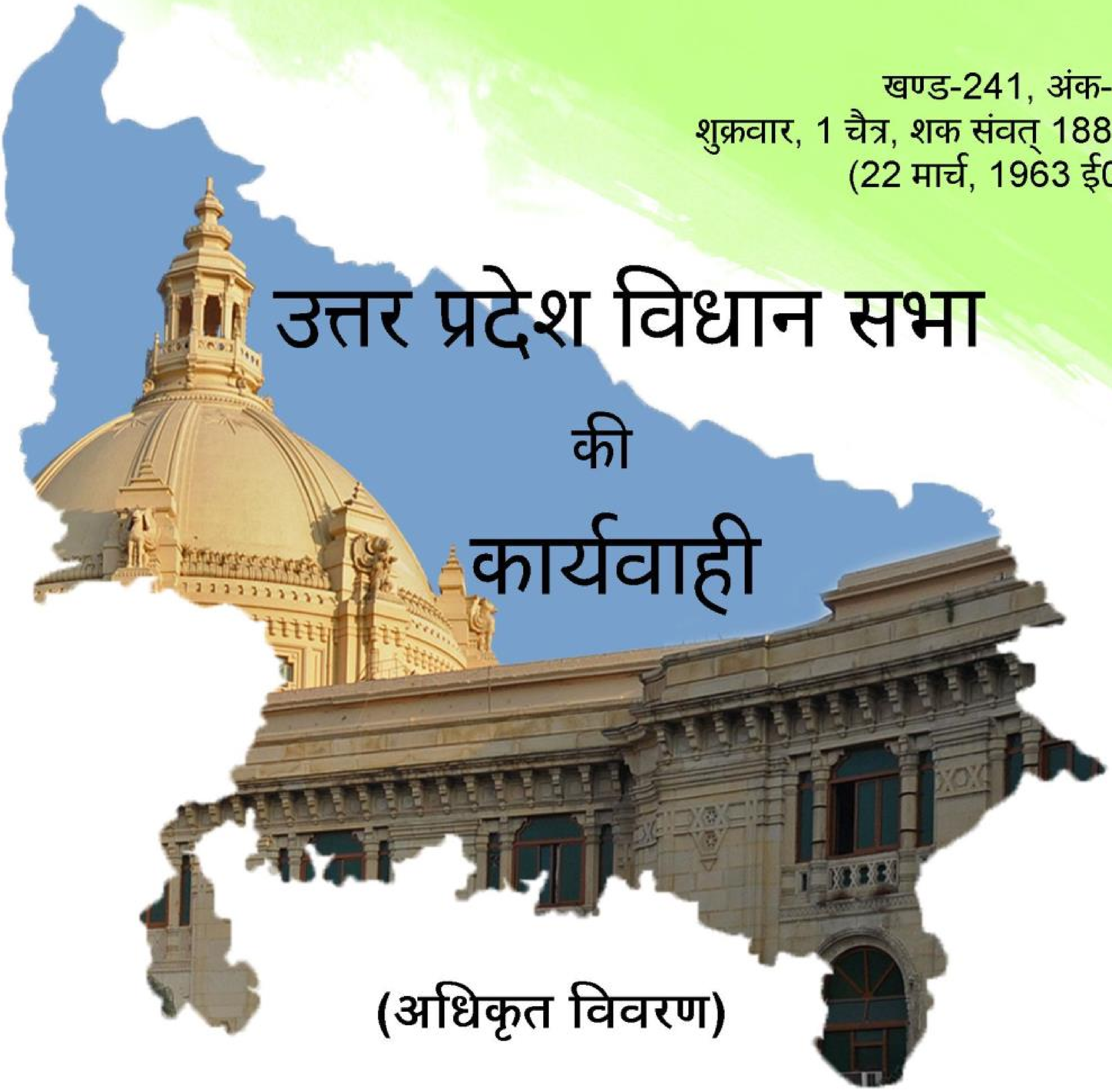

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३९
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति	३९–४८
श्री मैनेजर सिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी) ..	४८–५९
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५९–६०
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी)	६०–६२
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६२
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी) ..	६२–६३
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (जारी)	६३–६४
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी)	६४–६७
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (जारी)	६७–७८
श्री मैनेजर सिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी)	७८–८२
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (स्वीकृत)	८२–८३
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (जारी) ..	८३–८६
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत)	८६
अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण इंजीनियरिंग संस्थायें (स्वीकृत) ..	८६
अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (जारी)	८६–८९
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन ..	८९–९०
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	९०–११०
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	११०–१११
नत्थियां	११२–१२८

R.A -
4024

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरणअग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरणरस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
।तमसिंह प्रधान, श्री
रनलाल, श्री
मसिंह, श्री
मसुन्दर, श्री
ूलसिंह, श्री
कटासिंह, श्री (टुन्नूहिंस)
शीधर पांडेय, श्री
शीधर मिश्र, श्री
शीलाल, श्री
द्रीप्रसाद, श्री
द्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
नवारीलाल विप्र, श्री
नारसीदास, श्री
ब्बनसिंह, श्री
लवीरसिंह, श्री
न्तलाल, श्री
न्तलाल शर्मा, श्री
न्तसिंह, श्री
किलाल, श्री
बूलाल, श्री
ाबूसिंह, श्री
लकराम वैश्य, श्री
लोजी अग्रवाल, श्री
पिनबिहारी तिवारी, श्री
शनलाल यादव, श्री
बिहारी, श्री
जमोहनलाल गुप्त, श्री
जरानी, श्रीमती
वनराम, श्री
दराम, श्री
जनार्थसिंह वैद्य, श्री
जूराम, श्री
ह्मदत्त मायर, श्री
गवानदास बसवाल, श्री
गवानदास यादवेन्दु, श्री
गवानदीन, श्री
ोतीदीन, श्री
लाल, श्री
सिंह, श्री
न, श्री
देव, श्री
प्रसाद आर्य, श्री

मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
घुरनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गांधी फैजेआम डिग्री कालेज, शाहजहांपुर में झगड़ा

*१---राजा विक्रमशाह, (जिला शाहजहांपुर), श्री कन्धई लाल (जिला शाहजहांपुर), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री मन्नालाल (जिला खीरी) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने शाहजहांपुर में गांधी फैजेआम कालिज के झगड़ों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की और गिरफ्तार होने के बावजूद जेल में लोग भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---

शाहजहांपुर के गांधी फैजेआम डिग्री कालेज और स्टूडेन्ट्स यूनियन के बीच कुछ बातों पर मतभेद बढ़ गया है। जिलाधीश, शाहजहांपुर सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उसको शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने में प्रयत्नशील रहे हैं। इस समय कोई भी छात्र जेल में नहीं है। पहले जो भूख हड़ताल दो छात्रों ने की, वह समाप्त हो गई है।

*२---राजा विक्रमशाह, श्री कन्धईलाल, श्री सुरेन्द्रविक्रम, श्री मुहम्मद रफी खां, श्री हिम्मत सिंह, श्री मन्नालाल तथा श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में तफसीली बयान फौरन देने की कृपा करेंगे?

नोट---२२ मार्च, १९६३ के प्रश्न सदन में न लिए जा सके परन्तु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये।

आचार्य जुगलकिशोर—

तफसीली बयान संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२ पर।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

पैना ग्राम के किसानों को मुआवजा

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरे २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर में सरकार ने कहा है कि ग्राम पैना, पोस्ट पैना, जिला देवरिया के काश्तकारों की जो जमीन व कुआं सरकार ने सरकारी सड़क में शामिल कर ली है उसका मुआवजा जितनी जल्दी हो सकेगा, दे दिया जावेगा पर वह मुआवजा अब तक न दिये जाने के कौन-कौन से कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

बहुत से काश्तकारों को, जिनकी जमीन ली गई है, मुआवजा दिया जा चुका है और कुछ काश्तकारों को, जो बुलाने पर हाजिर नहीं हुये, नहीं दिया जा सका है ।

भवन निर्माण मद में कटौती

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण 'मद' में १२ करोड़ की कटौती होने वाली धनराशि में से किन-किन विभागों के कितने-कितने रुपये के भवन बनने वाले थे और अब उन्हें बनाने का निश्चय कब तक किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल ३,३९,९२,८०५ रुपये की अनुमानित लागत के भवनों का निर्माण इस वर्ष स्थगित किया गया है । स्थगित भवनों के बारे में विभागानुसार सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है । अभी यह बतलाना संभव नहीं है कि स्थगित भवनों का निर्माण पुनः कब तक आरम्भ किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११३ पर)

राप्ती पुल बर्डघाट सड़क के निर्माण-व्यय का भुगतान

*३—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में गोरखपुर नगर के पास बनने वाले राप्ती पुल के पश्चिम बर्डघाट बस स्टेशन तक बनी सड़क का निर्माण किसी और ने कराया और निर्माण व्यय किसी और को दे दिया गया ? यदि हां, तो असली निर्माणकर्त्ता को भुगतान कराने का कौन-सा उपाय किया जा रहा है तथा भुगतान में गड़बड़ करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कौन-सा कदम उठाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । कथित सड़क पर कुछ कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराया गया तथा कुछ विभाग द्वारा हुआ है । जो कार्य ठेकेदारों के द्वारा हुआ उसका भुगतान निर्माण कर्ता ठेकेदारों को ही किया गया । विभाग द्वारा किये गये कार्य में मजदूरों के भुगतान के विषय में जांच की जा रही है और जो शेष हैं, उनका भुगतान जांच के बाद किया जायगा ।

मानपुर नारायण ग्राम की भूमि का अर्जन

*४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मानपुर नारायण, तहसील मुरादाबाद में कितने किसानों की जमीनें अस्पताल के नाम से के० जी० के० कालेज के प्रबन्धकों ने एक्वायर करायी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

चार किसानों की ०.७० एकड़ भूमि एक्वायर की गई हैं ।

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह अस्पताल बन गया ? यदि नहीं, तो किस कारण और अगर बनना ही नहीं है तो किस लिए उन किसानों की जमीन ली गयी और उनको बेघर किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस भूमि पर अस्पताल के जनरल वार्ड बनने हैं। अस्पताल के खर्चे के लिये जो जायदाद वक्फ है उस की एनुइटी न मिलने के कारण इमारत के बनने में देरी हुई है ।

*६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त विषय में सर्वोदय नेता श्री ओमप्रकाश गौड़ की लिखा पढ़ी सरकार से हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

श्री गौड़ का इस विषय में एक पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु सरकार उनकी मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है ।

एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये न्यूनतम योग्यता

*७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच०टी०सी०ट्रेनिंग के लिए, जो न्यूनतम योग्यता Educational Code में जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण निर्धारित है, वह नियम रद्द कर दिया गया है ? यदि नहीं तो उसकी उपस्थिति में शिक्षा निदेशक द्वारा जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को न लेकर केवल हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण और वह भी प्रथम व द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए चुनने का जारी आदेश शिक्षा कोड की किस धारा के अन्तर्गत नियमित है ?

आचार्य जुगल किशोर—

जी नहीं, किन्तु हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के निर्देश शासन के आदेशानुसार शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये हैं ।

*८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षा संचालक के सन् १९६२ के इसी आदेश को नियमित आधार मान कर एच० टी० सी० ट्रेनिंग एवं उम्मीदवार अध्यापकों के लिए अन्तरिम जिला परिषदों एवं उप-विद्यालय निरीक्षकों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों ने पुराने मिडिल एवं हर श्रेणी के जुनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नहीं चुना है ? यदि हां, तो उक्त शिक्षा कोड की उक्त धारा व शिक्षा संचालक के उक्त आदेश को सदन की मेज पर रखते हुए क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संचालक के उक्त आदेश से Educational Code का उक्त नियम निरस्त हो जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं। इन्टर एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इतने अधिक थे कि जूनियर हाई स्कूल तथा पुराने मिडिल पास अभ्यर्थी नहीं चुने जा सके।

*९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि Educational Code में उल्लिखित नियम को मूल आधार मान कर अन्तरिम जिला परिषद्, इलाहाबाद के अध्यक्ष ने जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही १९६२ की एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए चुना था? किन्तु शिक्षा संचालक ने उनके चुनाव को नामंजूर कर के जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों का नामांकन करा लिया है? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसा करने के लिए दिया गया आदेश नियमित एवं मान्य है?

आचार्य जुगलकिशोर—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, इलाहाबाद ने इस प्रकार की कोई सूची १९६२–६३ के लिए संबंधित मंडलीय उप-शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद, को एच० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु चुने जाने वाले उम्मीदवारों की नहीं भेजी। अतः शासन के आदेशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में बनाई गई चुनाव समिति द्वारा चुनाव किया गया।

"एशिया का भूगोल" पुस्तक की जब्ती

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त "एशिया का भूगोल" नामी पुस्तक भारत सरकार द्वारा जब्त की गई है जिसके राष्ट्र विरोधी मानचित्र में भारतीय भू-भाग को चीन का भाग दिखाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस पुस्तक के कितने एडीशन प्रकाशित हुये हैं तथा प्रत्येक एडीशन में कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई हैं? अब तक सरकार को उसकी कितनी प्रतियां हस्तगत हो पायी हैं? क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पुस्तक पर हजार का पुरस्कार भी दिया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जितने लोग अभियुक्त ठहरते हैं उन पर कोई उचित कार्यवाही की जावेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—

भारत सरकार ने नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९६१ की धारा २ के अन्तर्गत जब्त किया है।

इस पुस्तक को हिन्दी समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा १,००० रु० नहीं बल्कि ६०० रु० का पुरस्कार १९६०–६१ में दिया गया था। हिन्दी समिति एक परामर्शदात्री समिति है। उसके सदस्य हिन्दी साहित्य के विद्वान होते हैं। उनके द्वारा नक्शों में सीमाओं की शुद्धता की सही-सही जांच होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

घाटमपुर तहसील में सी० ओ० तथा ए० सी० ओ० के पेशकारों की नियुक्ति

*११—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर में वर्तमान एस० ओ० सी० ने अपने कार्यकाल में सी० ओ० व ए० सी० ओ० के पेशकार के पद पर और किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

तहसील घाटमपुर में वर्तमान एस० ओ० सी० द्वारा अपने कार्यालय में सी० ओ० व ए० सी० ओ० के पेशकार के विभिन्न अस्थायी एवं अल्पकालीन पदों पर २२ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिनके नाम सदन की मेज पर रखी गई सूची में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*१२---श्री शिवनाथसिंह---

क्या यह सही है कि एच० ओ० सी० ने अपने व्यक्तिगत कृपापात्र एवं वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से ही पेशकारों की नियुक्ति की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं।

सेवापुरी-शिवदासपुर-मोजवीर-केराकत मार्ग

*१३---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिले की शिवदासपुर-भदोही मार्ग में जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, कई वर्ष हो गया, बनवाया गया है, बीच में सिरिहरा (सेवापुरी के पास) से ४ मील पक्का नहीं बनाया गया है इसका क्या कारण है और उसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल---

सरकार ने पहले केवल वाराणसी-सेवापुरी और शिवदासपुर-भदोही मार्गों का निर्माण स्वीकृत किया था। बीच का सेवापुरी-शिवदासपुर मार्ग इस वर्ष स्वीकृत किया गया है। इसके पूर्ण होने में लगभग ३ वर्ष लगेंगे।

*१४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की मोजवीर वाया सिधौरा, केराकत जिला जौनपुर तक जाने वाली सड़क को विभाग द्वारा कब तक बनवाने का विचार है ? क्या सरकार को पता है कि इस रोड पर प्राइवेट १०-१२ बसें चलती हैं ?

श्री गिरधारीलाल---

इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है। इस सड़क पर प्राइवेट बसें चलने की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

मादक वस्तुओं का अवैध व्यापार

*१५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार को गांजा, शराब और अफीम के अवैध व्यापार करने वाले किसी गिरोह का पता चला है ? यदि हां, तो उसे नेस्तनाबूद करने के लिए क्या कोई योजना बनायी गयी है ? क्या उक्त गिरोह में कुछ सरकारी कर्मचारी और उनके सम्बन्धी भी हैं ? यदि हां, तो वे सरकारी कर्मचारी किस कैटेगरी के हैं ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले में राजस्व विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१६---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी० ओ० नं० २४९१०-५८/१२-२६७-ए-५३, दिसम्बर २९, १९६२ फ्राम सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश विभाग, १२, लखनऊ के आधार पर जिला फर्रुखाबाद में कोई सूची बनायी गयी है अथवा नहीं ? यदि बनी है, तो क्या सरकार उस सूची को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, ऐसी एक सूची बनाई गई है परन्तु वह अभी अस्थायी (provisional) है।

सूची की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*१७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जेड० ए० सी० के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने विभाग में ३ साल तक सेवा की और अब सर्विस में नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थोरवा ग्राम में तकावी वितरण में अनियमितता

*१८—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली ब्लाक जिला मैनपुरी से जो कुआं, बैल, पम्पिंग सेट आदि के लिये जो तकावी मौजा थोरवा, जिला मैनपुरी में दी गई है उसमें फर्द खतौनी दाखिल की गयी है उसमें फर्क सीरदार न लिखकर फरजी भूमिदारी लिखकर और रकबा व लगान बढ़ाकर लिखा गया है और उसी आधार पर तकावी बांटी गयी है ? क्या सरकार उसकी इन्क्वायरी करके बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने केस हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को अग्रिम बढ़ोत्तरी न मिलना

*१९—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दो वर्षीय कान्सट्रक्टिव एल० टी० के अध्यापकों को, जब दो अग्रिम बढ़ोत्तरी दी जा रही है तो समान पद एवं वेतन पर कार्य करने वाले कृषि, कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को दो अग्रिम बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी जा रही है जब कि सरकार द्वारा ही कृषि के स्नातक के लिये कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष निर्धारित की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

कृषि कान्सट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों का कोर्स एक ही साल का है अतः उन्हें दो अग्रिम बढ़ोत्तरी वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से नहीं दी जा रही है।

*२०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ के मार्च तक, जो कृषि स्नातक कान्स्ट्रक्टिव व एल० टी० पास करके अध्यापक के पद पर आ गये थे उन्हें दो अग्रिम बढ़ोत्तरी दी जा रही है और सन् १९५३ के बाद वाले कृषि कान्स्ट्रक्टिव एल० टी० अध्यापकों को क्यों दो अग्रिम बढ़ोतरी से वंचित किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां। पहिले मार्च सन् १९५३ तक दो बढ़ोत्तरी अस्थायी रूप में दी गई थी परन्तु जब इस प्रश्न पर पुनः विचार हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि दो बढ़ोत्तरी केवल उन्हीं कान्स-ट्रक्टिव एल० टी० को दी जाय जिन्होंने दो साल का कोर्स पास किया है।

*२१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाले जो अध्यापक शिक्षा के स्थायी विभाग में समान पद पर कार्य करने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं, उन्हें शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली अवधि की बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

पुनर्व्यवस्था योजना अभी अस्थायी है और इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त प्रसाराध्यापकों के सभी पद Ex-cadre हैं अतएव नियमानुसार इन्हें इन पदों पर की गयी सेवाओं का लाभ cadre post पर बढ़ोत्तरी के लिये देना सम्भव नहीं है ।

गवर्नमेंट गर्ल्स नार्मल स्कूल, बांदा के विरुद्ध शिकायत

*२२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा में गवर्नमेंट गर्ल्स नार्मल स्कूल जो सन् १९६२ के जून मास में खोला गया है उसकी प्रधान अध्यापिका श्रीमती ऐबट हैं वह स्कूल में रहती हैं और उन्हीं के साथ दो अध्यापिकायें ऐसी हैं जिनके पति युवा लड़के स्कूल के अन्दर रहते हैं तथा बाहर के मर्दों का आनाजाना दस बजे रात तक रहता है जिसके कारण लड़कियों की बेपरदगी तथा चरित्र पर असर पड़ता है ?

*२३—क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि स्कूल के नौकर व नौकरानियों से घौंस द्वारा ८ घंटे से अधिक १० बजे रात्रि तक काम लिया जाता है तथा अकारण दो हिन्दू नौकर व नौकरानी निकाल कर उनकी जगह मुसलमान नौकर रखे गये हैं ?

*२४—प्रधान अध्यापिका स्वयं मैस में खाना खाती हैं और मुसलमान अध्यापिकाओं को भी खिलाती हैं तथा जो भी उनके साथ खाने में संकोच करती हैं उनके साथ वे अच्छा व्यवहार नहीं करती और इसी बुनियाद पर दो लड़कियों को निकाल दिया गया है ? क्या सरकार जांच कराने को तैयार है कि जो ग्रांट २८,००० रु० (अट्ठाइस हजार रु०) की दी गई है उसका अंधाधुंध अपव्यय किया गया और दुरुपयोग हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई जिले में चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*२५—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में चकबन्दी की जा रही है तथा जनता की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत सी० ओ० क्षेत्र बघौली, ए० सी० ओ० क्षेत्र साखिन के खिलाफ जिलाधीश या बन्दोबस्त अधिकारी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां ।

ए० सी० ओ० क्षेत्र साखिन के चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध एक शिकायत जिलाधीश हरदोई को मिली । जांच करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये किन्तु लेखपाल की कार्य-प्रणाली सन्तोषप्रद नहीं पाई गई । अतः उसकी सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

*२६—श्री परमाईलाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में बन्दोवस्त अधिकारी कितने साल से काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी ३ अक्तूबर, १९५९ से कार्य कर रहे हैं।

कालपी का फेरी घाट

*२७—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कालपी, जिला जालौन में पी० डब्लू० डी० के फेरी घाट पर जो लोडिंग अनलोडिंग माल का होता है उसे तुरन्त ही वह नीलाम करने का विचार करती है ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यह विषय आयुक्त, झांसी खंड के विचाराधीन है।

*२८—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार के पास झासी कमिश्नर ने कालपी घाट पर माल उतारने-चढ़ाने का ठेका किसी एक आदमी को देने की सिफारिश सरकार के पास भेजी है जब कि वह घाट फेरी में भी फ्री है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

*२९—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि कालपी का फेरी घाट जैसा कि अभी तक यूनियन द्वारा चलता था, आगे भी वैसा ही चलता रहेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा ऊपर कहा गया है, यह विषय आयुक्त, झांसी खंड के विचाराधीन है और जबतक वह किसी निश्चय पर न पहुंचें किसी प्रकार का आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

बस्ती तहसील में ग्राम सभाओं के लिये बंजर भूमि

*३०—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती तहसील, जिला बस्ती की चकबन्दी योजना खत्म होने को है ? उसके द्वारा कितनी-कितनी बंजर भूमि किस-किस ग्राम सभा को मिली है और उसका वितरण कैसे हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा कलेक्टरी में हिन्दी टाइप मशीनें

*३१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के कलेक्टरी कार्यालय में कितनी टाइप मशीनें अंग्रेजी की हैं और कितनी हिन्दी की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अंग्रेजी की १८ तथा हिन्दी की ४।

*३२---श्री लखीसिंह---

क्या यह सत्य है कि मथुरा कलेक्टरी में अब तक सभी टाइप मशीनें अंग्रेजी की हैं जिससे सभी ग्रामीण किसान अंग्रेजी की सूचना को पढ़ नहीं सकते ? यदि हां, तो क्यों ? यदि सरकार ने हिन्दी में सूचना निकालने के आदेश भेजे हैं तो मशीनों की व्यवस्था कब की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं । कलक्टरी कार्यालय में हिन्दी में सूचना निकालने के लिये हिन्दी मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है ।

रन्देवा ग्राम समाज की भूमि

*३३---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रन्देवा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में खसरा नं० १, ४, ८, १२, ३५, ३६, ४६, २४५, २५३, २५४, २५०, २६३, २७२, २७३, २७५, ३०१, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१३, ३१६, ३३२, ३४१, ४०४, ४२५, ४२८, ४२९, ४३०, ४८८ तथा ४९२ धर्ती का मालिक कौन है और मौके पर काश्तकार कौन-कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३४---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखे खसरा नम्बरान की कुल जमीन कितनी है और रन्देवा ग्राम समाज के पास जो कुल जमीन है उसमें यह नम्बरान भी सम्मिलिति हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३५---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऊपर कहे खसरा नम्बरान के बारे में केस नं० ८०/१९५९ अदालत एस० डी० ओ० नकुड़, तारीख १७ सितम्बर, १९६० रेवेन्यु अपील नं० १७०/१९६०, तारीख ११ जुलाई, १९६१ तथा पिटीशन नं० २६० (८)०/६१-६२ एस० आर० ई० जिसका फैसला २७ अप्रैल, १९६२ को हुआ इत्यादि के होने के बाद अब क्या कार्रवाई हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

[२२ मार्च, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हाई स्कूल एच० टी० सी० अध्यापक

*१---श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायू)---

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो हाई स्कूल, एच० टी० सी० पास अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में पांच साल से कार्य कर रहे हैं उन्हें जे० टी० सी० ग्रेड दे दिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर---

केवल राजकीय माडेल स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को जे० टी०सी० ग्रेड देने का विषय विचाराधीन है ।

बदायूं कलेक्टरी के थर्ड ग्रेड क्लर्क

*२---श्री नरोत्तमसिंह तथा श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की कलेक्टरी के आफिस में ऐसे कितने थर्ड ग्रेड के क्लर्क हैं जो कि तहसीलों में कभी नहीं भेजे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एक भी नहीं ।

पी० डब्ल्यू० डी० अफसरों की जायदाद

*३--श्री ऊदल--

क्या पी० डब्लू० डी० विभाग के कुछ आफिसर अन्य विभागों में डेपुटेशन पर हैं उनकी जायदाद के ब्योरे पी० डब्लू० डी० विभाग में रेगुलरली आते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

*४---श्री ऊदल--

क्या इस विभाग के आफिसर्स टाउन प्लानिंग विभाग में भी हैं ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अधिकारी उनके सामने लिखित वर्ष से टाउन प्लानिंग विभाग में डेपुटेशन पर हैं :

	वर्ष
१---श्री केदार नाथ मिश्र	१९५०
२---श्री सुरेश चन्द्र बन्सल	१९५८
३---श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	१९६१
४---श्री बृज भूषण कुमार	१९६३

*५---श्री ऊदल--

क्या दूसरे प्रश्न में उल्लेख किये गये आफिसर्स की जायदाद के ब्योरे मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

उपर्युक्त अधिकारियों के जायदाद के ब्योरे† संलग्न है ।

बेसिक स्कूलों में पढ़ाई

*६---श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

(क) क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में देहात के लिये जो दो अध्यापकों द्वारा चलाये जाने वाले १६,५०० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल और एक अध्यापिका द्वारा चलाये जाने वाले ५,००० बालिका जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं इनमें दो एक अध्यापकों द्वारा पांच-पांच कक्षाओं के बच्चों की विधिवत् पढ़ाई हो पायी होगी । यदि नहीं, तो क्या वे स्कूलों की संख्या बढ़ाकर कागजी शिक्षा प्रगति का मोह त्याग कर के बच्चों के विधिवत प्रारम्भिक पठन-पाठन के वास्तविक कार्य-क्रम को चलायेंगे ?

(ख) उपरोक्त 'भेड़ियाधसान' की अनर्थ कर व्यवस्था वाली पाठशालाओं में बच्चों का अमूल्य जीवन नष्ट होने से बचाने के लिये शिक्षा मंत्री 'एक-कक्षा एक अध्यापक एक कमरा,' का सिद्धांत बनाकर प्रारम्भिक शिक्षा को सुव्यवस्थित करने का विचार करेंगे ?

---

†छापा नहीं गया ।

आचार्य जुगलकिशोर--

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खुले जूनियर बेसिक स्कूलों में पढ़ाई विधिवत् होती है।

*७--श्री रघुनाथसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में देहात में जो १६,५०० मिश्रित, जूनियर बेसिक स्कूल, दो अध्यापकों वाले और ५,००० बालिका जूनियर बेसिक स्कूल, एक अध्यापिका वाले खोले गये वहीं नगरों में ९०५ जूनियर बेसिक स्कूल लड़कों के और १,४६५ जूनियर बेसिक स्कूल लड़कियों के पांच अध्यापक-अध्यापिकाओं वाले खोले गये तो देहात और नगर के बच्चों में यह स्पष्ट और साथ ही भारी भेदभाव करने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

अध्यापकों की नियुक्ति, छात्रों की संख्या के निश्चित अनुपात में की जाती है। अतः भेदभाव की बात नहीं है।

*८--श्री रघुनाथसिंह--

इस तथ्य के होते हुये कि देहात के बच्चों के अभिभावकों के सामान्यतः अपढ़ होने तथा दिन रात खेती-बारी के विविध कामों में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को घर पर पठन-पाठन में कुछ भी सहायता नहीं प्राप्त होती, देहाती पाठशालाओं में जहां पठन-पाठन की विशेष सुविधा होनी चाहिये थी, वहां समान सुविधा से उन्हें वंचित करने वाली इस अनुचित भेद-भाव वाली व्यवस्था को रोकने के लिये अविलम्ब कदम उठाया जायगा ? यदि हां, तो किस रूप में ?

आचार्य जुगलकिशोर--

आवश्यकतानुसार ग्रामीण पाठशालाओं में समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं।

झांसी जिले में इंटर कालेज बिल्डिंग अनुदान

*९--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ व १९६३ में झांसी जिले में कितने ऐसे इन्टर कालेज हैं जिनको बिल्डिंग बनाने हेतु सहायता दी गयी है और वह रकम कितनी और किसको कब दी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११७ पर)

बन्दी आन्दोलन में जब्त की गई जमीन

*१०--श्री गणेशचन्द्र काछी--

२४ अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, कि विदेशी सरकार को हटाने के लिये चलाये गये १९३१-३२ के कर बन्दी आन्दोलन में सरकार द्वारा छीनी गयी जमीन का प्रमाण-पत्र मिल जाने पर सरकार किन कारणों से उक्त भूमि के बराबर की कीमत की भूमि जिनकी जमीन छीनी गयी थी उन्हें दे रही है और उसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

क्योंकि इस प्रकार जमीन देने का कोई अधिनियम नहीं है।

*११-१३--श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

चरखारी तहसील में मालगुजारी माफ करने की प्रार्थना

*१४--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या राजस्व मंत्री जांच कराने की कृपा करेंगे कि तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में जहां वर्षा की अधिक कमी के कारण और जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, किसान मालगुजारी व तकावी आदि की रकम देने में असमर्थ हैं सरकार लगान तथा तकावी माफ करने अथवा स्थगित करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि जिला हमीरपुर की तहसील चरखारी में वर्षा की कमी के कारण फसल में इतनी हानि नहीं हुई है कि मालगुजारी में माफी दी जा सके। इसके अतिरिक्त तहसील के सिंचाई साधन हीन भाग में भी फसल में इतना नुकसान नहीं पाया गया जिसके कारण मालगुजारी तथा तकावी के माफ अथवा स्थगित करने की आवश्यकता हो।

हरिहरगंज-ललिया सड़क

*१५--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिहरगंज से ललिया (जिला गोंडा) जाने वाली सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने के लिये स्वीकृत हुई थी उसके बारे में बार-बार कहे जाने पर भी कि अब तक नहीं बन रही है जिससे आवागमन दुर्गम हो गया है और जनता परेशान है उसका बनवाना कब तक प्रारम्भ करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, इस सड़क का निर्माण अप्रैल, १९६० में सरकार ने स्वीकृत किया था किन्तु अनुमानित लागत में काफी वृद्धि के कारण इस सड़क के निर्माण की फिर से विधान मंडल की स्वीकृति सितम्बर, १९६१ में लेनी पड़ी। अब इसके आगणन तैयार किये जा रहे हैं और उनकी टेक्नीकल स्वीकृति होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, अमरोहा

*१६--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेन्ड्री स्कूल, अमरोहा की बिल्डिंग के विस्तार के लिये एक लाख २७ हजार रुपया मंजूर हुआ है ? यदि हां, तो यह विस्तार कब से शुरू किया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--

विद्यालय भवन के विस्तार हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल ९० हजार रुपया स्वीकृत किया गया है। आशा है कि अगले वर्ष निर्माण-कार्य आरम्भ हो जावेगा।

*१७--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त स्कूल में टीचर्स, चपरासी और चौकीदार आदि की कमी रहती है ? यदि हां, तो इसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी नहीं, कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*१८--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि उपरोक्त स्कूल में जुलाई, सन् १९६३ से इन्टरमीडिएट की कक्षाएं चाल कर दी जायं ? यदि हां, तो इस पर प्रति वर्ष सरकार का क्या व्यय होगा?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां। इन्टर कक्षायें खोलने का प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना में है। अनुमानतः निम्नलिखित व्यय होने की सम्भावना है :--

					रुपया
१९६३-६४	..	..	..	...	२५,३१६
१९६४-६५	..	..	..	..	२८,८२८
१९६५-६६	..	..	..	..	५५,३३४

वाराणसी तहसील में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था

*१९--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उर्दू भाषा के संबंध में सरकार की यह नीति है कि जहां १० बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे वहां के प्राइमरी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का इन्तजाम किया जायगा और जहां २५ से ऊपर १०० तक होंगे वहां अलग से प्राइमरी पाठशाला उर्दू भाषा पढ़ाने की चलायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार नेवादा ताड़ी में जहां सैकड़ों बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं और धोकलगंज (चांदपुर) व (कूडी कुसुमुरा) पिंडरा वाराणसी तहसील में उर्दू के प्राइमरी स्कूल खोलने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

सरकार की नीति के अनुसार यदि किसी प्राइमरी स्कूल में ४० या किसी एक कक्षा में १० छात्र ऐसे हों जिनकी मातृभाषा उर्दू है और जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उर्दू पढ़ाने का इंतजाम किया जाता है और एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति भी की जाती है। ग्राम नेवादा ताड़ी धोकलगंज (चांदपुर) व कूडी कुस्मुरा में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की कमी के कारण उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

*२०--श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार इन स्थानों की जांच उर्दू भाषा के संबंध में किसी स्पेशल आफिसर से कराने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा जांच कराई गई थी। अतः पुनः किसी स्पेशल आफिसर द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

ज्ञानपुर तहसील में भूमि संबंधी मुकदमे

*२१--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत तहसील ज्ञानपुर में कितने ऐसे मुकदमे कितने दिनों से चल रहे हैं जो ग्राम समाज की जमीन नाजायज ढंग से दखल करने के बारे में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तहसील ज्ञानपुर में इस समय कुल ३९ मुकदमें गांव सभा की जमीन नाजायज ढंग से दखल करने के बारे में चल रहे हैं जिसमें से एक मुकदमा जनवरी, १९६२ से, २ मुकदमे अक्तूबर, १९६२ से तथा शेष मुकदमे फरवरी, १९६३ से चल रहे हैं।

*२२--श्री हरिगैनराम--

क्या उपरोक्त ग्राम समाज की जमीन के मुकदमों का फैसला देते हुये हरिजनों तथा गरीबों को सरकार जमीन देने का विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
प्रश्न नहीं उठता। मुकदमों का फैसला सरकार नहीं करती, न वह ग्राम सभा की भूमि ही बांटती है।

*२३--श्री हरिगैनराम--
[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२४--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--
[२० मार्च, १९६३ के लिए प्रश्न १५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२५--श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--
[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

इंतखाब देने की व्यवस्था

*२६--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--
क्या राजस्व मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रदेश के समस्त किसानों से प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से कुछ शुल्क लेकर इन्तखाब देने की व्यवस्था की जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दीक्षा विद्यालय, सुल्तानपुर के प्रशिक्षार्थियों की योग्यता

*२७--श्री शिवनाथसिंह, श्री लोकपालसिंह (जिला एटा) तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--
क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, सुल्तानपुर ने एच० टी० सी० ट्रेनिंग प्रथम वर्ष में कितने व किन-किन विद्यार्थियों ने इस वर्ष प्रवेश पाया और उनकी क्या योग्यतायें हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--
सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८ पर)

*२८--श्री शिवनाथसिंह, श्री लोकपालसिंह तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा--
क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि एच० टी० सी० ट्रेनिंग की निम्नतर योग्यता क्या रक्खी गयी है? क्या परिगणित जाति राजनीतिक पीड़ित अभिभावकों के अभ्यर्थियों की निम्नतर योग्यतायें विशेष हैं? जो प्रत्याशी नहीं लिये गये उनकी योग्यतायें क्या थीं?

आचार्य जुगलकिशोर--
एच० टी० सी० ट्रेनिंग की निम्नतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास करना या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा पास करना है।

राजनीतिक पीड़ित अभिभावकों के बच्चों या परिगणित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए कोई विशेष निम्नतम योग्यता निर्धारित नहीं है।

न चुने जाने वाले अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के थे--निम्नतम योग्यता वाले तथा उससे उच्च योग्यता वाले।

जूनियर हाई स्कूल, बीसलपुर के अध्यापकों को हवालात

*२९—श्री हेमराज (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २८ अगस्त, १९६२ को जू० हा० स्कूल, बीसलपुर (पीलीभीत) के सहायक अध्यापक श्री राम बहादुर को स्कूल-ड्यूटी से बातचीत के बहाने बुला कर तहसीलदार ने आबपाशी के बकाया में क्यों हवालात में बन्द कर दिया जब कि उनको बन्द करने की आज्ञा विभाग से प्राप्त नहीं की गयी थी, और न इस सम्बन्ध में कोई नोटिस ही उन्हें तहसीलदार द्वारा या विभाग द्वारा दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनको ड्यूटी से बुला कर बन्द नहीं किया गया। धारा २८१, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन के अन्तर्गत उनके विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी निकाला गया था। उसी सम्बन्ध में उनको तहसील हवालात में रखा गया।

*३०—श्री हेमराज—

क्या सरकार उक्त तहसीलदार द्वारा किये गये अवैधानिक कार्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसीलदार को वारन्ट गिरफ्तारी निकालने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा करना अवैधानिक नहीं है।

*३१-३३—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बस्ती के अध्यापक

*३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती में कितने अध्यापक हैं वे कितने-कितने दिनों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा जो अध्यापक वहां १०-१० साल से पड़े हैं, उन्हें तबादला क्यों नहीं किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

विद्यालय में २५ अध्यापक हैं जिनके अध्यापन-कार्य की तिथियां उनके नाम के सामने संलग्न तालिका में दी हुई हैं। नान-गजेटेड अध्यापकों के विषय में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार किसी स्थान पर निश्चित अवधि तक कार्य कर लेने के बाद वहां से उनका स्थानान्तरण आवश्यक हो।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२० पर)

सगड़ी तहसील में विवाद-ग्रस्त भूमि

*३५—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि सगड़ी तहसील के पश्चिमी हिस्से पर घाघरा नदी के किनारे पर जमुनिहवा नाम से पुकारी जाने वाली विवादग्रस्त भूमि का कोई निबटारा हुआ ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विवाद-ग्रस्त भूमि के कुछ भाग से अनधिकार कब्जों को ११५ सी० जमींदारी उन्मूलन नियम की कार्यवाही द्वारा हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में writ दायर कर दिये हैं जिनके फैसलों की प्रतीक्षा है।

*३६—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री इस घटना की सत्यता का पता लगायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि या पेड़ों का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके फुलवारी गयास तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के प्रधान तथा कानूनगो और लेखपाल ने निजी फायदा उठाया है, यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी ने की और उसकी रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जांच से पता चला है कि लेखपाल या कानूनगो ने तो कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाया किन्तु प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा अवश्य किया है ।

तहसीलदार द्वारा जांच करायी गई । उनकी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फुलवरिया में ५ तथा गयास में २६ व्यक्तियों ने ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लिया है तथा एक व्यक्ति ने ग्राम समाज का एक पेड़ काटा है । इन व्यक्तियों के विरुद्ध वाद चल रहे हैं ।

फतेहपुर जिले में पुनर्वास के लिये प्रार्थना-पत्र

*३७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

२ नवम्बर, १९६२ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ४९, ५०, ५१ के उत्तरों के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मध्यस्थों को स्थानीय समाचारपत्रों, पंचायत पत्रिका और लेखपालों तथा अमीनों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि ६ नवम्बर, १९६१ को सूचना पहले से दे दी गई थी तो फिर जिला फतेहपुर की तीनों तहसीलों के ४,२४७ मध्यस्थों ने अपना पुनर्वास पाने के लिए समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र न देकर अब प्रार्थना-पत्र देने के हेतु समय की मांग किस आधार पर कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बकाया ४,२४७ मध्यस्थों को मिलने वाली पुनर्वास की रकम क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पुनर्वासन अनुदान की रकम का निर्धारण पुनर्वासन अनुदान अधिकारियों द्वारा किया जाता है । जब तक कि सम्बद्ध प्रार्थना-पत्रों पर अनुदान की धनराशि निर्धारित न हो, यह सूचना नहीं दी जा सकती ।

*३९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री, मध्यस्थों की प्रार्थना-पत्र देने हेतु समय बढ़ाने का जो प्रश्न विचाराधीन है उसका पुनः उदारतापूर्ण विचार व निर्णय तत्काल करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*४०–४१—श्री लखीसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

सहारनपुर नगरपालिका द्वारा दूषित जल सप्लाई करने की शिकायत

*४२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर में स्थित co-operative distillary कम्पनी लिमिटेड ने कोई पानी पिछले दो साल में जांच के लिए भेजा ? यदि हां, तो उस जांच की क्या रिपोर्ट थी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या ऊपर कही जांच से यह पता चला कि उस पानी में अनेक प्रकार के कीड़े पाये गये ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में कोई उचित कदम उठायेगी और नगरपालिका सहारनपुर के विरुद्ध जो पानी सप्लाई करती है कार्रवाई करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

यह प्रश्न भी नहीं उठता।

घोसी तहसील से अमीन के विरुद्ध शिकायत

*४४—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता द्वारा १३ सितम्बर, १९६२ के लिखित पत्र के साथ तहसील घोसी ग्राम चमीरगांव, जिला आजमगढ़ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें अमीन द्वारा रुपया लेकर रसीद न लिखने और प्रार्थियों के विरुद्ध वारंट निकालने आदि की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्रवाई की गयी है ? क्या प्रार्थियों का भी बयान लिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री रामसुन्दर पांडेय जी के १३ सितम्बर, १९६२ के पत्र के साथ देवराज राय, प्रधान ग्राम सभा चमिरगांव, का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। मौके पर जांच कराई गई और प्रार्थी के बयान लिये गये। जांच करने पर प्रार्थना-पत्र निराधार पाया गया।

अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित बनाने का आदेश

*४५—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतलाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० के जुलाई या अगस्त में सरकार द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया था कि जो अध्यापक ५ वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, वह प्रशिक्षित मान लिये जायेंगे और इस आदेश के कारण आजमगढ़ जिले के कुछ अप्रशिक्षित अध्यापक जो आजमगढ़ दीक्षा विद्यालय में ट्रेनिंग पा रहे थे अलग कर दिये गये थे ? यदि हां, तो उन अध्यापकों को ट्रेन्ड वेतन-क्रम में नहीं रखने का कारण क्या है और क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगुलकिशोर—

मार्च, १९६० में यह आदेश दिया गया था कि अन्तरिम जिला परिषदों के अन्तर्गत कार्य करने वाले निम्नलिखित प्रकार के अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त किया जाये :

(१) वे पुरुष अध्यापक जो ३१-५-६० को ३५ वर्ष या उससे अधिक अवस्था के हों तथा कम से कम ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हों, तथा

(२) वे अध्यापिकायें जो ३१-५-६० को ३० वर्ष या उससे अधिक अवस्था की हों और कम से कम ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखती हों।

उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। उसके अन्तर्गत जो अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त किये गये उन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए निर्धारित वेतन-क्रम प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त होने की तिथि से दिया जा रहा है।

शासन के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उक्त आदेश के फलस्वरूप आजमगढ़ के कुछ उम्मीदवार अध्यापकों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई हो और प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन-क्रम भी नहीं दिया गया हो।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२१ पर)

भूसा डोही में तकावी की माफी

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि तकाबी नियमावली के नियम २३० (बी०) के अन्तर्गत तहसीलदार की जांच आयुक्त, गोरखपुर को प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो आयुक्त को क्या आदेश हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*४७–४८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

मछलीशहर तहसील में सुरक्षा कोष में धन

*४९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानूनगो, बिसुआ तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर ने अपने हलके के २७ पटवारियों से कितना रुपया सुरक्षा कोष के लिए लिया और उसे सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा किया ? चन्दा दाताओं को रसीद क्यों नहीं दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आलोच्य हल्के के २४ लेखपालों ने दिनांक १३ फरवरी, १९६३ को सुरक्षा कोष के लिए १,२२८ रुपया तहसीलदार के पास जमा किये जिसकी रसीदें उन्हें उसी दिन दे दी गईं और उक्त धन मुख्य मंत्री के सुरक्षा कोष में दिनांक १६ फरवरी, १९६३ को जमा कर दिया गया ।

सैदपुर तहसील में ग्राम सभाओं की सम्पत्ति पर अधिकार

*५०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के प्रधानों को अभी तक ग्राम सभा की भूमि तथा सम्पत्ति विभागीय कर्मचारियों द्वारा पूर्णरूपेण नहीं दी गयी है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रधानों को जिनको इस सम्बन्ध में कागजात नहीं मिले हैं उनको दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिन गांवों में चक बांटे जा चुके हैं उनमें ग्राम सभाओं को उनकी भूमि और सम्पत्ति पर कब्जा भी दिया जा चुका है और कागजात भी दिये जा चुके हैं। केवल तीन गांवों में चक बनने के प्रस्ताव अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।

नवाबगंज तहसील में चकबन्दी अधिकारी की पदोन्नति

*५१—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी की तहसील नवाबगंज में किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी को पदोन्नति देकर उसी सर्किल का उसे चकबन्दी अधिकारी बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत वह सहायक चकबन्दी अधिकारी था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

*५२–५३—श्री शिवसम्पति शर्मा—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५४-५६—श्री सूबेदारसिंह—
[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—
[हटा दिया गया।]

बलरामपुर तहसील में नकल नवीस

*५८—श्री सुखदेवप्रसाद—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में बलरामपुर तहसील के अन्तर्गत कितने नकल नवीस हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
एक।

*५९—श्री सुखदेवप्रसाद—
क्या यह सत्य है कि उक्त तहसील में कम नकल नवीस होने के कारण जनता को नकल लेने में बहुत विलम्ब लगता है तो क्या यह जांच करा कर शीघ्रातिशीघ्र नकल नवीस आवश्यकतानुसार बढ़ा कर परेशानियों को दूर करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी नहीं। वर्तमान काम की दशा को देखते हुये नकलनवीस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*६०-६१—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—
[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान

*६२—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में कितने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें से कितनों को राजकीय ग्रान्ट कितनी-कितनी मिलती हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—
फर्रुखाबाद में २९ मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं।
अनुदान का विवरण संलग्न तालिका 'क' में अंकित है।
(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२३ पर)

*६३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—
[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

हरिश्चन्द्र कमेटी की सिफारिशें

*६४—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें हरिश्चन्द्र कमेटी की रपट कब प्राप्त हुई है?

आचार्य जुगुलकिशोर—
जी हां।

*६५—श्री रामायणराय—
क्या शिक्षा मंत्री इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगल किशोर—
कुछ मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न सूची† में दी है।

---

†छापी नहीं गई।

*६६—श्री रामायणराय—

• क्या शिक्षा मंत्री उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन का काल घोषित करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

यह बताना सम्भव नहीं है।

*६७–६९—श्री बृजेश्वरसहाय—

[हटा दिये गये।]

*७०—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

मोहम्मदी तहसील के तहसीलदार व नायब तहसीलदार संबंधी घूसखोरी

*७१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी के तहसीलदार व नायब तहसीलदार को रिश्वत लेने के आरोप में क्रमशः नायब तहसीलदार और कानूनगो बनाया गया है फिर भी उन्हें मोहम्मदी में ही रक्खा गया है ? यदि हां, तो ऐसे गलत व्यक्ति को मोहम्मदी में ही रखने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। उन लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७२–७३—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७४–७५—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७६–७७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[१९ मार्च, १९६३ को प्रश्न ७९–८० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*७८–८०—श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर विश्वविद्यालय योजना

*८१—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके सामने कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का विषय कई वर्षों से प्रस्तुत है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां।

*८२—श्रीमती सुशीला रोहतगी—

यदि हां, तो सरकार का इस विषय पर निर्णय करने में बिलम्ब का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित सभी पहलुओं पर जैसे विश्वविद्यालय का स्वरूप, धन की उपलब्धि आदि शासन द्वारा विचार अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान संकट को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है।

भैंसही नदी पर पुल निर्माण-व्यय

*८३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भैंसही नदी पर वह पुल जो कासिमाबाद से बहादुरगंज आने वाली सड़क पर बना है उस पर कितना रुपया व्यय हुआ है और उस पुल की कितने साल की गारन्टी है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस पुल के निर्माण में लगभग ४७,००० रुपये व्यय हुआ। यह पुल लकड़ी का है और साधारणतया ऐसे पुल २० साल तक चलते हैं।

*८४—श्री रघुवीर—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस पुल के निर्माण में नदी के दोनों तरफ किसानों के खेतों से मिट्टी निकाली गयी है जिसके कारण वह खेत खराब हो गये हैं और उन खेतों में काफी गहरे गढ़े हो गये हैं और वह खेत कई वर्ष तक बोये नहीं जा सकते ? क्या सरकार उन किसानों को कोई मुआविजा देने का विचार कर रही है और उस समय का लगान जब से वह बेकार पड़े हैं माफ करवायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

अधिकतर खेतों में जिनसे मिट्टी ली गई थी, बुआई हो रही है और बेकार नहीं पड़े है।

मुआवजे का प्रश्न अभी विचाराधीन है। मुआवजा देते समय जिस समय तक जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में थी, उस समय का लगान संबंधित किसानों को वापस कर दिया जायेगा।

*८५-८६—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८७-८९—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति पर आपत्ति

*९०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति का निम्नतम शैक्षिक स्तर हाई स्कूल रक्खा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में जुलाई सन् १९६१ से कितने अध्यापक हाई स्कूल से निम्न स्तर के रक्खे गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति का निम्नतम शैक्षिक स्तर जूनियर हाई स्कूल है किन्तु इंटर और हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रत्याशियों को वरीयता दी जाती है। जुलाई, सन् ६१ से ६५० प्रत्याशियों की नियुक्ति की गई जिनमें ४४९ इंटर अथवा हाई स्कूल तथा अन्य २०१ जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं।

*९१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त समय में कितने अध्यापकों की बिना इंटरव्यू के नियुक्ति की गयी जो हाई स्कूल फेल या मिडिल पास या मिडिल फेल हैं ? क्या इसकी नामावली मय योग्यता उम्र के ब्लाक वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

बिना साक्षात्कार किये किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई है।

*९२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि योग्यता संबंधी शासकीय निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और ऐसी दशा में एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्राप्त योग्यतानुसार नियुक्ति की परम्परा लागू करने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

नियुक्ति के संबंध में सभी शासकीय आदेशों का पालन किया जा रहा है।

*९३—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

बृन्दावन में जमुना पर पीपों का पुल

*९४—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जिले के माट निर्वाचन क्षेत्र में जो-जो पुल तृतीय आयोजना में बनाये जायेंगे उन पर कब से कार्य प्रारम्भ होगा और कब तक कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

माट निर्वाचन क्षेत्र, जिला मथुरा में, यमुना नदी पर वृन्दावन में एक पीपों के पुल का निर्माण तृतीय आयोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिस पर कार्य आरम्भ हो गया है और आशा है कि यह पुल अगली वर्षा के उपरान्त निर्मित हो जायेगा।

कानपुर जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण की योजना

*९५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सड़कों एवं पुलों के तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण करने हेतु कानपुर अन्तरिम जिला परिषद से जो सिफारिश मांगी गयी थी, वह मुख्य रूप में क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १२४ पर)

*९६—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कौन-कौन सी सड़कों व पुलों का निर्माण किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है। धनाभाव के कारण इस जिले में किसी नई सड़क का निर्माण संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२५ पर)

*९७—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो झींझक से रसूलाबाद तक रोड बनायी जा रही थी, वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

आशा है कि यह सड़क ३१ मार्च, १९६४ तक पूर्ण हो जायेगी।

महाराजगंज तहसील में चकबन्दी के मामले

*९८—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली, तहसील महाराजगंज, ग्राम भानीपुर में चकबन्दी के संबंध में कुल कितने ऐसे मामले किन तिथियों में सरकार के पास जांच के लिये आये जिनमें किसानों को उन की मूल जमीन से कम जमीन चकबन्दी के बाद दी गयी थी ? क्या उनको जांच के बाद मूल जमीन के बराबर जमीन दिला दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला रायबरेली तहसील महाराजगंज के ग्राम भानीपुर की चकबन्दी के संबंध में कोई ऐसा मामला सरकार के पास जांच के लिये आया हुआ नहीं प्रतीत होता, जिसमें किसानों को उनकी मूल जमीन से कम जमीन चकबन्दी के बाद दिये जाने का विशिष्ट उल्लेख रहा हो ।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी

*९९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत चकबन्दी ए०सी०ओ० सर्किल कुंवरपुर में किन-किन गांवों में अभी चक कटने बाकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत चकबन्दी ए० सी० ओ० सर्किल कुंवरपुर किसी गांव के चक कटना बाकी नहीं है।

*१००—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब ए०सी०ओ० कुंवरपुर सर्किल में ही कार्य अत्यधिक बाकी था तब दूसरे ए० सी० ओ० सर्किल पतरसा व हथेही आदि में नियुक्त ए० सी० ओ० के होते हुये वहां कुंवरपुर ए० सी० ओ० से चक क्यों कटवाये गये और काटने का मौका क्यों दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ए०सी०ओ० कुंवरपुर ने पतरसा के चक नहीं काटे । पतरसा सर्किल तोड़ दिया गया था और हथेही ग्राम कुंवरपुर सर्किल में मिला दिया गया था, अतएव उन्होंने इस ग्राम के चक काटे हैं ।

बाराबंकी जिले में मालगुजारी की वसूली

*१०१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में हर तहसील की मालगुजारी कितनी-कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाराबंकी जिले की प्रत्येक तहसील की १३६९ फसली की मालगुजारी की मांग इस प्रकार है :

१—तहसील	राम सनेही घाट	..	..	२८,५५,४७०.१८ रु०
२— ,,	फतेहपुर ..	..	..	१६,६२,९१३.१९ रु०
३— ,,	हैदरगढ़	..	..	११,६६,०००.४७ रु०
४— ,,	नवाबगंज	..	..	१७,२१,५६५.७५ रु०

*१०२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

गत ३ वर्षों में हर तहसील में कितनी-कितनी वसूली हुई और कितनी बाकी रह गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १२६ पर)

*१०३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में जिन तहसीलदारों का कार्य अच्छा रहा है उनको कोई स्पेशल प्रमोशन देने को क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

पनिकौरा ग्राम में चकबन्दी अधिकारी की ज्यादती

*१०४—श्री श्यामलाल—

क्या यह सही है कि बस्ती जिला के डाकखाना मुंडेरवा के अन्तर्गत पनिकौरा ग्राम की एक विधवा पड़ाइन की बरोहिया ए०सी० ओ० नं० २४ ने मरा घोषित कर उसके ८,००० रु० की जायदाद को एक तीसरे व्यक्ति के नाम लिख दिया है। यदि हां, तो उक्त ए० सी० ओ० नं० २४ बरोहिया के खिलाफ राजस्व मंत्री ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सत्य है कि ग्राम पनिकौरा कलां में श्रीमती सूरज पाली एक विधवा को चकबन्दी के दौरान में चकबन्दी अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत उसके ज्येष्ठ श्री झिनकू तथा ग्राम प्रधान के बयान पर ए०सी०ओ० ने उसे मृत करार देकर उसका नाम कागजात से खारिज कर दिया। अन्त में ए० सी० ओ० का आर्डर खारिज करके बन्दोबस्त अधिकारी ने पहली अपील में श्रीमती सूरज पाली का नाम यथापूर्व रखने का आदेश दिया।

ए०सी०ओ० के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि वे इस विभाग से पहिले ही त्याग-पत्र देकर चले गये।

*१०५–१०६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[हटा दिये गये।]

*१०७–१०८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले में विद्यार्थियों से अल्प बचत योजना में धन लेने की शिकायत

*१०९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं अन्तरिम जिला परिषद के अध्यक्ष के आदेशानुसार जूनियर हाई स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में प्रति विद्यार्थी क्रमशः १५ रु० व ५ रु० अल्प बचत योजना में जमा कराया जा रहा है और जमा न करने की अवस्था में स्कूल छोड़ने को बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*११०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१११–११२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११३–११५—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती तहसील में चकबन्दी संबंधी शिकायतें

*११६—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मंत्री को गत ९ फरवरी को बस्ती तहसील में हुये चकबन्दी योजना से संबंधित कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, ऐसे दो शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। दोनों में ही संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत की गई है। ये दोनों प्रार्थना पत्र आवश्यक जांच और रिपोर्ट हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पास चकबन्दी आयुक्त द्वारा भेज दिये गये हैं।

गंगरू-कांधला मार्ग

*११७—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा गंगरू, जिला मुजफ्फरनगर को, जहां चमड़े तथा कम्बल का भारी उद्योग है, कांधला गंगरू के बीच की चार मील लम्बी सड़क को बना कर इस स्थान को कांधले से मिलाकर कथित उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। इस समय इस मार्ग का निर्माण संभव नहीं है।

करहल तहसील में चकबन्दी

*११८—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील करहल, जिला मैनपुरी, ग्राम जैतपुर चकबन्दी में दखल किसी और का है और जोत कोई और रहा है, इसको ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जैतपुर के सभी खातेदार उन्हीं चकों को जोत रहे हैं जो कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रदिष्ट किये गये थे। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*११९—श्री रामसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील करहल, जिला मैनपुरी में जिस जमीन की चकबन्दी हुई है उसका खर्चा और जिसकी नहीं हुई है उसका भी खर्चा सरकार ले रही है ? ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी का खर्चा खातेदारों से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ३३ के अन्तर्गत प्राविधान के अनुसार लिया जा रहा है।

*१२०—श्री रामसिंह—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२१—१२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए प्रश्न ३–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—
[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६—श्री शिवनाथसिंह—
[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग के निर्माण का स्थगन

*१२७—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में बड़ौत से बुढ़ाना जाने वाली जो नई सड़क का निर्माण हो रहा है गांव दाहा में जो सड़क के लिये नक्शा बना था उसे बदल दिया गया है और दूसरी तरफ काश्तकारों की काफी जमीन ली जा रही है जिसका वहां के काश्तकारों ने विरोध किया है और शिकायत मुख्य मंत्री तथा पी०डब्लू० डी० मिनिस्टर को ४ फरवरी, १९६३ को दी गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

स्वीकृत संरेखण के विरोध में जो शिकायतें सरकार के पास आई हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही संरेखण के संबंध में अंतिम निश्चय लिया जायगा। इस समय इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

नगीना-बढ़ापुर सड़क पर पुलों की आवश्यकता

*१२८—श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगीना-बढ़ापुर सड़क (जिला बिजनौर) पर नकटा और ऊनी नदियों के पुल जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने थे उन्हें वह कब निर्माण कराने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

इन पुलों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं था और न ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है अतः इस समय उनके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

*१२९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—
[हटा दिया गया ।]

*१३०-१३१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में तकावी का बकाया

*१३२—श्री मदनपालसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ तक महोबा व चरखारी तहसील, जिला हमीरपुर में कितना रुपया तकावी का बकाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३१ दिसम्बर, सन् १९६२ तक तहसील महोबा में २१,२६६.९८ रुपये और तहसील चरखारी में ५९३.०२ रुपये तकावी का बकाया था ।

*१३३—श्री मदनपालसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों का क्या नाम है जो अधिक बकायादार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील चरखारी में श्री बिनायक गणेश बक्से व तहसील महोबा में सर्वश्री उमादत्त शुक्ला, शंकर लाल, रामस्वरूप, दयाल, बिन्द्राबन, रामदयाल और बाबूसिंह अधिक बकायादार हैं।

*१३४—श्री मदनपालसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकावी का धन वसूल न होने का कारण क्या है तथा क्या सरकार बकाया वसूल करने के लिये उचित कदम उठायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील चरखारी में केवल श्री बिनायक गणेश बझे बाकीदार थे उन्होंने प्रार्थना की कि जितना रुपया उन पर बाकी है उससे अधिक वसूल किया जा रहा है। कुछ समय के लिये मामला परिषद् के विचाराधीन रहा और फैसले तक वसूली स्थगित कर दी गई, इस कारण वसूली में कुछ देर हो गई। अब परिषद् का फैसला हो चुका है और वसूली शीघ्रातिशीघ्र पूरा किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तहसील महोबा के बकायादारों से वसूली शीघ्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*१३५-१३६—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा तहसील में किसानों का चकबन्दी संबंधी धन

*१३७—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सन् १९४६ में मौजा जौनपुर नगर तहसील जिला इटावा में कोर्ट आफ वार्ड्स की तरफ से चकबन्दी कराई गई थी और चकों की अदला-बदली में किसानों से काफी पेड़ों का रुपया वसूल करके इटावा तहसील में ही जमा करा दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस संबंध में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।

*१३८—श्री घासीराम जाटव—

क्या यह सही है कि उक्त चकबन्दी के दौरान कुछ अनियमितताओं की शिकायत पर उस समय चकबन्दी रोक दी गई थी ? यदि हाँ, तो वह रुपया किसानों को आज तक वापिस न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न नहीं उठता।

*१३९—श्री घासीराम जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया अब तक जमा नहीं किया गया है क्या उसे इस बार होने वाली चकबन्दी के सिलसिले में किसानों का वह रुपया उनके पास मौजूद पुरानी रसीदों के आधार पर मुजरा करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारी

*१४०—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा कलक्ट्रेट के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने १९ व्यक्तियों को जिनका कार्यकाल ३ साल से अधिक है नोटिस दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इन्हीं व्यक्तियों को इनसे पहले के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन सज्जनों को मुस्तकिल होने की सूचना दे दी थी जिसमें एतराज भी हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब फिर उन्हीं १९ व्यक्तियों को अस्थायी मानकर नोटिस दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं, वर्तमान आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने किसी भी कर्मचारी को जिसका कार्यकाल ३ साल से अधिक है किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया और न इनसे पहले के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने १९ कर्मचारियों या अन्य किसी कर्मचारी को स्थायी होने की कोई सूचना ही दी थी। अतः अब किसी को अस्थायी मान कर नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४१--श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या यह सत्य है कि उक्त ओ०एस० महोदय ने जब से गोंडे आये हैं उन्होंने अपने नाबालिग लड़के तथा रिश्तेदारों को मुस्तकिल करने के लिये ही इन १९ व्यक्तियों को अस्थायी नौकरी होने के कारण नोटिस दे दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं।

*१४२--श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या यह सत्य है कि इन १९ व्यक्तियों की नौकरी तीन साल से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार का कोई ऐसा जी० ओ० है जिन व्यक्तियों की नौकरियां तीन साल से अधिक हों चाहें उनकी नौकरियां खंडित भी हुई हों, तो भी उनको स्थायी कर दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों को जिनको नोटिस दी गई है और उनका कार्यकाल ३ साल से अधिक हो चुका है इनके मामले में विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

शासकीय आदेश संख्या बी-२८७६/१-बी--१४९-बी-५९, दिनांक १६ अगस्त, १९६१, के अनुसार जिन व्यक्तियों का सेवा काल ३ वर्ष (लगातार या खंडित) १६ अगस्त, १९६१, को पूरा हो चुका है और जो उक्त आदेश में कथित शर्तें पूरी करते हैं, उनका नाम स्थायी कर दिये जाने वाले कर्मचारियों की सूची में दर्ज कर लिया जावेगा। उक्त शासकीय आदेश के अन्तर्गत गोंडा कलेक्टरी के ४९ कर्मचारियों की एक सूची तैयार की गई थी, जिनमें से ३ व्यक्तियों का सेवा काल ३ वर्ष से कम पाया गया। शेष व्यक्तियों के विषय में जांच की जा रही है और उनमें से जो उक्त शासकीय आदेश में दी गई शर्तों को पूरा करते पाये जावेंगे उनका नाम स्थायी कर्मचारियों की सूची में अन्तिम रूप से दर्ज कर लिया जायगा।

*१४३--श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*१४४--श्री माताप्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेशीय सरकार को अब तक कितनी भूमि प्राप्त हुई और उसके वितरण की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२८,५५९ एकड़।

अतिरिक्त भूमि के वितरण संबंधी व्यवस्था अधिनियम के अधीन बने नियम संख्या ५७, ५८ और ५९ में की जा चुकी है।

*१४५-१४६--श्री माताप्रसाद--

[हटा दिये गये।]

दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन

*१४७---श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रदेश में कुल कितने छात्र दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की योजना के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---

४८० ।

*१४८---श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वर्ष में उक्त योजना पर कुल मिलाकर सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---

लगभग एक लाख रुपया खर्च होगा ।

*१४९---श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त धन में से केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना प्राप्त होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---

कुछ नहीं ।

*१५०-१५१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गवर्नमेंट इंटर कालेज, लखनऊ व ओरई में सिरेमिक अध्यापक न होना

*१५२---श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार को मालूम है कि गवर्नमेंट इंटर कालेज, लखनऊ और गवर्नमेंट इंटर कालेज ओरई में जुलाई, १९६२ से अब तक सिरेमिक का अध्यापक नहीं है ? अगर हां, तो क्यों नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर---

स्थायी अध्यापक नहीं हैं परन्तु दोनों कालेजों में सिरेमिक के अध्यापन कार्य का प्रबन्ध है।

*१५३---श्री रामआसरे---

क्या यह सही है कि लखनऊ से जुलाई में सिरेमिक का अध्यापक फैजाबाद भेज दिया गया और उसके स्थान पर दूसरे विषय का अध्यापक फैजाबाद से यहां भेज दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर---

जी हां । लखनऊ के सिरेमिक अध्यापक की पारिवारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उसका स्थानान्तरण फैजाबाद कर दिया गया । उस समय सिरेमिक में क्वालिफाइड अन्य अध्यापक न मिलने के कारण फैजाबाद से एल० टी० ग्रेड के अध्यापक को अस्थायी तौर पर लखनऊ भेज दिया गया क्योंकि उस समय आयोग द्वारा इस विषय के योग्य अध्यापक शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा थी ।

*१५४-१५५---श्री लखीसिंह---

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*१५६---श्री उमाशंकर तिवारी---

[७वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

पंडवाहा-बिजना सड़क

१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में पंडवाहा-विजना सड़क जो पी० डब्लू० डी० द्वारा बन रही है कब तक बन कर तैयार हो जावेगी और इस सड़क का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस सड़क के निर्माण का कार्य दिसम्बर, १९५३ म प्रारम्भ हुआ था और आशा है कि यह सड़क वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में बन कर तैयार हो जायेगी ।

बहराइच-भिनगा मार्ग पर पुल निर्माण

२—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच), श्री मंगल (जिला बहराइच) तथा श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बहराइच जिले में बहराइच-भिनगा रोड पर पुल जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बन रहा है उसे १६वें, १७वें, १९ वें मील पर इस बरसात के पहिले ही पुल बना देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

बहराइच भिनगा-रोड के मील १६ में भकला नदी पर पीपों का पुल बनाया गया है । मील १७ व १९ में इस सड़क पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

३—श्री मुन्नूसिंह, श्री मंगल तथा श्री रामआधार कनौजिया—

क्या सरकार अंधियारी नाले का पुल भी इसी वर्ष बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

धनाभाव के कारण अंधियारी नाले पर इस समय पुल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

४–५—श्री राजेन्द्रसिंह—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये

छिबरामऊ-विधूना मार्ग

६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि छिबरामऊ-विधूना रोड बहुत खराब है और जरा भी पानी पड़ा कि बसें चलना बन्द हो जाती हैं जिससे जनता को कठिनाई और परेशानी हो जाती है ? क्या सरकार इस तरफ ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इस सड़क का कुछ भाग नीचा था और सड़क की तह की कम मोटाई के कारण सड़क बरसात में बुलायम हो जाती थी । इस सड़क का सुधार किया जा रहा है और आशा है कि आगामी बरसात तक इस की दशा और भी अच्छी हो जायेगी ।

७–९—श्री उमाशंकर तिवारी—

[७ वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में निर्माण योजना

१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कौन-कौन सी सड़कें और कौन-कौन से पुल बनवाने की योजना ह तथा वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १२७ पर)

खीरी जिले में अध्यापकों के साथ ज्यादती की शिकायत

११—श्री मन्नालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् खीरी के प्राइमरी स्कूलों के गरीब अध्यापकों को ३, ४ माह से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं ।

१२—श्री मन्नालाल—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि जिला खीरी के गरीब अध्यापकों को ग्राम चुनाव में अवैधानिक सहयोग न देने के कारण दौरान वर्ष में सौ-सौ मील, अस्सी-अस्सी मील की दूरी पर ट्रांसफर किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनकी न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं ।

१३—श्री मन्नालाल—

क्या यह सही है कि ग्राम बढ़वारी मान जिला खीरी के प्र० या० में जनवरी, सन् ६३ महीने में ३ प्रधान अध्यापक उपस्थित हैं जिनके एक महीने में चार बार ट्रांसफर हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि श्री श्याम चरन प्रधान अध्यापक का एक वर्ष में ६ बार या इससे अधिक बार ट्रांसफर हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं ।

मथुरा में जमुना पुल पर पथ कर

१४—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में यमुना नदी का पुल सं० ३६७ किस सन् में निर्माण कराया गया था और क्या सरकार ने उस पर किसी प्रकार का कर लगाकर जनता से उसका मूल्य वसूल किया था ?

श्री गिरधारीलाल—

मथुरानगर में यमुना नदी पर सड़क का पुल सन् १९६२ में बन कर तैयार हो गया था और उस पर पथकर (Toll Tax) वसूल किया जा रहा है ।

१५—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस रेलवे तथा सड़क के पुल से पैदल चलने वाले यात्रियों को भी चलने से वंचित किया जा रहा है और ऐसा है, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़क के पुल पर चलने में किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है और न उनसे कोई पथकर लिया जाता है । रेल का पुल, हर प्रकार की सड़क यातायात के लिये रेल विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है ।

फर्रुखाबाद-सहावर नहरी सड़क

१६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क नहर शाखा फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ पर सहावर को जाती है वह कितने मील है और अभी तक कितने मील बनने को बाकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सड़क ९ मील लम्बी है इसके ५ मील का भाग पक्का हो चुका है तथा शेष ४ मील का निर्माण बाकी है ।

१७—श्री बेदराम—

क्या सरकार इस सड़क को पूर्ण कराने में शीघ्रता करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

शेष भाग के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

१८—श्री राधेश्याम शर्मा—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मांट-वृन्दाबन सड़क

१९—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मांट क्षेत्र जिला मथुरा की मार्गों की विशेष कठिनाई को देखते हुये पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत किसी सड़क को बनाना वह स्वीकार कर चुकी है ? यदि हां, तो किस सड़क को और वह कब तक बनेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मांट-वृन्दावन सड़क का जो कार्य दूसरी योजना के अन्त तक अधूरा रह गया था उसकी पूर्ति के लिये तृतीय योजना में उचित प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में किसी नई सड़क के निर्माण का कोई प्राविधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है ।

२०–२१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

२२—२५—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

[६वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ७–१० के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

२६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२७—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नार्मल स्कूलों के होस्टल अधीक्षकों का भत्ता

२८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने गवर्नमेंट नार्मल स्कूल के होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्टों को क्वार्टर के अतिरिक्त शिक्षा संहिता के छठवें अध्याय के २२१ धारा के अनुसार १५ रु० मासिक एलाउन्स मिलता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—
सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले में कलेक्शन कुर्क अमीन

२९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में सीनियारिटी के आधार पर कलेक्शन कुर्क अमीनों की कोई सूची बनी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी हां । बाराबंकी जिले में पूरे वर्ष (आल-दि-ईयर-राउन्ड) के आधार पर कलेक्शन अमीनों की सीनियारिटी की सूची बनी थी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि† प्रस्तुत है ।

३०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—
क्या यह बात सही है कि दिनांक १४ सितम्बर, १९६० को ओ० सी० कलेक्शन ने जिले के सभी तहसीलदारों का उक्त सीनियारिटी की सूची की सूचना दे दी थी ? यदि हां, तो कितने कुर्कअमीन उक्त सूची के अनुसार जिले में कार्य कर रहे हैं और कितने काम पर नहीं लिये गये हैं, उनकी जगहों पर अन्य लोगों को रखा गया है और इसके क्या कारण हैं ? क्या सूची के अनुसार सभी अमीनों को लगाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी हां । दिनांक १४ सितम्बर, १९६० को समस्त तहसीलदारों को सूची अमीनों में घुमाने हेतु भेजी गई थी । यह सूची १२–१२–६० को फाइनल कर दी गई । एक आदमी के अतिरिक्त जो सबसे जूनियर था वे सभी व्यक्ति अमीन के पद पर कार्य कर रहे हैं जिनका नाम फाइनल सूची * में दिया गया है ।

३१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—
क्या यह भी बात सही है कि उक्त सूची के १३० नं० के व्यक्ति ने कोई प्रार्थनापत्र अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया था और उसे यह कह कर नियुक्त नहीं किया गया कि उसका नाम सूची में बहुत नीचे है जब कि सूची के अतिरिक्त बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
यह सत्य है कि प्रोविजनल सूची के १३० नम्बर के लिखित व्यक्ति श्री चन्द्रशेखर सिंह ने अपना पूरे साल के आधार पर अमीनों के रिक्त स्थान पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था । इनकी नियुक्ति जूनियर होने के कारण नहीं की गई और अन्य सीनियर योग्य व्यक्ति नियुक्त किये गये । यह गलत है कि सूची के अतिरिक्त बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं ।

सुल्तानपुर जिले में सड़कों का निर्माण

३२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनपद सुल्तानपुर की कौन-कौन सी तथा कितनी लम्बी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाने की योजना थी तथा उनमें कितना कार्य हुआ एवं कितना शेष है ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री गिरधारीलाल—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनपद सुल्तानपुर की निम्नांकित सड़कों को बनाने की योजना थी, जो बन कर पूर्ण हो गई है :—

	मील	फर्लांग
१—कादीपुर–चांदा सड़क	८	०
२—चांदा–पट्टी सड़क	२	०
३—गौरीगंज–भानमतीपुर सड़क	७	०
४—दोस्तपुर –कादीपुर सड़क	१०	४
५—मझवारा–कुरेभार सड़क	६	०

३३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुल्तानपुर की कौन-कौन सी, कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण स्वीकृत है तथा किस सड़क पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला सुल्तानपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में १५ मील ५ फर्लांग लम्बी मझवारा–हलियापुर सड़क का निर्माण १०,२६,३०० रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित सड़कें जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं :—

	मील	रुपये
१—अखण्डपुर–दोस्तपुर सड़क	८	४,००,०००
२—दुर्गापुर–भादर सड़क	६	३,००,०००
३—अमेठी–भादर सड़क	७	३,५०,०००
४—विसुखपुर–दोस्तपुर सड़क	६	३,००,०००

३४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र विकास समिति ग्रामों की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६२ प्रस्ताव नं० १७, तथा बैठक दिनांक ११ जनवरी, १९६३ प्रस्ताव नं० ५ पर विचार करके इस वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण के लिए लेने या न लेने पर विचार किया गया है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं तो उसे प्राथमिकता न मिलने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

सरकार को मालूम हुआ है कि जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र विकास समिति जामो ने अपनी बैठकों में भानमतीपुर–जगदीशपुर सड़क निर्माण के लिये प्रस्ताव पास किया है यह प्रस्ताव अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण सरकार तृतीय योजना काल में इस सड़क को बनवाने में असमर्थ है।

सितारगंज, काशीपुर क्षेत्र में बेदखली के मुकदमे

३५—श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि सितारगंज से काशीपुर (नैनीताल) में जो १६ हजार परिवारों के पास १ एकड़ से लेकर १२ एकड़ तक जमीन सन् १९५३ से कब्जे में है और उनके नाम कागजात में दर्ज है और उनसे लगान भी लिया जा रहा है उनके खिलाफ बेदखली के मुकदमे स्पेशल जुडीशियल कोर्ट कायम करके चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी किसानों से जमीन का मुआवजा लेकर सभी मुकदमों को उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। मैं समझता हूं कि सदन की आज वैधानिक कोई मर्यादा नहीं है और गठन नहीं है क्योंकि स्वयं अध्यक्ष के द्वारा हमारी प्रक्रिया नियमावली की अवहेलना हुई है। इस सम्बन्ध में आप हमारी नियमावली का नियम २९९ (१) पढ़ें....

श्री अध्यक्ष—
माननीय काशीनाथ जी, प्रश्न हो जाने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—
मैं समझता हूं कि आप अध्यक्ष हैं ही नहीं क्योंकि कोई भी अध्यक्ष जब विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन करता है तो वह अध्यक्ष नहीं है और वह जब अध्यक्ष नहीं है तो इस विधान सभा का कोई वैधानिक गठन नहीं है। इसीलिये क्वेश्चन आवर के पहले ही इसको रखने के लिये मैं मजबूर हुआ। २९९ (१) में यह है—

"अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल बाहर चला जायेगा और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।"

श्रीमन्, आपने माननीय मैनेजरसिंह को जब कहा कि आप अपने शब्द वापस लें तो आपने उनको सदन छोड़ने के लिये नहीं कहा था। आप खुद प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लें, मैं देख कर आया हूं। तो आपने सदन छोड़ने की आज्ञा नहीं दी और यकबयक जब उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है वह वापस नहीं लूंगा तो आपने कहा कि मैं इंगित करता हूं। तो यह नियम २९९(१) का उल्लंघन है और मैं समझता हूं कि जो नियमावली का उल्लंघन करता है वह अध्यक्ष होने की क्षमता नहीं रखता और इस समय आप अध्यक्ष नहीं हैं चूंकि आपने २९९ (१) का उल्लंघन किया है।

श्री अध्यक्ष—
मैं आप से निवेदन कर दूं कि यह विचार मेरे दिमाग में था और जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वह प्रश्न माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने माननीय शिक्षक के सम्बन्ध में भी पहले एक बार उठाया था और उस समय मैंने यह निर्णय दिया था कि अगर इस प्रकार की कोई भूल हो जाय तो वह प्रोसीजरल मिस्टेक है। आप उसे, प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में, उसी समय उठा देते ताकि उस सम्बन्ध में जो गलती हुई है, उसका शोध हो जाता। एक बात तो यह निवेदन करनी है।

दूसरी बात यह है कि मैंने जिस समय यह बात हुई थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, यह घोषित किया था कि माननीय मैनेजरसिंह के इस कथन से सदन का अवमान होता है, कन्टेम्ट आफ दि हाउस है, और सदन के प्रत्यक्ष में यह कन्टेम्ट हुआ। तो जहां पर यह हो वहां सदन स्वयं यह निश्चित कर सकता है कि हम ऐसे सदन के अवमान पर क्या कार्यवाही करें। यह दोनों दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन अगर गलती हुई है माननीय काशीनाथ जी तो उसका मैं परिशोध कर दूंगा। कार्यवाही इस वक्त होने दीजिये, जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

उसका परिमार्जन कैसे होगा ? वह तो कार्यवाही हो गयी, मैनेजर सिंह जी निकल गये और आपने एक ही नियम की अवहेलना नहीं की, आये दिन आपके द्वारा नियमों की अवहेलना होती है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी,.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप पूरी बात सुन लें । इस वक्त मैं समझता हूं कि सदन का कोई वैधानिक गठन नहीं है इसलिये मैं आपकी कोई बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं । जब इस विधान सभा में प्रक्रिया नियमावली बनी हुई है उसके अनुसार जब कोई क्वेश्चन दिया जायगा तो मंत्री लोगों के लिये १५–२० दिन के अन्दर उसका जवाब देना लाजिमी होगा । लेकिन जब १५–२० दिन के बाद क्वेश्चन आता है और कोई मंत्री उधर से उठ कर कह देते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो आप कान पर हाथ रख कर सुन लेते हैं और कुछ नहीं कहते । इसी सदन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जब अवहेलना होती है तो आप कुछ नहीं करते । हमारा यह नियम है कि अगर हमारी प्रक्रिया नियमावली में किसी संबंध में नियम न हो तो हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स को देखना होगा और वहां यह नियम है कि पहली दफा ५ दिन के लिये, दूसरी दफा १५ दिन के लिये और तीसरी दफा रेस्ट आफ दि सेशन के लिये निकाला जाता है और यहां गुप्ता जी एकदम से खड़े हो कर कहते हैं कि एक महीने के लिये निकाला जाय। तो जो अनर्थ आपके द्वारा पहले हुआ है माननीय मैनेजर सिंह को निकालने में उसका आप परिमार्जन करें तब मैं समझूंगा कि यह सदन है वरना इस सदन की कोई वैधानिक मर्यादा नहीं है । और हमारे ऐसे सदस्य जो अपने अन्दर स्वाभिमान रखते हैं वे समझते हैं कि मेरा यहां बैठना, मेरी शान, परम्परा और जनतंत्रन्ता के खिलाफ है । जब तक आप गलती का परिमार्जन नहीं करते हैं तब तक मैं सदन को चलने नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं बैठ नहीं सकता हूं । जब तक आप गलती का परिमार्जन नहीं करेंगे तब तक मैं आपको अध्यक्ष कैसे मान सकता हूं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, कल जो कार्यवाही हुई है उस पर आप फिर से विचार कीजिये । हमको जहां तक जानकारी है वह यह है कि जब दफा ५२ का प्रश्न स्वीकार होता है उस पर जिन विषयों का समावेश रहता है उन सबका, मंत्री जी सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं । माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने जो नियम ५२ में प्रश्न दिया था उसका आपने कुछ अंश स्वीकार करने का ऐलान किया था....

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्या क्वेश्चन आवर में इस तरह की स्पीचेज हो सकती हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अब आपने जो फैसला दिया उसके मुताबिक मंत्री जी ने बयान नहीं दिया । उस फैसले के विपरीत बहुत लम्बा चौड़ा, जिसमें आपका आदेश निहित नहीं था, बयान दिया । हमारा कहना यह है कि दफा ५२ में यह परिपाटी रही है और आपने स्वयं १५।२० मिनट तक सप्लीमेन्टरीज करने के आदेश दिये हैं और कल श्रीमन्, आपने केवल ३।४ सप्लीमेन्टरीज करने का ही अधिकार

दिया जब कि माननीय बनारसीदास जी से और उन सब से बात हुई थी जो विधि को अच्छी तरह से जानते हैं। आज तक, आपके सूबे की बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल से कहा हो कि तुम वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दे दो। अदालत हुक्म देती, इंसपेक्टर हुक्म देता तब तो ठीक था लेकिन कलेक्टर को पावर नहीं है कि वह प्रिंसिपल को आदेश दे दे कि चार्ज वाइस प्रिंसिपल को दे दो.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय पांडेय जी....

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, खत्म कर रहा हूं। आपने सप्लीमेंटरी करने नहीं दिये। मेरी जानकारी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि माननीय मैनेजरसिंह जी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जहां तक जानकारी है वह यह है और नियममावली यह कहती है कि जब तक माननीय सदस्य से यह न कहा जाय कि आप सदन के बाहर चले जाइये तब तक उनको इंगित नहीं करना चाहिये। आपने यह नहीं कहा और इंगित करके माननीय मुख्य मंत्री जी को इशारा किया। तीसरी बात यह है कि नरसिंहनारायण पांडेय जी से आपने कहा कि बैठ जाइये और मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा कि वह उस समय बैठे हुये थे और बैठे होने पर आपने कहा बैठिये।

श्री अध्यक्ष--

कौन से।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

नरसिंहनारारण पांडेय जी से बैठने को कहा था। वे इंगित करने से पहले बैठ गये थे, सदन के छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिये। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग इस पक्ष में हैं कि आपके जरिये जो कल गलती की गई है, वह अन्याय है और नियमावली के विपरीत है। इसलिये इस पर विचार कीजिये और हम लोगों को आश्वासन दीजिये जिससे सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चल सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में आपसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं कि सदन के एक हिस्से में हमारे साथियों का जो मूड है और जो उनको तकलीफ है कल की घटना से, उसके लिये मेरी आप से और मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि इस समय सदन की कार्यवाही बन्द कर दी जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं विभिन्न दलों के नेताओं को बुला कर जरूर कुछ ऐसी बात करें जिससे सदन का वातावरण शान्त हो और कार्यवाही जैसी चल रही थी चलती रहे और जो वातावरण हमने चार महीनों में पैदा किया है उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े।

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्वयं यह सोचा था कि इस बात पर, प्रश्नों के पश्चात्, इस सदन के समक्ष कुछ निवेदन कर दूं। यह मेरा स्वंय विचार था और मैं स्वंय चाहता हूं कि अत्यन्त शान्त वातावरण में विचार विनिमय हो तो हमारी सब की शोभा बढ़ेगी। मैं इसको खुद छेड़ कर इस बात पर बातचीत करता। मैं यह माननीय काशीनाथ जी से कह रहा हूं कि प्रश्न समाप्त होने दीजिये.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

प्रश्न चलेंगे कैसे, जब कि आपके द्वारा नियमों की अवहेलना हो गयी? इस पर आप व्यवस्था दे दीजिये। या तो आप साफ तरीके से व्यवस्था दे दीजिये कि अध्यक्ष विधान सभा

[श्री काशीनाथ मिश्र]

का महाबली है, महासक्षम है, नियमों की पूरी अवहेलना कर सकता है, मुगल बादशाहों की तरह है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर आप इस हाऊस में ऐसी रूलिंग देंगे तो हम इसको उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली को फाड़ कर फेंक देंगे । इसकी मान्यता तभी तक है जब तक आपकी कार्य प्रणाली और कार्यकलाप इस नियमावली के अन्तर्गत हो । अगर आप इस किताब की अवहेलना करेंगे तो इस किताब की कोई कीमत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

पहली बात तो यह है कि जो नियमों को स्वयं एनफोर्स करना चाहता है और चाहता है कि नियमों का उल्लंघन न हो वह स्वयं भी नियमों का पालन करे तो ज्यादा शोभा होती । माननीय काशीनाथ जी एक बात कह रहे हैं । एक नियम यह है कि अध्यक्ष के संबंध में जो कुछ कहना है आप लिख कर कह सकते हैं और अगर आप के भाव बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गये हैं तो आपने कह दिया, मैंने सुन लिया और मैं उसका उत्तर दे दूं ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समाप्त कर लूं तब आप बोल लीजियेगा ।

अध्यक्ष केवल दो तरीकों से कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत हटाया जा सकता है। या तो वह स्वयं त्यागपत्र दे दे या उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आये और वह स्वीकृत हो । यह दो ही तरीके हैं । तीसरा कोई तरीका नहीं है । नियमों का जहां उल्लंघन होता है वहां पर प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न होता है और अगर आप समझते हैं कि प्वाइंट आफ आर्डर आप उठाते रहे हैं और मैं अवहेलना करता रहा हूं तो अविश्वास का प्रस्ताव हो सकता है । आप यह नहीं कह सकते कि इसलिये कि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है इस वजह से आप अध्यक्ष नहीं रहे। यह बहस गलत है । अब रहा यह प्रश्न कि आपने एक बात कही कि गलती हुई, उसका परिमार्जन होना चहिये, मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रश्नों के बाद इस संबंध में बातचीत कर लेंगे । एक दूसरा सुझाव माननीय झारखंडेराय का आया है, वह भी ठीक है । उस संबंध में बातचीत हो सकती है सब नेताओं से और उस पर बातचीत करके हम एक पद्धति का निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार सदन का कार्य चलाया जाय । उसको हम कर लेंगे लेकिन प्रश्न समाप्त हो जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमको तो आप सुन लें । केवल मैं २९९ को पढ़ना चाहता हूं । कल मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया, व्वयस्था का प्रश्न बार-बार उठाया लेकिन आपने ओवररूल किया, तो अब मेरे सामने कौन सा तरीका है ? दूसरी बात आप सुन लें, श्रीमन्, कि जो अविश्वास की बात आप कहते हैं, आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं वह बहुत ऊंची कुर्सी है और माननीय टंडन जी इस पर विराजमान रह चुके हैं । लाबी में एक मुस्लिम लीग के सदस्य ने (व्यवधान)...आप इस पर व्यवस्था दें कि आप इसको मानते हैं या नहीं । अगर आप विधान सभा नियमावली को मानते हैं तो माननीय मैनेजरसिंह को कल जो आपने निकाला है उनको वापस लाने का आदेश आप इस कुर्सी से दें और कहें कि इसके लिये मुझे खेद है, तब इस सदन की कार्यवाही चले, नहीं तो मैं समझता हूं कि स्वतः आपकी इच्छा कानून बनकर सदन को संचालित नहीं कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूं, आप मुझसे बातचीत कर लें..

एक सदस्य—

हाउस के सामने आप खेद प्रकट करें....

श्री अध्यक्ष—

मैं तैयार हूं, नेतागण और जो भी और चाहें,मुझसे बातचीत कर लें, अगर गलती है, उसका परिमार्जन हो जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं रखना चाहता हूं आपके सामने कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की जो पद्धति है वहां पर सदस्य का निलम्बन पहली मर्तबा ५ दिन के लिये, फिर दस दिन के लिये और फिर अनिश्चित काल के लिये होता है लेकिन यहां पर एक महीने के लिये.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखपतराम जी, पहले प्रश्न हो जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

देखिये, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो वैसे ही रह गया। मेरे दिमाग में यह बात बिलकुल घर कर गई है कि यह सदन वैधानिक नहीं रह गया है और आप इसके अध्यक्ष नहीं है। यह नियमावली है, इसकी धारा २९९(१) को आप देख लीजिये, या तो कहिये इसको आपने सस्पेंड कर दिया, (व्यवधान) नहीं तो आप हमको समझा दें, हमारा दिमाग तर्क के लिये बिलकुल खुला हुआ है।

श्री झारखंडेराय—

मान्यवर, जो मैंने छोटा सा सुझाव दिया था बहुत सीधा और सरल उसको उसी रूप में स्वीकार करने में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है मैं भी ऐसा एहसास करता हूं और इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त की उनकी हैसियत में जो कि कर्णधार हैं यू०पी० की पालिटिक्स के, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वह स्वंय इनीशियेटिव लें और कार्यवाही को बन्द कराके ऐसा अवसर पैदा करें कि जिसमें सभी नेतागण से बातचीत हो जाय और इसका कोई निर्णय हो जाय। (शोर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी निर्णय आप लें, वह इस सदन में लें। इसके अलावा और कोई निर्णय हम मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप निर्णय ही चाहते हैं, तो वह मैं, आपसे निवेदन करता हूं कि मैं उसे स्टडी करके, दो बजे दूंगा। (अत्यधिक शोर)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं अपने मित्र माननीय उग्रसेन जी तथा सोशलिस्ट पार्टी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने यह कह दिया कि हमें आप समझा दीजिये, अगर मैं गलती पर हूं तो खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूं, तो उसके बाद फिर और कुछ करना योग्य नहीं है मेरी छोटी समझ से। हो सकता है कि मैं गलत समझता होऊं, लेकिन मेरी नाचीज बुद्धि में यह आता है उसके बाद कुछ कहना शोभा नहीं देगा। इसलिये मैं माननीय उग्रसेन से प्रार्थना करूंगा और माननीय सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अब इस मामले को माननीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत करने के बाद फिर चाहे जो कुछ भी करें लेकिन एक मर्त्तबा उनसे बात अवश्य कर ली जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब कल श्री नरेन्द्रसिंह जी विष्ट २ बजे पीठासीन हुये थे तो उस समय सदन को छोड़ते हुये हमारी पार्टी के नेता ने उनसे यह निवेदन किया था कि आप हमारे इस सन्देश को, हमारे इन

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

उद्गारों को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दे जिससे कल जो सदन बैठने वाला है वह शांतिपूर्वक बैठ सके और कार्यवाही चल सके। मुझे अफसोस है कि यह मालूम नहीं कि श्री नरेन्द्रसिंह जी विष्ट ने आपके पास वह सन्देश पहुंचाया है या नहीं। अगर उन्होंने पहुंचा दिया है तो इस समय और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बनारसीदास जी अभी मेरे सदन में आने के ५ मिनट पहले आये थे और उन्होंने कुछ बातें कहीं तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैंने कल बनारसीदास जी से १० बार सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा की और उनसे जाकर यह निवेदन किया कि यह हमारे अधिकारों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, आप सरकार में हैं तो हाउस को ठीक से चलाने का काम आपके जिम्मे है, लेकिन वह बात नहीं सुनी गई।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं अपने मित्र से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ने आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न रखा है तो आपको अध्यक्ष मानकर रखा है या न मानकर रखा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अपने कथन के बारे में मैंने सदन के सामने पूरी तरह से उनका विरोध किया है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अब यह व्यवस्था देता हूं कि जो प्रश्न अभी माननीय काशीनाथ मिश्र ने उठाया है वह एक ऐसा प्रश्न है कि जो अध्ययन करने के योग्य है। मैं इसकी व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करूंगा और माननीय उग्रसेन जी से तथा जो विभिन्न नेतागण हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सभी कृपा कर मेरे पास आ जांय तो हम इसको डिसकस कर लें। अगर गलती हुई है तो उसका परिमार्जन हो जाय, यह मैं भी चाहता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

काशीनाथ जी मिश्र का सवाल यह था कि २९९ (१) का जो उल्लंघन हुआ है उसके अनुसार इस समय आप अध्यक्ष नहीं है। यह जो प्रश्नों का घंटा चल रहा है अगर चलता है तो वह भी नियमावली का और उल्लंघन होता है। तो अब प्रश्न नहीं होने चाहिये। आप इस पर विचार करें और सदन को स्थगित करें। अब एक मिनट भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे निवेदन किया कि केवल दो तरीके हो सकते हैं जिससे अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। या तो वह स्वयं इस्तीफा दे या फिर वह किसी अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाय। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। नियम के उल्लंघन से मेरा कोई अधिकार नष्ट नहीं होता, यह निश्चित है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं इसको बातचीत के द्वारा कर दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

२९९ (१) के अनुसार जो आपने कल माननीय मैनेजरसिंह को सजा दी है उसके बारे में कल मैंने आपके पास लिखित भेजा था।

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे पास नहीं आया है। आयेगा तो मैं उसको देखूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

आपने यह कहा कि यह जो नियम का उल्लंघन हुआ है उससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नियम से यह स्वयं सदन है, नियम से स्वयं आप अध्यक्ष हैं, नियम से स्वयं हम इस सदन के सदस्य हैं और नियम से स्वयं यह सरकार बनी हुई है। अगर नियम का उल्लंघन हो जाय तो हमको सजा मिलती है और यह सदन सजा देता है। माननीय पान्डेय जी को, माननीय मैनेजरसिंह जी को नियमों के अन्तर्गत ही आपने सजा दिलवा दी। तो अगर आप उनका उल्लंघन करें, मैं करूं, कोई करे तो यह बात कहां लागू होती है कि नियमों का उल्लंघन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ?

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जैसा कि अभी अभी आपने कहा, अध्यक्ष दो ही हालतों में हटाया जा सकता है। एक तो वह स्वयं इस्तीफा दे और दूसरे उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय। तो अगर यह दोनों हालात संभव न हों और कुछ लोग जो यहां अल्पमत में हों, जिनके पक्ष में नियमावली उल्टी बहायी जाय, तो वैसी सूरत में वह कौन सा चारा है जिससे हम आपको मना सकें। यही एक तरीका है। आज आधा घंटा हो गया और इस तरह हम आपको मना देंगे। हम इस तरह से साबित कर चुके कि आप अध्यक्ष नहीं है। आधा घंटा प्रश्नों का समाप्त हो चुका और यह आप के खिलाफ सत्याग्रह है कि आप अध्यक्ष नहीं हैं। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर रहने लायक नहीं हैं और इसलिये हमारे सामने जो तीसरा तरीका है वह अपनाया जा रहा है। यह आपके लिये शर्म की बात है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय श्रीपालसिंह जी हमारे पुराने साथी हैं और बड़ी गंभीरता से सदन के समक्ष अपने विचार रखते हैं। लेकिन मैं भी आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश पेश करना चाहता हूं। मैं तो बचपन में गरीब घराने का लड़का था। जब विद्यार्थी था तभी मेरे जिले में महात्मा गांधी आये थे। बाबा राघवदास के साथ मैं उनके दर्शन करने गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी जोर-जुल्म का डटकर मुकाबला करना चाहिये। उनकी मूर्ति आज हमारे अध्यक्ष के सर पर लटक रही है। मैं उनको सामने रख कर कहता हूं कि हमने अंग्रेजों के जमाने में कोई व्यक्तिगत कुर्बानी नहीं की। कुर्बानी उन्होंने की कि जो मर गये, सड़ गये जेलों में, तबाह हो गये, लेकिन हमको जनता ने चुन कर यहां भेजा है और हम यहां आकर जलालत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आपके द्वारा नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अवहेलना हो रही है वह सहनीय नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाय तो क्या होगा ? हिन्दुस्तान के किसी बड़े जज के सामने हमारा मामला भेज दिया जाय, हमें उसका फैसला मंजूर होगा। जब से श्रीमन् पधारे हैं तभी से हम देखते चले आ रहे हैं। हम नियम, कानून मानते हैं, लेकिन जब आप ही कानून नहीं मानते तो हम क्या करें ? यह एक दिन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आप अध्यक्ष रहेंगे तो क्या हम बिस्तर बांध कर घर चले जायं ? यहां एक अध्यक्ष श्री टंडन जी थे, क्या आप उनकी परंपरा पर चल रहे हैं ? अगर आपका यही रवैया है तो हमें भी सुकरात का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसे जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो हम भी मजबूर हैं। हम भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। हम न्याय-ईमानदारी पर चलने वाले हैं। हम मजबूर हो कर सदन में इस प्रश्न को लाये और हमें यही निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैंने कहा, प्रश्नों के बाद इस प्रश्न को ले लिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अभी काम शुरू नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा, आप चाहे जो कुछ कहें, लेकिन मैं समझता हूं कि आप बिलकुल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अध्यक्ष नहीं मानता। यह मेरा फैसला है। आप मुझे चाहे निकाल दें, लेकिन मैं अन्त तक कहूंगा कि मैं आपको अध्यक्ष नहीं मानता, नहीं समझता .....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, अन्यथा सदन छोड़ दें।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

(शोर) आज मैं सदन नहीं छोड़ सकता। आप पुलिस के बल पर हम लोगों को निकलवा कर के सदन चलायेंगे तो यह कैसे चलेगा ? यह मुझे देखना है। जब तक हमारे जैसे सदस्य इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य रहेंगे और जिन्दा रहेंगे तब तक विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के खिलाफ जितने कार्य आप करते हैं, उनका हम विरोध करते रहेंगे।

(श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की प्रति फाड़ी गई।)

(व्यवधान)

आप पुलिस के बल पर हमें दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं सदन नहीं छोड़ सकता हूं।

(व्यवधान)

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह मेरा आदेश है कि जितने सदस्य खड़े हुए हैं, वह सब सदन छोड़ें। सब सदस्य सोशलिस्ट पार्टी के और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो खड़े हैं सदन छोड़ें।

(घोर व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं सदन नहीं छोड़ सकता हूं। आपने नियमों का उल्लंघन किया है। मैं आपका इम्पीचमेन्ट करना चाहता हूं। हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है, हम लोग जनता के विश्वास पर चुनकर आये हैं। इसलिये मैं यह सदन कभी नहीं छोड़ सकता हूं चाहे कुछ भी हो।

(व्यवधान)

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर अब भी खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष--

मैं पुनः आदेश देता हूं कि यह सभी सदस्य जो खड़े हुए हैं, सदन छोड़ दें।

(व्यवधान)

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर अब भी खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष--

यदि आप लोग सदन नहीं छोड़ते हैं, तो सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन में घोर अशान्ति हो जाने के कारण ११ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। इस अवधि के समाप्त होने से थोड़े समय पूर्व श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल ने सदन को सूचना दी कि सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिये और स्थगित रहेगी।

इस अवधि में भी सदन में अशान्ति का वातावरण व्याप्त रहा। श्री काशीनाथ मिश्र अध्यक्षासन पर बैठ गये, किन्तु थोड़ी देर बाद उन्होंने अध्यक्ष पीठ छोड़ दी। श्री अध्यक्ष की

आज्ञा से मार्शल ने सदन में घोषणा की कि सदन को तुरन्त खाली कर दिया जाय और राज्यपाल दीर्घा को छोड़कर शेष सभी दीर्घाएं भी तुरन्त खाली कर दी जायं।

११ बजकर ४१ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, जब आप सदन छोड़कर चले गये थे तो माननीय बैजनाथसिंह काशीनाथ जी को जो वहां बैठे हुए थे.....

श्री अध्यक्ष--

कहां बैठे हुए थे ?

श्री नेकराम शर्मा--

जहां आप बैठे हैं। उस समय माननीय बैजनाथसिंह काशीनाथ पर हमला करने के लिये गये। अगर माननीया राजेन्द्रकुमारी जी वहां न पहुंचती तो वह काशीनाथ जी को मारते। राजेन्द्रकुमारी जी ने वहां पहुंच कर उनकी रक्षा की। इसका सबूत यह है कि आपके सामने माइक टेढ़ा हो गया है। इस प्रोटेस्ट में कि एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य पर हमला करें, हम वाक आउट करते हैं।

(इसके उपरान्त श्री नेकराम शर्मा ने निर्दलीय दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो प्रश्न व्यवस्था का मैंने आपने के सामने रखा था कि माननीय मैनेजरसिंह का निष्कासन या निलम्बन बिलकुल अवैधानिक ढंग से हुआ है, अजनतांत्रिक ढंग से हुआ है, उसके लिये आपने क्या किया ? मैं फिर आपसे आग्रह आदरपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आप उसके लिये सदन में खेद प्रकाश करें क्योंकि आपके द्वारा नियमावली की अवहेलना हुई है। इस पर आप व्यवस्था दें। मैंने पहले भी आग्रह किया था और फिर करता हूं कि मेरे जैसा आदमी मजबूर है कि सदन में, आपकी आज्ञा न माने जब तक कि आप नियमावली की अवहेलना करते हैं और खेद प्रकट नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक उसका प्रश्न है, मैंने प्रोसीडिंग्स अभी जाकर पढ़ीं, उसमें स्पष्ट मैंने कहा है कि माननीय मैनेजरसिंह, जो बात आपने कही है उससे सदन का अपमान होता है, कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस है अतः आप उन शब्दों को वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो सदन का ध्यान आपके आचरण की ओर आकृष्ट करना होगा। यह मैंने स्पष्ट उनसे कहा। वह कंटैम्प्ट आफ दि हाउस इन दि साइट आफ दि हाउस हुआ, सबके सामने हुआ। माननीय चन्द्रजीत यादव ने पूछा भी कि क्या शब्द उन्होंने कहे हैं, वह भी मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने भी उनसे आग्रह किया कि वापिस लें। मगर मैनेजरसिंह जी ने वापिस लेने से इन्कार कर दिया। तब मैंने सदन का ध्यान उनके आचरण की ओर आकृष्ट किया और उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव रखा गया जो स्वीकृत हुआ। इस समय तक मेरा यह निश्चित मत है कि जो कार्यवाही हुई वह वैधानिक थी और नियमं के अन्तर्गत थी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं समझता हूं कि आप अभी अपना दिमाग बनाकर आये हैं। यह बात पहले आपने नहीं कही। लोकतंत्र है, बहुमत का राज्य है। अगर आप हमको इस सदन में बोलने की इजाजत नहीं देते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी, अब आप कृपा करके बैठें या सदन छोड़ें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं कहता हूं कि अगर आप इस सदन में हमें बोलने की इजाजत नहीं देते हैं तो इसके माने हैं कि आप लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। आप लोकतंलत्र को नहीं समझते हैं। आप जनतंत्र की मर्यादा की हत्या करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशीनाथ जी, आप या तो बैठें या सदन छोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको इंगित करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं पहले आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस तरह से सदन नहीं छोड़ूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं काशीनाथ मिश्र जी के व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उन्हें इंगित करता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र अपने स्थान पर खड़े रहकर बोलते रहे।)

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिस व्यक्ति को आपने इंगित किया है, यह तीसरी दफा इंगित है, उन्हें १ महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री काशीनाथ मिश्र को सदन की सेवा से १ महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशी नाथ जी, आप सदन छोड़ें।

(श्री काशीनाथ मिश्र अपने स्थान पर खड़े रहकर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, आप श्री काशीनाथ जी को बाहर ले जाइये।

(मार्शल ने श्री काशी नाथ मिश्र से सदन से बाहर जाने के लिये आग्रह किया, परन्तु उन्होंने जाने से इंकार कर दिया।)

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, आप उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालिये। आप पुलिस बुलाइये।

(इसके उपरान्त श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल के साथ पुलिस के कुछ सिपाही सदन में आने पर)

श्री उग्रसेन---

आपने सदन को आश्वासन दिया है कि पुलिस नहीं बुलावेंगे। तो कम से कम काउंसिल हाउस के गार्ड ही बुला लें।

(श्री काशी नाथ मिश्र पुलिस की सहायता से मार्शल द्वारा बाहर ले गये।)

*श्री मैनेजर सिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन

श्री तेज भान सिंह (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

तेजभान जी, जरा सुन लीजिये। अगर मैं काउंसिल हाउस के गार्ड्स को विदड्रा करता हूं तो मेरे पास पुलिस फोर्स नहीं है। जो तरीका यहां अख्तियार किया गया वह ऐसा नहीं है कि सदन की कार्यवाही ठीक से हो सके। यह तरीका गलत है। यह तरीका आक्रमण का है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। हम लोग अहिंसावादी हैं। अहिंसा में विश्वास करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह आश्वासन आप दिलाते हैं तो ठीक है।

मुझे खेद है कि आज इतना समय जो हमारा प्रश्नों का था, उन्हें हम नहीं ले सके अब मैं मद नम्बर ८ पर आता हूं।

श्री तेजभानसिंह—

देखिये, पूरे प्रान्त का और हमारा आपके प्रति अविश्वास है जो कार्यवाही आपने नरसिंह-नारायण जी के साथ की है .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जावें। (श्री तेजभानसिंह के न बैठने पर) आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें वरना मैं आपको इंगित कर दूंगा।

श्री तेजभानसिंह—

आप इंगित कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का ध्यान माननीय तेजभानसिंह के व्यवहार की ओर आकर्षित करता हूं और इनको इंगित करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह ७ दिन के लिये असेम्बली की सेवा से निलम्बित किये जावें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न है कि श्री तेजभानसिंह को सदन की सेवाओं से ७ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

मैं विभाजन की मांग करता हूं। यह हमारा हक है।

(श्री तेजभानसिंह अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आप तेजभानसिंह जी को बाहर ले जाइये।

(मार्शल द्वारा आग्रह करने पर श्री तेजभानसिंह सदन के बाहर नहीं गये।

श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री तेजभान-सिंह को सदन से बाहर ले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

बनारसी को हटाओ, देश को बचाओ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे किसी माननीय सदस्य की ओर से हजारों बार गलती हो, लेकिन आपकी ओर से नहीं होनी चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

माननीय तेजभानसिंह जी को निकलने के संबंध में जो प्रस्ताव उधर से आया था उसके संबंध में आपसे निवेदन किया था कि आप विभाजन की मांग स्वीकार कर लें लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

विभाजन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, इसको मैं तय करूंगा । मैं यह देख रहा हूं कि कौन विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में है और कौन विरोध में है। यह नहीं है कि विभाजन कराना जरूरी ही है । अगर मैं उसे उचित समझूं तो विभाजन करा सकता हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

जब किसी सभा का अध्यक्ष बराबर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो यह अव्यवस्था का ही सूचक है। इसलिये यहां अव्यवस्था स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये । मद नं० २ पर माननीय मुख्य मंत्री...

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, इस समय यहां कोई अध्यक्ष ही नहीं है तो फिर यह सदन की कार्यवाही कैसे चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये । (श्री नत्थाराम रावत के न बैठने पर) अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दीजिये । मैं आदेश देता हूं कि आप बैठ जाइये ।

श्री नत्थाराम रावत--

बगैर अध्यक्ष के यह सदन कैसे चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सदन नहीं छोड़ते है तो मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा ।

श्री नत्थाराम रावत--

बगैर अध्यक्ष के सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ दीजिये ।

श्री नत्थाराम रावत--

आप अध्यक्ष हैं ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन का ध्यान माननीय नत्थाराम रावत के व्यवहार की ओर आकर्षित करता हूं और उनको इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन व्यक्ति को इंगित किया गया है उनको ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में संशोधन उपस्थित करता हूं कि निलंबन की अवधि ७ दिन के बजाय १ दिन कर दी जाय ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों को पढ़ें, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि माननीय नत्थाराम रावत को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, हमारा हक दिया जाय। मालूम नहीं फिर मुलाकात हो या न हो। हमारी बात को आप सुनते ही नहीं, गुस्सा करते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैंने एक संशोधन उपस्थित किया था, उस संशोधन पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव पेश किया गया है, अगर वह बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो आपका संशोधन स्वतः ही गिर जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह--

यह बात नहीं है, श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष--

कायदा यही है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

इस सदन की मर्यादा इसी में है और आज तक इस सदन की परम्परा रही है तथा हमेशा यह होता रहा है कि यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन उपस्थित होता था तो उस संशोधन पर पहले वोट लिया जाता था और फिर मूल प्रस्ताव पर वोट लिया जाता था।

श्री अध्यक्ष--

यह कायदा नहीं है। देखिये कायदा यह है--"यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि पहले मूल प्रस्ताव या किसी संशोधन को मत के लिये रखे"।

श्री कल्पनार्थसिंह--

छोड़िये इसे, मैंने मान लिया कि सारी परम्परायें और सारी बातें आप में निहित हैं, आप जब जैसा चाहें करें।

श्री अध्यक्ष--

नियम है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

आप जो कहते हैं वही नियम है लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर संशोधन रखा है तो उस पर आपको वोट लेना चाहिये था। इसको आप देख लें और पहले मेरे संशोधन पर वोट ले लें उसके बाद में मूल प्रस्ताव पर वोट लें, इसमें फर्क क्या पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। प्रश्न यह है कि श्री नत्थाराम रावत को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ

पक्ष में--१८६,

विपक्ष में--४१)।

श्री अध्यक्ष--

श्री नत्थाराम जी, आप कृपया सदन छोड़ दें ।

(श्री नत्थाराम रावत अपने स्थान पर खड़े रहकर बोलते रहे ।

श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल कौंसिल हाउस के गार्ड्स की सहायता से श्री नत्थाराम रावत को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री.....

श्री रामसुन्दर पान्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हम लोगों के हकों की रक्षा करना आपके ही हाथ में है लेकिन आपकी ओर से उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बल्कि जो लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं उनको आप सरकार के इशारे से निकाले जाने की कार्यवाही करते जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इससे सदन में शान्ति न होकर बल्कि और पारस्परिक द्वेष और घृणा पैदा होगी और मैं समझता हूं कि उधर के लोग जो हाथ से डेस्क बजा रहे हैं इससे उनको लाभ न होगा जब कि समाजवादी संयुक्त दल के लोग बैठे हैं और उनका यह निश्चय है कि एक-एक करके निकलेंगे तो इससे कोई लाभ न होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं तो निकालें । एक मास या एक दिन या सप्ताह के निकालने से कोई प्रभाव न होगा हम लोग ऐसे सिपाही हैं कोई आज नये सदस्य नहीं है, हम पहले भी सदस्य नहीं थे और फिर भी नहीं रह सकते हैं लेकिन इस तरह से निकालने से कोई लाभ न होगा । जब तक यहां के इन गलत तरीकों को ठीक न किया जायगा कुछ नहीं होगा । मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि सदन में शान्ति-व्यवस्था कायम करने के संबंध में विचार करें और कल जो कार्यवाही हुई है वह समाप्त की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, सदन के दो तीन सदस्यों ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझसे यह कहा कि मैं जो कार्यवाही यहां हो रही है उसमें हस्तक्षेप करूं । मैं सदन के माननीय सदस्यों से इतना नम्र निवेदन करना चाहता हूं और यह निवेदन मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं वरन जब जब यहां ऐसे अवसर आये हैं मैंने सदन के माननीय सदस्यों से बराबर इस बात की प्रार्थना की है कि हमें उन परम्पराओं के अन्तर्गत इस सदन में कार्य करना चाहिये जिनके अन्तर्गत चलते हुए हम गणतंत्र की रक्षा कर सकते हैं और जनतंत्र के विचारों को इस प्रदेश के जनजीवन का भाग बना सकते हैं । यदि हम इस सदन में चुनकर आये हैं और गणतंत्र की परम्पराओं की दोहाई देकर तो हमारे लिये यह शोभा नहीं देता, हमारे प्रदेश की शान के लिये यह शोभा नहीं देता और जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है उनके लिये भी यह शोभा नहीं देता कि यहां आकर हम ऐसा आचरण बरतें जिससे हमारे प्रदेश का नाम नीचे गिरता है और सारे देश को हमारे प्रति उन भावनाओं को जागृत करने का अवसर मिलता है जिनके विषय में कहा जा सकता है कि वह गणतन्त्र विरोधी हैं और उसके पीछे नहीं चलना चाहते । मुझे ऐसी चीजें कभी अच्छी नहीं लगतीं और मैं बराबर अपने नवयुवक साथियों से कहता रहता हूं कि मैं तुमसे उम्र में ज्यादा हूं और अनुभव भी कुछ अधिक रखता हूं कि आप यहां लाखों गरीबों का प्रतिनिधित्व करने के लिये आये हैं तो आप कोई ऐसे काम न करें जिनसे सदन की और गणतन्त्र की मर्यादा गिरती हो । जो कोई यहां इंगित किया जाता है तो मैं उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाता हूं इसलिये कि सदन की मर्यादा सुरक्षित रखी जाय, ऊंची रखी जाय और मुझे विश्वास है कि इन तमाम बातों में हमारे सदन के साथीगण उन परम्पराओं की रक्षा करने में सहायक बनें और अध्यक्ष महोदय की सहायता करें । मैं फिर

उन साथियों से निवेदन करूंगा और जो उस दल के नेता हैं उनसे कि जो नौजवानों के बीच में आते हैं कि यह न तो गणतन्त्र की परम्पराओं के अनुकूल है और न शोभनीय ही है लेकिन अगर वह उन परम्पराओं को कुचलना चाहते हैं और यदि वह गणतंत्र को कुचलने की जरा भी चेष्टा करेंगे तो सदन का कोई भी व्यक्ति जो गणतन्त्र का पुजारी है उनका सहायक और साथी नहीं बनेगा और केवल वही कार्य करेगा कि जिसका विधान में अधिकार है और वह इस तरह की कुरीतियों और दोषों को दूर करने में सहायक होगा और वह साथी जो किसी सोहबत में बिगड़े हैं वह सही रास्ते पर लाये जायं और मर्यादा का ध्यान करें । मैं माननीय उग्रसेन से नम्र प्रार्थना करूंगा कि वह जरा सोचें और विचारें कि वह जिन बातों की नौजवानों को दीक्षा देते हैं जिनका यहां प्रदर्शन होता है, बाहर के लोग आते हैं वह हमारे बारे में क्या राय बनाकर यहां से जायेंगे । अगर उनकी कोई इस तरह की मंशा है ही तो यह सदन की बैठक चलेगी बवजूद उनके इन तमाम अड़ंगों के बावजूद उनके जो गणतंत्र को कुचलना चाहते हैं या चेष्टा करेंगे, इस सदन की कार्यवाहियां चलेंगी और सारी चीजें प्रयोग में लायगा जिनके द्वारा यह अपनी मर्यादा की रक्षा कर सके ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री के भाषण से वह वाक्य निकाल दिया जाय जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोहबत में पड़कर बिगड़ गये हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैंने श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के विचार को सुना और मेरा भी विचार है कि प्रजातंत्र की जो विधि है वह निभाई नहीं जा रही है और आज वायुमंडल ऐसा गरम हो गया है कि सचमुच कुछ सुझाव देना भी चाहिये सरकार के सहयोग के लिये वह नहीं दे पायेंगे । ऐसी हालत में मेरी प्रार्थना है कि आज का जो कार्यक्रम है वह स्थगित किया जाय ताकि ऐसा वायुमंडल हो जाय ताकि कल हम उतने समय में संभव है शुद्ध बुद्धि से विचार करके कोई रास्ता निकाल सकें । मुख्य मंत्री जी का सुझाव बड़ा अच्छा है, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिये, हम लोगों को आपस में मिलने दीजिये, संभव है कोई रास्ता निकल आये । इस तरह से जो एक-एक करके माननीय सदस्य निकाले जा रहे हैं इसी में सारा समय निकल जायगा ।

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, तथा सदन के सदस्य-गण .....

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे संबोधित करें ।

श्री उग्रसेन--

मैंने जानकर नाम लिया, क्योंकि उनके दिल में घर करना चाहता हूं । मुख्य मंत्री ने जिन भावनाओं को यहां व्यक्त किया, यह सही है उनकी उम्र ज्यादा है और पहले से देश की खिदमत में लगे हैं, हम तो बाद में पैदा हुए, मगर जो मुख्य मंत्री जी इशारा करते हैं कि हम किसी को गुमराह करते हैं, हम किसी को गुमराह कर रहे हैं मैं इसका प्रतिवाद करता हूं । आप हमसे नाराज हो सकते हैं, गुमराह नहीं हो सकते, कोई सदस्य नाराज हो सकता है लेकिन गुमराह नहीं हो सकता । रह गई जनतंत्र की बात । जब मैं कांग्रेस में था और बाद में सोशलिस्ट पार्टी में आया तभी से जनतंत्रवाद में आस्था रखता हूं और अगर ऐसा न होता तो कम्युनिस्ट पार्टी में होता । मैं जनतंत्र का पुजारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी जब मुख्य मंत्री नहीं थे तब आपकी नेतागीरी ज्यादा चमकी थी, हमारे दिल में आपके लिये बहुत आदर था । हो सकता है हम और आप सदन के सदस्य न रहें, मगर मैं इतना प्रतिवाद करता हूं और प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि हम जनतंत्र की दुहाई के लिये सदन की परम्पराओं को कायम रखने के लिये अमर शहीद बापू ने जो रास्ता दिखाया है उसका पालन करेंगे ताकि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सके, अनियमितता न हो । इसीलिये जो हम कुरबानी कर रहे हैं वह ठीक हैं और

[श्री उग्रसेन]
हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं चाहे किसी पार्टी के हों । मगर यह कहना कि हम जनतंत्र नहीं मानते मैं इसका विरोध करता हूं । जनतंत्र के लिये हम ही यह कुरबानी कर रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—
श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने हमारे ऊपर लांछन लगाया है . . . . .

श्री अध्यक्ष—
आप बैठ जायं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—
श्रीमन्, कल साढ़े पांच बजे माननीय रामसुन्दर पांडेय, नरसिंहनारायण पांडेय और प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता श्री त्रिलोकीसिंह से मेरी बात हुई । उनको कल की घटनाओं के बारे में काफी अफसोस था । माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कल की घटनाओं के बारे में चर्चा की । मैंने कल माननीय नरसिंहनारायण और रामसुन्दर पांडेय जी से निवेदन किया था कि अध्यक्ष के निर्णय के औचित्य और अनौचित्य पर टीका न करें । आपका और हमारा सबका फर्ज है कि सदन में व्यवस्था को मानें । यदि वह कल व्यवस्था को मानते तो उसके बाद हम सब मिल कर अध्यक्ष के कक्ष में उस रूलिंग के बारे में बातचीत करते और उसमें कोई दल का प्रश्न नहीं है, यदि कोई भूल हुई थी तो उसका समाधान करने का प्रयत्न किया जाता, और माननीय रामसुन्दर जी इससे सहमत थे । मैंने आपसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया । तो जैसा माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा, पूर्णतः इस बात का प्रयत्न था, लेकिन इसका अवसर नहीं आया और आज क्वेश्चन आवर में ही यह बातें पैदा हो गईं वरना सदन के बाहर बातचीत हो सकती थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—
श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी ने मेरा नाम लिया है ।

श्री अध्यक्ष—
आप बैठ जायं, पहले मैं व्यवस्था दे दूं । श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने एक सुझाव मेरे सामने रखा । मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में इस कारण से असमर्थ हूं कि वैधानिक रीति से हमारे सदन की कार्यवाही चलती रहे । अगर आप इस मत के हैं कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो आपके लिये केवल एक मात्र मार्ग यह है कि आप सब्स्टेंटिव मोशन मेरे रिमूवल का लायें । आज अगर आप चाहते हैं कि जो मामला हो रहा है वह दबा दिया जाय और सदन स्थगित हो उसके लिये मुझे खेद है । किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि जिन व्यक्तियों ने यहां की मर्यादा को तोड़ा है उनसे खेद प्रकट कराया जाय । किसी ने यह नहीं कहा । माननीय मैनेजरसिंह से जब मैंने यह कहा कि "तुम अपना स्थान छोड़ दो "तथा वह शब्द वापस लें" उसको उन्होंने नहीं माना, माननीय चन्द्रजीत यादव ने सुझाव रखा, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया । तो अब इस समय एक विशेष पार्टी या व्यक्ति की तरफ से सदन में ऐसी अड़चन डाली जाय कि सदन न चले, यह होने देना गैर मुमकिन है । मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी ने हमारे उत्तरदायित्व को स्पष्ट रख दिया कि हमें सदन में वह कार्यवाहियां करनी हैं जिनके करने के लिये हम यहां आये हैं । हम इसलिये नहीं आये कि कोई विशेष व्यक्ति और उस कार्यवाही में रुकावट डाले तो उस रुकावट से हम काम स्थगित कर दें । इसलिये मैं मजबूर हूं कि उस स्थगन का सुझाव मैं नहीं मान सकता । अब रहा प्रश्न पांडेय जी का, वह कई मर्तबा कह चुके हैं कि कोई कार्यवाही मैं करूं जिसके द्वारा उनको समाधान हो जाय कि कार्यवाही शांतिपूर्वक चलेगी । जहां तक मेरा संबंध है, मैंने कह दिया कि अगर कोई गलती हुई है तो उसका परिमार्जन हो सकता है लेकिन यह कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, यह बिलकुल गलत तरीका है, इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिये, बरदाश्त

नहीं करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि जो बार-बार मेरे सामने प्रस्ताव रखा जाता है की सदन को स्थगित कर दूं, मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं इस सदन की कार्यवाही चलाऊंगा और इसको चलाना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय बनारसीदास जी ने मेरा नाम लिया है, आप मुझे कहने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—

कहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैनेजरसिंह और नरसिंहनारायण पांडेय जी ने क्या किया और उस-वाद विवाद में आपने इंगित किया उनको उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। किसी को निकाल दो इसकी चिन्ता नहीं है। मेरे सामने सवाल एक था कि इंगित करने का कारण क्या हुआ? माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत प्रजातंत्र की दुहाई दी। मैं एक नाबालिग आदमी हूं प्रजातंत्र के बारे में, लेकिन इतना बतला दूं कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी प्रिंसिपल से जा कर यह आदेश दे कि तुम अपना चार्ज दे दो वाइस प्रिंसिपल को, अगर इसी तरह से प्रजातंत्र पनपेगा तब तो मुझे कुछ नहीं कहना।

दूसरी बात यह मुझे कहनी है बनारसीदास जी से कि सदन से वाक-आउट करने के बाद हमारी पार्टी के जो नेता हैं और लोकतंत्र के बड़े माहिर हैं बाबू त्रिलोकीसिंह जी उनसे मैंने सम्पर्क स्थापित किया। वह आये हाउस में। फोन पर बनारसीदास जी से बातचीत हुई। आज सबेरे फिर उनसे बातचीत हुई। बनारसीदास जी ने कहा कि वह आपके पास जायेंगे। कल फुर्सत नहीं मिली। आज जब उनके घर पर फोन किया तो पता चला कि सैयद अली जहीर साहब के यहां गये हैं। फिर त्रिलोकीसिंह जी ने बनारसीदास जी को फोन किया तो बनारसीदास जी ने कहा कि वह अध्यक्ष के पास निवेदन करने जा रहे हैं। फिर माननीय बनारसीदास जी ने साढ़े १० बजने में ३ मिनट रह गये थे तब मुझसे कहा कि वह अध्यक्ष से बातचीत नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप मेरी बात सुन लें। आप बतला दें कि प्रजातंत्र के पालन के लिये कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाय, कैसे हमारी दिक्कतों को दूर किया जाय जब कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता और फिर लोकतंत्र की दोहाई दी जाती है? यह लोकतंत्र नहीं है कि जिलाधीश को आप पूरी पावर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी की बातचीत से एक बात निकली कि वह नियम ५२ के संबंध में प्रश्न थे, वह नहीं हुए और वह चाहते हैं कि वे हो जायं। बस इतनी ही बात है?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं क्या चाहता हूं उसे सुन लीजिये। बनारसीदास जी से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दफा ५२ में कम से कम २० मिनट सप्लीमेंटरीज होने चाहिये, लेकिन मैंने कार्यवाही को देखा तो यह पाया कि ४, ५ व्यक्तियों के अलावा कोई सप्लीमेंटरी नहीं कर सका। मैं करना चाहता था तो आपने उसे अस्वीकृत कर दिया। उसी पर झगड़ा हुआ। उस बात का परिमार्जन केवल करना था। वैसे आप ६ महीने के लिये निकाल दें तो कोई चिंता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था । माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य में मैंने एक संशोधन दिया था कि मुख्य मंत्री के वक्तव्य में से वह वाक्य निकाल दिया जाय जिसमें उन्होंने कहा कि "कुछ लोग सोहबत में पड़ कर बिगड़ गये हैं" क्योंकि वह बहुत डिफेमेट्री है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी का वह वाक्य कार्यवाही से निकाल दें । "बिगड़ जाना" शब्द संसदीय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैं देख लूंगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी धारणा अब भी यही है कि वह सोहबत का ही असर है कि नवजवान हमारे बिगड़ रहे हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह तो यही है कि यह कौन सी संसदीय प्रणाली है जिसका मुख्य मंत्री जी ने परिचय दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह जितनी बातें हो रही हैं इस समय वह अप्रासंगिक है ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे २ मिनट सुन लीजिये, श्रीमन् । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री जी ने संक्षेप में अपना वक्तव्य दिया है,उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके वक्तव्य के बीच में एक ऐसा रिमार्क आ गया है जो संसदीय प्रणाली के लिये धक्का पहुंचाता है । माननीय उग्रसेन जी लोगों को गुमराह करते हैं, यह मुख्य मंत्री जी ने कहा । तो श्रीमन्, गुमराह तो छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते हैं । जो नवयुवक है या बुजुर्ग है वह कैसे गुमराह हो जायेंगे । मैं उग्रसेन जी सुकरात की संज्ञा देता हूं । अब वह लोगों को कैसे गुमराह करेंगे यह बात बिलकुल असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष—

"गुमराह करना" शब्द बिलकुल संसदीय है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

एक मिनट में लूंगा श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी .....

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत अड़चन कर रहे हैं । अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मेरी लाचारी है कि मैं साफ-साफ यह कहूं कि आप प्रजातंत्र के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से राय लेकर काम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

रामसुन्दर जी, आप काफी बाधा डाल चुके हैं । अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप क्या चाहते हैं कि इस तरह से तानाशाही होती रहे और हम अपनी बात न कहें ?

श्री अध्यक्ष--

रामसुन्दर जी, आप कृपया बैठ जायं वरना मुझे मजबूर हो कर कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

वह तो आपको अधिकार है लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, माननीय रामसुन्दर जी, तो आप सदन छोड़ने के लिये भी तैयार नहीं हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

नहीं, श्रीमन्, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक कि आप फैसला नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये रामसुन्दर जी, आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये वरना मैं आपको इंगित कर दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप इंगित कर दीजिये, मुझे निकलवा दीजिये, चाहे कुछ ही क्यों न करें, लेकिन मैं इस तरह की आपकी व्यवस्था के प्रति झुकनेवाला नहीं हूं और बैठ नहीं सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं श्री रामसुन्दर पांडेय जी के व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और उन्हें इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं ।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, इस प्रस्ताव में मेरा संशोधन है कि ७ दिन की संख्या घटाकर १ मिनट कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा ।

प्रश्न यह है कि जो मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि माननीय रामसुन्दर जी का निलम्बन ७ दिन के लिये कर दिया जाय उसको घटाकर १ मिनट कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री रामसुन्दर पांडेय अपने स्थान पर खड़े रह कर बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

अब आप सदन छोड़ दीजिये ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मैंने विभाजन की मांग की थी । पता नहीं कि आपसे अब कब मुलाकात होगी, आप बीमारी से आये हैं, तो कम से कम इतने उदार तो हो जाइये ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, विभाजन की मांग नहीं की गयी । प्रस्ताव स्वीकार हो गया, अब माननीय रामसुन्दर जी, सदन छोड़ दीजिये ।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के सदन न छोड़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, रामसुन्दर जी को सदन के बाहर ले जायं ।

(श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री रामसुन्दर पांडेय को सदन के बाहर ले गये ।)

श्री उग्रसेन--

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह कौन सा जनतांत्रिक तरीका है कि ये आपके विभाग के कर्मचारी यहां पर खड़े हुये हैं । इन लोगों को हटाइये । ये विभाग में जा कर काम करें । हमारे लिये क्या है, हम तो एक-एक करके चले ही जायेंगे ।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

माननीय अध्यक्ष जी, . . .

श्री अध्यक्ष--

रतीपाल जी, आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री रतीपाल--

मैं देख रहा हूं कि यहां की जो सरकार है वह बहुत नालायक है . . . . .

श्री अध्यक्ष--

क्या आप भी बाहर जाना चाहते हैं ?

श्री रतीपाल--

जी नहीं, बाहर जाने का सवाल नहीं है । मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहूंगा कि कानून की मर्यादा को यहां के अध्यक्ष और यहां के मुख्य मंत्री भंग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, या तो आप अपने आसन पर आसीन हो जाइये या फिर सदन को छोड़ दीजिये ।

श्री रतीपाल--

हम चले जायं यह हमारे लिये शोभा नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रतीपाल जी, आप सदन छोड़िये ।

श्री रतीपाल--

मैं इस तरह से जो सदन का अध्यक्ष ही नहीं रह गया है उसके कहने पर सदन छोड़ने वाला नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं, श्री रतीपाल जी के व्यवहार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनको इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रतीपाल जी को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय रतीपाल जी को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रतीपाल जी, आप सदन छोड़ दें ।

(श्री रतीपाल के सदन न छोड़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, माननीय रतीपाल को सदन के बाहर कर दें ।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री रतीपाल को सदन के बाहर ले गये ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने आपसे डिस्कशन की बात की थी । मैंने सोचा था कि मेरी अपील मुख्य मंत्री जी भी मानेंगे और श्रीमान् जी भी उसे स्वीकार करेंगे । इतना कटु वातावरण हो गया है कि अब तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि मालूम होता है कि सरकारी पक्ष के लोग चाहते हैं कि एक-एक करके लोग निकाले जायं और सारी दुनिया इसे देखे । इसको देखते हुये मैंने प्रार्थना की थी कि सदन की कार्यवाही रोक दी जाय ताकि कोई रास्ता निकल सके । हमारी बात नहीं मानी गयी इस वास्ते मैं और हमारा दल आज १ बजे तक के लिये सदन त्याग करता है ।

(इसके पश्चात् जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

आप अध्यक्ष नहीं हैं इसलिये आज सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें अथवा बाहर जायं । (श्री उमाशंकर तिवारी के बोलते रहने पर) मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और माननीय उमाशंकर तिवारी को इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उमशंकर तिवारी को एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय उमाशंकर तिवारी को एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उमाशंकर तिवारी, आप सदन छोड़ दें ।

(श्री उमाशंकर तिवारी के सदन न छोड़ने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, माननीय उमाशंकर तिवारी को सदन के बाहर कर दें ।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री उमाशंकर तिवारी को सदन से बाहर ले गये ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन*

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ में उद्योग (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६१२/एस०--१८ सी-१९५९, १९६२,

*छापे नहीं गये ।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]
दिनांक १६ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत)

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--
अध्यक्ष महोदय, आप इस समय वैधानिक अध्यक्ष नहीं हैं इसलिये आपकी छत्रछाया में सदन नहीं चल सकता।

श्री अध्यक्ष--
आप बैठें वरना सदन छोड़ दें।

श्री गयाप्रसाद--
नहीं छोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष--
तो आपको मैं इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय गयाप्रसाद जी ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि माननीय गयाप्रसाद ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--
माननीय गयाप्रसाद जी, आप सदन छोड़ें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--
नहीं की संख्या को अधिक कहने के बाद अगर डिवीजन होता है तो आप केवल हाथ उठवा देते हैं। आप कम से कम हाथ की गिनती तो करवा लें। इतनी मर्यादा का तो पालन करें। सुनाई भी तो दे, ऐसी भी तो व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष--
आप अगर सुनना चाहते तो सुन सकते हैं। अब माननीय गयाप्रसाद सदन को छोड़ दें। (श्री गयाप्रसाद द्वारा सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय गयाप्रसाद को सदन के बाहर ले जायं।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल कौंसिल हाउस गार्डस् की सहायता से श्री गयाप्रसाद को सदन से बाहर ले गये।)

श्री कल्पनार्थसिंह--
मैं सुनना चाहता हूं और डैमोक्रेटिक तरीके में विश्वास करता हूं। जो गड़बड़ी हो रही है वह न होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

डेमोक्रेसी यह है कि कहीं कोई कार्यवाही हो रही है तो उसे चलने दिया जाय। डेमोक्रेसी का अर्थ यह नहीं है कि कार्यवाही को रोका जाय। कार्यवाही को रोकना ही लोकतंत्र का गला घोटना है। अब जब मैं जानता हूं और आप देख रहे हैं कि किस तरफ अधिक मत हैं, आप चाहते हैं कि डिवीजन देकर मैं समय नष्ट करूं और बार-बार गिनाऊं। यह लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। मैं एक नहीं, ५० रूलिंग दिखा सकता हूं १९४९ से लेकर, १९६० तक, कि जब-जब बिला वजह डिवीजन मांगा गया है तो वह गलत समझकर एलाऊ नहीं किया गया।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, वह लाबी के डिवीजन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, एक आध आप सुना दें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष नहीं मानता हूं। इसलिये सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जायगी।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ दें।

श्री मेड़ीलाल--

श्रीमन, मैं कहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिये आपको इंगित किया जाता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मेड़ीलाल जी को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय मेड़ीलाल जी को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथसिंह--

अध्यक्ष जी, मेड़ीलाल जी से आपने सदन छोड़ने के लिये नहीं कहा और तुरन्त कहा कि उनको इंगित करता हूं। आप कार्यवाही देख लें। यह बड़ा विचित्र हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है इसको देख लें। मैं इस समय कह रहा हूं कि वे सब सदस्य इस बात पर तुले हुये हैं कि न सदन छोड़ेंगे और कार्यवाही को डिस्टर्ब करेंगे तो सब कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

(श्री मेड़ीलाल अपने स्थान पर खड़े रहे। श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्डस् की सहायता से माननीय सदस्य को सदन के बाहर ले गये।)

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, तभी आप ने आश्वासन दिया था कि गलती का परिमार्जन करेंगे....

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामआसरे जी, आप कृपा करके खामोश रहें या सदन से बाहर जायं।

श्री रामआसरे—

मैं बैठ नहीं सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

रामआसरे जी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं इनको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रामआसरे जी को सात दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय रामआसरे जी को सात दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री रामआसरे को सदन से बाहर ले गये।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ६ के साथ पठित धारा ४ के खंड (३) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा के साथ पठित धारा ४ के खंड (३) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत)

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, आप वैधानिक अध्यक्ष नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप वैधानिक अध्यक्ष नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गिरजाप्रसाद, आप अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं.....

श्री गिरजाप्रसाद—

आप वैधानिक अध्यक्ष नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सदन छोड़ दें।

(श्री गिरजाप्रसाद के सदन न छोड़ने पर)

तो माननीय गिरजाप्रसाद को इंगित किया जाता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सात दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय गिरजा प्रसाद को सात दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री गिरजा-प्रसाद को सदन से बाहर ले गये।)

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुये जनतन्त्र प्रणाली का हनन हुआ है। जब-रदस्ती पुलिस.....

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़ दीजिये। अगर मैं अध्यक्ष नहीं हूं तो आप जाइये।

श्री दुर्योधन—

मैं सदन नहीं छोड़ सकता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दुर्योधन जी इंगित किये जाते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय दुर्योधन जी एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री दुर्योधन को सदन से बाहर ले गये।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब अगर सदन की आज्ञा हो तो मैं मद १० के (३) और (४) को पहले ले लूं जिन पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमसे निपटिए पहले न।

---

*२१ मार्च, १९६३ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--

तो इसके लिये सब राजी हैं ?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

यह बात नहीं है मैं उसका विरोध करता हूं कि वह मद पहले न ली जाय। उसी से लिया जाय जिस क्रम से अजेंडा में है।

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री कल्पनाथसिंह--

कौन सी मद ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी आपत्ति मान ली है। अगर सारा सदन इस राय का होता तो मैं बदलता, लेकिन आपको आपत्ति है इस लिये नहीं बदला।

श्री राजनाथसिंह--

कल मैं प्रांतीय रक्षक दल और ग्राम रक्षक दल के पुनर्गठन एवं संगठन की चर्चा कर रहा था और उन संगठनों में प्रगति और बल लाने के लिये ध्यान आकर्षित कर रहा था।

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत)

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात का आपने वादा किया था कि पुलिस सदन में नहीं आयेगी। आपने सदन में पुलिस बुलाई। अब आप अध्यक्ष हैं ही नहीं। किस तरह से आप हुक्म दे रहे हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि आप कुर्सी छोड़ दें। आप हम लोगों को छुड़वा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले माननीय मुख्य मन्त्री को निकाल दें इसलिये कि कानून वह तोड़ रहे हैं, कानून आप तोड़ रहे हैं। हम नहीं तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री कृष्णा--

बैठने का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री कृष्णा--

अरे साहब, हम लोगों को जनता ने भेजा है कानून को चलाने के लिये तो हम जा कैसे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सदन नहीं छोड़ते हैं तो किसुनू, आप को इंगित किया जाता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सात दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय किसुनू जी ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्पनार्थसिंह---

माननीय किसुनू जी कोई सदस्य हैं इस सदन में ? जिनको आप निलम्बित कर रहे हैं वह हैं माननीय कृष्णा।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा 'किसुनू' की जगह 'कृष्णा' समझा जाय।

(शोर)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री कृष्णा को सदन से बाहर ले गये।)

श्री भगवानदास यादवेंदु (जिला आगरा)---

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जब आप इंगित करते हैं और इंगित करने के बाद माननीय सदस्य बाहर निकाले जाते हैं इस बीच में जो कार्यवाही होती है जो मन्त्री या उपमन्त्री बोलते हैं, वह वैधानिक नहीं है। वह कार्यवाही में नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

कोई रूल आप बता दीजियेगा तो मैं देख लूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

जब आपने उनके नाम का सुधार किया और फिर इंगित किया सुधरे हुये नाम से। फिर नेता सदन ने प्रस्तुत किया, लेकिन हां, नहीं हुई और आपने निकलवा दिया, यह कैसे हो सकता है ? यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं।

श्री रघुनार्थसिंह---

आप कायदे की कद्र करें।

श्री अध्यक्ष---

एक सदस्य जो सदन की कार्यवाही में बाधक हो रहा है उसको मैं इंगित करता हूं सारा सदन जानता है कि कौन वह व्यक्ति है। अगर उसके नाम में कृष्णा की जगह पर किसुनू कह जाऊं तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। वह व्यक्ति आपके सामने साक्षात मौजूद हैं।

(व्यवधान)

मैंने कहा कृष्णा समझा जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---

आपके सलाहकार माननीय सचिव, विधान सभा के मौजूद थे, उनसे आपने राय भी ली कि माननीय सदस्य का नाम क्या है लेकिन जिस सदस्य ने आपके अनुशासन की अवज्ञा की उसको आपने इंगित किया, माननीय कृष्णा राय जी ने अवज्ञा की नहीं। अगर उन्होंने अवज्ञा की होती तो आपने कृष्णा राय जी को इंगित किया होता।

श्री अध्यक्ष---

वह अपने बिल में कभी किसुनू लिखते हैं और कभी कृष्णा लिखते हैं। इस वजह से जो हमारे आफिस को सूचना है वह किसुनू की है।

श्री उग्रसेन---

तो बिलों का रुपया उनको कैसे मिल जाता है ? स्टेट बैंक वे कैसे देता है ?

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, उसको मैं रोक दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

दूसरी बात यह है कि अगर यही सवाल है कि वह आपकी हुक्म उदूली करना चाहते हैं तो दस मिनट के बाद फिर निकाल देते। वह फिर हुक्म उदूली करते और आपकी तरफ से सजा पाते। आप वकील भी हैं। हमेशा शुबहे का फायदा मुल्जिम को मिलता है प्रासीक्यूशन को नहीं मिलता है। मैं आपके स्वविवेक पर यह बात छोड़ता हूं। आपकी मर्यादा, आपकी चेयर की मर्यादा और इस सदन की मर्यादा के लिये यह आवश्यक है कि उसके बाद कोई भी जुर्म आपकी निगाह में, इस सदन की निगाह में माननीय कृष्णा राय ने नहीं किया। तो श्रीमन्, आपकी मर्यादा बढ़ेगी इससे अगर आप माननीय कृष्णा राय को फिर से बुला लें, वह प्रस्ताव वापस करा लें और अगर उनकी इच्छा है तो उनको फिर से निकाल कर बाहर जाने दें इसमें आपकी और इस सदन की दोनों की मर्यादा बढ़ेगी। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं मानता।

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुलतानसिंह, आप बैठ जायं।

(श्री मुलतानसिंह के न बैठने पर)

आप अगर बैठते नहीं हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री मुलतान सिंह—

आपने ५०० आदमी बैठा रखे हैं अपनी रक्षा के लिये तो आप हमारी रक्षा क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुलतान सिंह इंगित किये जाते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मुलतान सिंह एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय मुलतानसिंह एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री मुलतान सिंह को बाहर ले गये।)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप बगैर बुलाये बोल रहे हैं, यह अनियमित है।

(श्री लखीसिंह अपने स्थान पर खड़े होकर बराबर कुछ बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह आप सदन छोड़ दें।

(श्री लखीसिंह के बराबर बोलते रहने पर)

अगर आप सदन नहीं छोड़ते हैं तो मैं माननीय लखीसिंह को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय लखीसिंह दुबारा इंगित किये जा रहे हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको पन्द्रह दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि माननीय लखीसिंह दुबारा इंगित किये जा रहे हैं सलिए प्रश्न यह है इनको पन्द्रह दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल ने श्री लखीसिंह से बाहर जाने के लिये आग्रह किया। श्री लखीसिंह मार्शल के कन्धे पर बैठकर सदन के बाहर चले गये।)

(श्री बाबूसिंह खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष---

पहले आप अपना नाम बता दीजिये।

(माननीय सदस्य द्वारा नाम बताने पर)

माननीय बाबूसिंह, यह आपकी मर्यादा नहीं है और सदन की मर्यादा नहीं है, आप बैठ जायं।

(श्री बाबूसिंह के न बैठने पर।)

माननीय बाबूसिंह आप सदन छोड़ें। आप अगर सदन नहीं छोड़ते हैं तो इंगित किये जायेंगे।

(श्री बाबूसिंह के बोलते रहने पर)

माननीय बाबूसिंह इंगित किये जाते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय बाबूसिंह एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री बाबूसिंह एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री बाबूसिंह को बाहर ले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि अब सिर्फ लंच के लिये १० मिनट रह गये हैं। अब आप कृपा करके आराम करें और माननीय उपाध्यक्ष जी को यह काम चलाने दें।

१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या ४६--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (क्रमागत)

श्री राजनारायणसिंह (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो आज जनजागरण हुआ है उसका हम लोगों को जितना उपयोग करना चाहिये था उतना उसका उपयोग नहीं किया है। यदि इस जन जागरण का सही रूप में उपयोग नहीं किया गया तो यह जनजागरण उत्तेजना में परिवर्तित हो सकता है और यह देश को उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता की तरफ ले जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—
व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—
अब आप बैठ जाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को आपने कितना समय दे रखा है। यह २०, २५ मिनट से बोल रहे हैं तो और कितने समय तक बोलते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष—
हमारे रिकार्ड के मुताबिक माननीय सदस्य ५ मिनट बोले हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
अगर आपके पांच मिनट इसी तरह से चलते रहे तब तो सैकड़ों वर्ष गुजर जायेंगे और ये बोलते रहेंगे।

श्री राजनाथसिंह—
इसलिये अन्त में मुझे ज्यादा नहीं कहना है और मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं जो इस सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है।

श्री कल्पनाथसिंह—
इनको कितना समय दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—
इनको १० मिनट दिया गया था और ये ५ मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजनाथसिंह—
मुझे और कुछ नहीं कहना है और मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—
मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—
क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं जिसका अनुदान इस समय चल रहा है?

श्री रघुनाथसिंह—
मुझे इस विषय पर नहीं बोलना है। मैं तो आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—
तब तो आपको अवसर नहीं मिलेगा।

श्री रघुनाथसिंह—
क्या हमको कोई बोलने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष—
अगर कोई माननीय सदस्य इस अनुदान पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—
मैं कुछ बोलना चाहता हूं। क्या हमको आपसे स्पष्टीकरण पाने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष—
आपको बाद में स्पष्टीकरण का समय दिया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी यह कहा कि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब जब माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये तो आपने कहा

कि बैठ जाइये और उनको अपनी बात कहने की इजाजत नहीं दी और उनका भाषण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आपने नहीं सुना। मैंने उनसे पूछा था कि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब वह इस विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं तो दूसरे विषय पर बोलने के लिये मैं उनको कैसे इजाजत दे सकता हूं?

श्री रघुनाथसिंह—

क्या आप स्पष्टीकरण सुनने के लिये इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष—

जरूर बैठा हूं।

श्री रघुनाथसिंह—

तो हम कुछ बातों का आपसे स्पष्टीकरण चाहते ह। उसी का हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष—

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। उसका कायदा यह है कि जो कार्यवाही हो रही हो उसी पर अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता है तो वह व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। अब आप बैठ जायं।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं आपकी इज्जत करते हुये यह निवेदन करूंगा कि न जाने यहां पर कितनी अनियमित कार्यवाही होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री रघुनाथसिंह—

इसके विरोध में मैं तो नहीं बैठ सकता।

श्री अध्यक्ष—

तो आप सदन छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप साढ़े १० बजे से एक बजे तक कितने सदस्यों को निलम्बित कर सकते हैं। इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जितने आदमी सदन की कार्यवाही में बाधा डालेंगे उन सबको मैं निलम्बित कर सकता हूं। माननीया सुशीला रोहतगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

उन्होंने शायद यह पूछा था कि आप एक मिनट में कितने आदमियों को निलम्बित कर सकते हैं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

अगर सब लोग निलम्बित हो जायेंगे तो आप अकेले यहां क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

(शोर के बीच में)

चूंकि सदन का वातावरण इस प्रकार का है इसलिये मैं इसपर बोलने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि इसपर कोई बोलने के लिये तैयार नहीं है.....

श्री कल्पनार्थसिंह--

ऐसी बात नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

तो मैं जानना चाहता हूं कि इसपर कौन बोलना चाहता है ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

कोई माननीय सदस्य इस सदन में खड़ा हो भाषण देने के लिये और माननीय अध्यक्ष उसे बुला दें तो क्या आपकी आज्ञा बिना वह कह सकता है कि वह बोलने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

बिल्कुल कह सकता है। माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी नहीं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी को बुलाता हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं तो खड़ा ही हुआ था।

श्री अध्यक्ष--

आप इस विषय पर बोलने के लिये तैयार हैं ?

श्री उग्रसेन--

बहस तो निकालने पर जारी है और कोई दूसरा विषय यहां नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इस प्रकार का सदन का वातावरण है तो बजट एक गम्भीर विषय है और आप इस कुर्सी पर आसीन होकर यह बात उचित समझेंगे कि जब ऐसा वातावरण हो तो उसमें किसी गम्भीर विषय पर विचार नहीं होना चाहिये। इस लिये जब इस प्रकार प्रजातांत्रिक प्रणाली पर घातक प्रहार हो रहा है, जो एक मेलोड्रामा यहां हो रहा है, उसमें हम अपनी जिम्मेदारी का मखौल न उड़ायें। मैं उसमें शामिल नहीं हूं और उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन यह समझता हूं कि बजट पर किसी गम्भीर वातावरण में ही विचार किया जाय तो उचित होगा। उसके लिये बाद में समय दे दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

एक बजे हैं, लंच का समय हो गया।

श्री अध्यक्ष--

कल्पनार्थसिंह जी, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री कल्पनार्थसिंह--

जरूर बोलना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि मैंने सुना नहीं कि आपने किस विषय पर बोलने के लिये मुझसे कहा है। मैं चिल्लाता रहा कि मुझे सुनायी नहीं देता,

लेकिन आपने सुना नहीं। और अब तो एक बज गये हैं। अब मैं क्या बोलूं। बोलने के लिये तो मैं खड़ा ही हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो आप दो बजे से बोलेंगे।

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कल्पनार्थसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप उन घटनाओं पर विचार करें, जो कि कल से इस सदन में चल रही हैं। मुझे इस बात का भी बड़ा खेद है कि कल भी....

श्री अधिष्ठाता—

पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप ग्रान्ट पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट बात के लिये आप मेरा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं?

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, वह कुछ विशिष्ट ही है। वह ग्रान्ट क्या है जो कि चल रही है। बीच में कुछ ऐसी बातें आयी थीं, जिसकी ओर मैंने अध्यक्ष महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था कि मुझे सुनाई नहीं दिया कि क्या ग्रान्ट चल रही है। यह मैं.....

श्री अधिष्ठाता—

आप देखें कि आइटम नम्बर १० और उपखंड १ पर वाद-विवाद चल रहा है। उस पर बोलते हुए यदि कुछ कहना चाहते हैं, तो कहें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, यदि उसके ऊपर बोलते हुए आप समझ लें, तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। मैं खड़ा हुआ, आपने मुझ को आज्ञा दी और मैं अपनी बात कहना चाहता था और उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको अवश्य मौका दूंगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किसी विशिष्ट बात पर मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? मैं यह समझता था कि आप ग्रान्ट के अलावा बोल रहे हैं। आप अपनी विशिष्ट बात को एक मिनट में समाप्त कर लें और अगर ग्रान्ट पर बोलना चाहते हैं तो १० मिनट तक बोलें। दूसरी बातों का निराकरण जो सम्भव होगा वह किया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, सबसे पहले मैं जिस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसके लिये आप एक मिनट की बंदिश न करें।

श्री अधिष्ठाता—

वह एक मिनट, दो मिनट में परिणत हो सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन का सदस्य होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। जो लोग राजनीति में काम करते हैं, उनकी कुछ परम्परायें हैं, और कुछ मान्यतायें हैं। हम और हमारा दल दोनों इस बात को कबूल करते हैं। हम जनतन्त्र में विश्वास करते हैं। मुझे इस बात का भी कष्ट है कि आज और कल जो घनटायें हुई हैं, उनसे इस जनतन्त्र को ठेस पहुंची है। यह मेरा निवेदन आपसे, नेता सदन से और सभी माननीय सदस्यों से है

[श्री कल्पनार्थासिंह]

कि उस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिये था। कल जब माननीय उप-गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया, उस पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। आदरणीय अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद जो वक्तव्य गृह मन्त्री ने दिया, उस पर अनुपूरक प्रश्न उनकी आज्ञा से पूछे जा सकते हैं। परन्तु मेरी ऐसी धारणा है कि जब कोई बयान आये, इस सदन में, तो इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का यह हक है कि अध्यक्ष की अनुमति से वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

स्वयं आपने जो एक मिनट वाली बात स्वीकार की है, उसको आप कृपया ध्यान में रखें।

श्री कल्पनार्थासिंह---

श्रीमन्, एक मिनट के बजाय दो मिनट भी हो सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

ऐसा है कि जो अनुदान पर बात चल रही है, तो नियमों के अनुसार कोई मैं ऐसा मौका नहीं दे सकता कि बीच में कोई ऐसी बहस शुरू हो जाय। लेकिन चूंकि एक विशिष्ट परिस्थिति से हम गुजरे थे, अतः विशेष रूप से दो मिनट का आपको मौका दिया, डेढ़ मिनट के करीब आप बोल चुके हैं, अब आप कृपया आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय झारखंडे राय जी ने भी प्रश्न कल किया था और मैं भी अपनी बात कह रहा था, पर बीच में बात टूट गयी। मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन को भी इस बात को नोटिस जरूर लेनी चाहिये। मैंने उस बात की तरफ माननीय नेता सदन का ध्यान भी आकर्षित किया है। आप देखें कि जब से हम नये सदस्य यहां चुन कर आये हैं, तब से बहुत सी घटनायें ऐसी हुई हैं जब कि माननीय सदस्यों को इंगित किया गया है.....

श्री अधिष्ठाता---

आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री कल्पनार्थासिंह---

वही तो मैं कहने जा रहा हूं, आप सुनिये तो। मैं यह समझता हूं कि जनतन्त्र की परम्पराओं की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि आज उस बात पर पुनर्विचार हो कि जो कल वक्तव्य माननीय उप गृह मन्त्री जी का हुआ और उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिये गये। माननीय गृह मन्त्री जी ने जो बात माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा के विपरीत कह दी उसको कार्यवाही से निकाल दिया गया होता, लेकिन आज तक उसको निकाला नहीं गया और न ही हमको अनुपूरक प्रश्न ही पूछने की इजाजत दी गयी। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं और जिस ग्रान्ट पर बहस होने वाली है उस पर बहस होने से पूर्व आप कृपया इस सवाल को ले लें, आप उसके लिये सक्षम हैं और माननीय उप-गृह मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री भी इसके लिये तैयार होंगे। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें.....

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें, तब तो मैं व्यवस्था दूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह चाहता हूं कि सद्भावना की बात यह है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है और खास तौर से इस बात की ओर कि जो घटना घटी उससे उनको दुख है और उससे प्रजातन्त्र को भी धक्का लग सकता है, उस पर इस माननीय सदन का हर सदस्य वही विचार रखता होगा और कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि प्रजातन्त्र की मान्यताओं को धक्का लगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है उस पर दोबारा अपनी रूलिंग देने के लिये मैं अपने को अधिकृत नहीं समझता और न मैं उस पर कोई रूलिंग दे सकता हूं। जो प्रश्न आपने उठाया वह आज ही इससे पहले भी उठाया जा चुका है और इस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था भी दे दी थी। यद्यपि इस विषय में मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं और सारा सदन भी सहमत होगा कि जिन भावों को आपने व्यक्त किया है वे उपयोगी हैं। सदन के बाहर माननीय सदस्य सोचें कि किस प्रकार से उसका हल निकल सकता है और फिर सदन उसको अपनी अनुमति दे सकता है। अब जो अनुदान चल रहा है, उस पर विचार किया जायगा। जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण अनुदान है, आशा है इस हाउस का शेष समय शांति के साथ उसके ऊपर विचार करने के लिये लगाया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

कार्यवाही तो चलेगी ही लेकिन अभी आपने कहा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को इससे इत्तिफाक होगा। तो अगर सम्मानित सदस्यों को....

श्री अधिष्ठाता—

आपकी राय के एक अंश से।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उसी अंश से जिस तरफ आपका इशारा था। तो इस ग्रान्ट के लेने के पहले इस बात पर आप सदन के माननीय सदस्यों की राय ले लें। इस ग्रान्ट को अभी आप वापस ले लें। यह सदन के मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, इस पर माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो जाने के बावजूद भी जो भी आदमी उस कुर्सी पर बैठता है उसको किसी भी प्वाइन्ट आफ आर्डर पर अपनी व्यवस्था देने का अधिकार है। तो आप नयी व्यवस्था देने में सक्षम हैं। इसलिये मेरा आपसे और माननीय नेता सदन से निवेदन है कि पहले सब लोग मिल कर इस बात पर विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

श्री कल्पनाथ सिंह जी, अब आपने अपनी बात कह दी ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

मेरा निवेदन यह है कि जिस सुरक्षा की ग्रान्ट पर बहस हो रही है, उसी से इसका सम्बन्ध है क्योंकि अगर सदन के माननीय सदस्यों के साथ इसी प्रकार से गुजरेगी तो एकता का वातावरण किस प्रकार से रह सकता है। मैं उस वातावरण को बनाये रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि उसमें सभी का सहयोग हो।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आशा करता था कि यहां आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब नियमों का अध्ययन करके ही कह रहे होंगे और मैंने भी, इस खयाल से कि यहां ऐसा हो सकता है, अपने नियमों के अध्ययन को पुनः ताजा करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि किसी भी नियम के अन्तर्गत मैं इस प्रकार के वाद-विवाद की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन यह मैं पुनः दुहरा सकता हूं कि सदन के सारे सदस्य, राजनैतिक दलों के नेतागण सब मिल कर इस समस्या पर चिन्तन करें और कोई तरीका उसके लिये निकालें बजाय इसके कि सदन में इस पर कोई वाद-विवाद हो। तो मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जिससे आपस में सामंजस्य हो, मेल जोल पैदा हो जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह, मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद, अगर ग्रान्ट पर बोलना चाहें तो बोलें लेकिन इस विषय में अब और कुछ न कहें।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

हम सब को नियमों के अनुसार ही तो चलना होगा।

श्री उग्रसेन--

नियम तो अध्यक्ष जी ने सब कूड़ाखाने में फेंक दिये। मटियामेट कर दिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उग्रसेन जी, कहीं से तो आपको शुरू करना ही होगा। जो लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे पहले नियमों का उल्लंघन न करें और आपको वह उदारता बरतनी चाहिये। मैं माननीय कल्पनाथ जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वे इस विषय में बाहर बातचीत करके कोई हल निकाल सकते हैं। बाहर इस पर विस्तार के साथ बातचीत हो सकती है।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं और वह यह कि सदन के नेतागण जिसमें नेता सदन भी हैं, उपनेता सदन भी हैं और माननीय सूचना मन्त्री जी भी हैं, ये सब लोग बैठ कर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। मैं यह भी कहता हूं कि इस पर विचार हो सकता है क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद नेता सदन ने कोई एतराज नहीं प्रकट किया, इससे ऐसा लगता है कि वे विचार करना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इस सदन को स्थगित कर दिया जाय और उन लोगों के विचार करने के बाद जब कोई नयी चीज सामने आवे, तब उसके बाद सदन चले।

श्री अधिष्ठाता--

करीब-करीब वही बात आप फिर कह रहे हैं। मैं आखिरी बार फिर कहता हूं कि जो अनुदान चल रहा है उससे और आपने जो बात कही उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अनुदान के चलते रहते हुए मैं चाहता हूं कि उस बात पर आप सदन के बाहर पहले बात कर लें और बाहर बात करके जो आपका लक्ष्य है उसमें एक दूसरे में सामंजस्य कर लें अच्छी तरह, तो वह हो सकता है। अब मैं यह चाहूंगा कि इस पर और कोई बात न हो।

श्री कल्पनाथसिंह--

वह सामंजस्य करा दें पहले। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि इस सदन को आज स्थगित कर दिया जाय और माननीय मुख्य मन्त्री जी नेता लोगों को बुला कर बात कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे खेद है कि सदन को स्थगित करने की बात जो आप कह रहे हैं, उसे न मैं उचित समझता हूं और न सामयिक ही। आजकल हम इमर्जेन्सी के समय से गुजर रहे हैं, एक-एक मिनट का काफी रुपये में मूल्य है। काफी समय हमारा आज सदन के विवाद में, और कार्यों में जा चुका है। मैं चाहता हूं कि अब जो शेष समय है उसका अच्छा से अच्छा उपयोग हो। इसलिये जो अनुदान प्रस्तुत है उस पर विवाद जारी रहे।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं श्रीमन् से निवेदन कर रहा था कि आप इस पर सोचेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

श्री कल्पनाथ सिंह जी, मैं आपसे आशा करता था और अब भी करता हूं....

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? मैं भी चाहता हूं और मेरा ऐसा ख्याल था कि सभी लोग आपस में बैठ कर कुछ विचार-विमर्श कर लेंगे और उसके बाद इस पर सोचेंगे तो शायद माननीय मुख्य मन्त्री जी को, आपको और इस सदन के माननीय सदस्यों को, सब को मेरी बात सही अपील कर जाय।

श्री अधिष्ठाता––

अगर एक ही बात कई बार कही जाय तो इसमें कोई शोभा नहीं मालूम होती और न इससे सदन की गरिमा व महिमा ही बढ़ती है। उस बात को आप पहले भी कह चुके हैं और जैसा कि मैंने बतलाया कि आपकी उस बात से और इस अनुदान से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अगर आप अपनी बात में उतनी मजबूती समझते हैं तो जैसा कि मैंने संकेत किया आप किसी और मार्ग पर चल सकते हैं, जिसमें सदन के सभी लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। अब यह अनुदान आज जारी रहेगा, इस पर आप बोलना चाहते हैं, तो बोलें।

श्री कल्पनाथसिंह––

सहयोग किस तरह से मिलेगा, यह बात मालूम होनी चाहिये।

श्री गंगासिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री कल्पनाथसिंह को आपने दो मिनट का समय दिया और पहले आपने उनको एक ही मिनट का समय दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। किसी को मैंने एक या दो मिनट का समय दिया तो अपने विवेक से उसे मैं ५ मिनट भी दे सकता हूं और यह मेरे अधिकार की बात है। अब कोई माननीय सदस्य इस अनुदान पर बोलना चाहते हैं?

श्री कल्पनाथसिंह––

श्रीमन्, इसका सम्बन्ध भी अनुदान से ही है। मेरा खयाल है कि अगर इस वातावरण को दूर नहीं किया जायगा तो सुरक्षा के काम को बहुत क्षति पहुंच सकती है।

श्री अधिष्ठाता––

सुरक्षा में नियमों की रक्षा करना भी शामिल है।

श्री कल्पनाथसिंह––

मैं चाहता हूं कि उसकी भी रक्षा हो, सदन की मर्यादा की भी रक्षा हो।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)––

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी जिस प्रश्न पर आपकी रूलिंग हो चुकी है, उस प्रश्न को बार-बार क्यों छेड़ा जाता है?

श्री अधिष्ठाता––

मेरा ध्यान उधर आकृष्ट किया गया है, मैं उसे देख रहा हूं। आप बैठें।

श्री कल्पनाथसिंह––

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आखिरकार इस सदन में कल भी मैंने कहा था।

श्री अधिष्ठाता––

श्री कल्पनाथ सिंह जी, आप नियमों के उपासक हैं और नियमों की रक्षा करना चाहते हैं, तो एक ही बात को बार-बार कहना ठीक नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

मैंने आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, मेरी बात आप जरा सुनें, मैं चाहता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता––

मैं ने तीन बार आपकी बात सुनी, आप वही बात कह रहे हैं....

श्री कल्पनाथसिंह––

मैं अब अपनी बात प्रह्लाद की तरह कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता--

पहले प्रह्लाद की तरह बनकर भी तो चलिये।

श्री कल्पनाथ सिंह--

नियम हमारे राम हैं और उन को तोड़ने वाले हिरण्यकश्यप हैं और मैं भगवान से जो यह सदन है प्रार्थना कर रहा हूं कि वह अवतार ले और सत्य की हमारी रक्षा करे। हम तो नियम भगवान की उपासना करेंगे और किसी हिरण्यकश्यप के अत्याचार बरदाश्त नहीं करेंगे.....

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आप के विचार अच्छे हो सकते हैं, आप ने प्रार्थना कर ली उसका असर जो कुछ होगा वह होगा, अब श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी अपने प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह--

आप ने श्रीमन्, त्रिपाठी जी को बुला लिया लेकिन यह प्रश्न अभी हल नहीं हुआ, जो सुरक्षा की प्रान्ट चल रही है जिस पर त्रिपाठी जी अपनी कटौती का उत्तर देंगे उससे उन की भी बड़ी जानकारी हो जायगी, वह उत्तर देने में सक्षम हो जायंगे। अतः आप अभी उसी बात पर सदन में यहीं विचार होने दें.....

श्री अधिष्ठाता--

मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह चुका हूं कि आपने जो प्रश्न उठाया उस पर मैं इससे अधिक कोई आज्ञा नहीं दे सकता, उस पर माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी और आप ने अब कोई नये कारण प्रस्तुत नहीं किये हैं। आप ने जो कुछ प्रस्तुत किया है उस पर विचार कर के मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। मैं आपसे और सारे सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन की गरिमा और महिमा को यदि आप कायम रखना चाहते हैं तो आप ही से उसकी शुरूआत होनी चाहिये उस की रक्षा की। रूलिंग हो चुकी तो बार-बार खड़े होना और कार्यवाही को न चलने देना और उसी को दोहराना जो कह चुके हैं अच्छी बात नहीं है और न इस से कोई लक्ष्य ही पूरा होगा।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, हम तो नियमों के उपासक बन कर सदन की कार्यवाही जल्द से जल्द चलाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान पर बोलना चाहता था लेकिन यहां का वातावरण कल से क्षुब्ध था इसलिये हम खड़े नहीं हुए और डुबकियां लेते रहे। लेकिन अब अगर आप की आज्ञा हो तो दस मिनट में अपनी बात कह ली जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप ५ मिनट में समाप्त कर लें और आवश्यकता होगी तो १,२ मिनट और दे दूंगा।

श्री दीपनारायण सिंह--

श्रीमन्, यहां आज एक नई घटना हुई है.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं जरा सी आप से प्रार्थना करना.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दीपनारायण जी अभी बैठें, माननीय त्रिपाठी जी कहें क्या कहना चाहते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आज अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस से माननीय मन्त्री महोदय भी सहमत होंगे कि सारे देश का सहयोग और समर्थन और सारे विरोधी दलों का समर्थन होना चाहिये। अगर्चे एक दो मेम्बर नाराजगी में कह सकते हैं कि हमें विरोधी दल की आवश्यकता नहीं और ऐसा सुनकर हम अपना दिल मसोस कर रह जाते हैं। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस में हम तो चाहते थे कि इस गम्भीर प्रश्न पर पहले विचार हो जाय ताकि हम सचमुच सहयोग दे सकें लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई हालांकि हमने बार-बार प्रार्थना की। लेकिन अब हम एक दूसरी प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आई है तो आज इस विषय को स्थगित कर के दूसरा विषय लिया जाय। हमारे विरोधी दल और दूसरे लोग भी ताकि समझ सकें और अपनी राय बना सकें और ठंडे दिल से सोचकर अच्छी परम्परा कायम कर सकें और सहयोग दे सकें। अतः प्रार्थना है कि आप इस विषय को स्थगित कर के अगला विषय आज ले लें, दूसरा अनुदान ले लें तो बड़ी कृपा होगी। इस में सब को सन्तोष होगा और अवसर मिलेगा, अभी हमें एक सेकिन्ड भर का अवसर नहीं मिला है कि हम माननीय मुख्य मन्त्री जी से या माननीय स्पीकर महोदय से इसके कुछ समय पहले कुछ शांतिपूर्वक बात कर सकते। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस अनुदान को स्थगित करके अगला अनुदान ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अध्यक्ष से कर चुके थे.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

यह कभी नहीं की थी कि इस अनुदान को स्थगित करके दूसरा अनुदान ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आप यह प्रार्थना कर चुके थे कि चूंकि आज वातावरण इजाजत नहीं देता था इसलिये सदन का काम स्थगित कर दें। उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप देखेंगे अब और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें सदन का शेष समय लगाया जाय। माननीय सदस्य समझ सकते हैं इसमें कितने धन का दुरुपयोग होता है। प्रश्न यह है कि शांत वातावरण में इसका विवाद होना चाहिये उसके लिये आप सहायता दे सकते हैं। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत वातावरण बनाने में सहायक हों और शेष समय के लिये उस वातावरण को बनाकर अच्छा वाद-विवाद हो सके इसमें आप सहायता दें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

तो श्रीमन्, हमारे लिये असम्भव है कि ऐसी परिस्थिति में हम बैठे रहें, इसलिये हम वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह कह गये थे कि २ बजे अपनी व्यवस्था में कुछ रिवाइज करेंगे तो वह बात अगर जाहिर हो जाती तो परिस्थिति साफ हो जाती। माननीय अध्यक्ष कह कर गये थे कि २ बजे कुछ संशोधन करेंगे, रिवाइज करके बतायेंगे। तो आप कृपा कर बता दें उसमें क्या हुआ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय अध्यक्ष ने उस समय कहा था जब ख्याल यह था कि हाउस १ बजे जैसे रोज होता है उस समय उठेगा उसके बाद बैठेंगे। बीच में ब्रेक हो चुका है और उसके बाद भी कुछ कह चुके, उसके बाद आप स्पष्टीकरण कर सकते थे। अब अगर कोई स्पष्टीकरण जानना चाहें तो कल कर सकते हैं।

श्री दीपनारायण सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, हम राष्ट्रीय संकट काल में हैं इस तथ्य को सभी मानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय संकट क्यों है इसको सोचा, और वह क्यों उत्पन्न हुआ? उसके कारणों को सोचकर ही ७ करोड़ से ऊपर की मद व्यय कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंटरी सिस्टम खतरे में है और बरबाद हो गया तो चीन का अधिनायकवाद या दूसरे प्रकार का अधिनायकवाद, चाहे अन्दर से आये या बाहर से पनपेगा और राष्ट्रीय संकट और बढ़ जायगा। इसलिये ऐसे समय में शासक दल का कर्तव्य हो जाता है कि उदारतापूर्वक इधर के लोगों को भी मौका दे और जो समाजवादी विचारधारा के लोग इधर हैं वह भी सहयोग का हाथ बढ़ायें। पहले हम स्वयं आदर्श बनें। अगर ५४ जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली असेम्बली और उसके सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री और उग्रसेन दोनों नहीं मिल सकते हैं संकटकालीन में तो प्रजातन्त्र खतरे में है। इसलिये शाम को दोनों मिलें और जो वातावरण यहां क्षुब्ध हो गया है उसको ठीक करने का प्रयास करें, यह मेरी विनम्र अपील है।

इसके बाद राष्ट्रीय संकट कहां से पैदा होता है। अगर हममें उत्साह है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। क्षुब्ध वातावरण में बोल कर मैं अपने विचारों को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहता। इसलिये सदन से बाहर जा रहा हूं।

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो अनुदान है यह पास ही नहीं हुआ। १ बजे तक आज दूसरी प्रक्रिया चल रही थी और आज दिन भर यही चलता रहा कि किनको निकाला जाय और किन को न निकाला जाय। सवाल यह है कि अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं या नहीं हैं। यह अविश्वास का प्रस्ताव लिखत-पढ़त में नहीं आया है लेकिन हम लोगों की मांग के जरिये आ चुका है। मुझे कहना यह है कि अध्यक्ष महोदय जिस अहिंसा के गर्भ से पैदा हुये हैं उसी पर रोज वह लात मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, मख्य मन्त्री मार रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता---

पहले एक बात आप सुनिये..

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मुझे कुछ नहीं सुनना।

श्री अधिष्ठाता ---

सुन तो लीजिये न...

श्री चन्द्रबलीसिंह ---

पहले मुझे कह लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता ---

इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता। एक बात का स्पष्टीकरण पहले कर दीजिये। जो भाषण हो रहा है उस पर आपत्ति आप करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो केवल उसी पर सीमित रहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह ---

उसपर भाषण करने का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह उचित है या अनुचित, यही सवाल है। वह अनुचित है। आप मदनमोहन वर्मा जी की कुर्सी पर बैठे हुये हैं। उनकी व्यवस्थाओं को आप नहीं बदल सकते। इसलिये आप में भी विश्वास नहीं है। आप उनके मनोनीत हैं। इसलिये आप में विश्वास नहीं है। आप जानते हैं कि डाक्टर जेड० ए० अहमद यहीं पर कानून तोड़ते हैं, अव्यवस्था पैदा करते हैं। यहीं पर राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे अव्यवस्था पैदा करते हैं, गैंदासिंह जी अव्यवस्था पैदा करते हैं।

श्री अधिष्ठाता ---

आप अपना स्थान ग्रहण करें या सदन छोड़ दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह ---

जहां तक स्थान ग्रहण करने की बात आप कहते हैं मुझे, आप में विश्वास नहीं है। आपके आदेश मानने का सवाल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता ---

मैं आपको इंगति करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि चन्द्रबली जी को १५ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता ---

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रबली सिंह को १५ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री चन्द्रबली सिंह को सदन से बाहर ले गये।)

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

यहां की व्यवस्था और यह सदन बिना अध्यक्ष के चलेगा नहीं और मैं तो कहता हू कि...

श्री अधिष्ठाता ---

आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जिसके लिये मैंने पहले इजाजत नहीं दी।

श्री शिवचरण---

मैं तो कहता हूं कि आप अधिष्ठाता नहीं हैं। मैं आपको अधिष्ठाता नहीं मानता।

श्री अधिष्ठाता ---

तो फिर आप भी सदन छोड़िये।

श्री शिवचरण---

मैं सदन को नहीं छोड़ूंगा।

श्री अधिष्ठाता ---

तो मैं शिवचरण जी के व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिवचरण जी को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री शिवचरण जी को सदन की सेवा से ७ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन —

मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

शिवचरण जी, आप कृपया सदन छोड़ दें।

(श्री शिवचरण के सदन न छोड़ने पर)

श्री अधिष्ठाता —

तो फिर मार्शल, उनको सदन से हटा दें।

(मार्शल ने श्री शिवचरण से सदन से बाहर जाने के लिये आग्रह किया परन्तु उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया। इसके उपरान्त श्री अधिष्ठाता के आदेश पर मार्शल, कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री शिवचरण को सदन से बाहर ले गये।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला बाराणसी)—

हम श्रीमन्, इस प्रकार निकाले जाने का विरोध इसलिये करते हैं कि जब आपने उनको इंगित किया तब नेता सदन ने उनको निकालने के लिये एक प्रस्ताव किया। उस समय सब लोग उपस्थित थे। हमारे नेता ने उसका विरोध किया था। आपने हमारे नेता के प्रस्ताव को सदन के मत के लिये नहीं प्रस्तुत किया।

श्री उग्रसेन —

जी हां मैंने किया था।

श्री रघुनाथसिंह —

पता नहीं कि जब से आज सुबह से निकालने की व्यवस्था की जा रही है, आप लोग खुद उस कुर्सी से अव्यवस्थायें कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टर रघुनाथसिंह, आप कृपा करके बैठें। आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जो कुछ सदन में आज हुआ उसको कदाचित आपने सुना नहीं। मैंने माननीय सदस्य को पहले इंगित किया। उसके बाद प्रस्ताव हुआ। उस पर, मत लिये गये। मत लेने के बाद मैंने निर्णय दे दिया।

श्री रघुनाथसिंह —

आपको माननीय उग्रसेन जी के प्रस्ताव पर भी मत लेना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता —

यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

बिना श्री उग्रसेन जी के प्रस्ताव को रखे हुये आपने कैसे जान लिया कि उनके प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत नहीं था। यह आपने कैसे निर्णय कर लिया कि वह प्रस्ताव पास नहीं होगा? आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। यह परम्परा रही है कि जो प्रस्ताव आते हैं और उसके विरोध में जो प्रस्ताव आते हैं वह भी रखे जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता —

न ऐसी परम्परा है और न ऐसा कोई नियम ही है।

श्री रघुनाथसिंह —

तो न किसी प्रस्ताव का विरोध होना चाहिये और न उस पर मत लिया जा सकता है। आप यहां जानते हैं कि यहां जो कटौती के प्रस्ताव पेश होते हैं उस पर कटौती का प्रस्ताव आता है उस पर मत लिया जाता है और सदन का समय बरबाद किया जाता है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था की अवहेलना का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता —

अगर आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो सुनिये।

श्री रघुनाथसिंह —

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जब वोटिंग हुई उस समय उग्रसेन जी ने डिवीजन मांगा।

श्री उग्रसेन —

मैंने डिवीजन मांगा था।

श्री रघुनाथसिंह —

तो जरा यह बता दें कि आपने डिवीजन क्यों नहीं दिया ?

श्री उग्रसेन —

क्या मन्त्री जी की भावना से आप प्रेरित हैं ? माननीय अध्यक्ष जब सबेरे आपकी कुर्सी पर विराजमान थे तब उन्होंने सब तो नहीं एक दफा विभाजन भी दे दिया था। तो आप भी एक दे कर जरा उसमें अपना नाम लिखा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता —

अगर आपने स्पष्ट आग्रह किया होता तो मैं विभाजन तो दे देता। वह समय गुजर चुका।

श्री उग्रसेन —

पूछ लीजिये उनसे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भी कर दीजिये कम से कम एक बार कहीं यह न लिखा जाय कि आपने एक भी निवेदन स्वीकार नहीं किया।

श्री रघुनाथसिंह —

आपने जो यह कहा कि वह समय गुजर चुका है तो वह तो आपकी असावधानी से गुजरा, इनकी असावधानी से नहीं गुजरा, इसलिये मैं आपकी व्यवस्था का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता —

मेरा अधिकार था ...

श्री रघुनाथसिंह —

गलती किधर से हुई ?

श्री अधिष्ठाता —

गलती हुई नहीं इसलिये कि नियमों में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है। माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री कल्पनाथसिंह —

मुख्य मंत्री जी को आप किस बात पर बुला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, कृपया एक मिनट के लिये आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय रघुनाथसिंह जी, मैंने व्यवस्था दे दी, अब आप दुर्व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

आपने कहा कि समय बीत चुका है। तो यह आपकी गलती से हुआ, इनकी गलती से नहीं। एक के बाद एक गलती आपकी तरफ से हो रही है।

श्री अधिष्ठाता---

साधारण सौजन्य की भाषा को अगर आप इतना गलत समझे, माननीय उग्रसेन जी आपके नेता खड़े हुये थे। मैंने उनको कहा कि अगर आप इतना ही आग्रह करते तो उस समय उस पर विचार किया जा सकता था।

श्री रघुनाथसिंह---

इसके माने यह हैं कि हम लोग झूठ कह रहे हैं। उन्होंने समय से मांग की थी....

श्री अधिष्ठाता---

मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता हूं।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं आपकी व्यवस्था का विरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा ---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रघुनाथसिंह ---

पहले आप मेरी बात का निर्णय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता ---

अब आप दुर्व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि फिर मैं आपको इंगित करता हूं।

श्री रघुनाथसिंह---

आप बिल्कुल दुखी न हों। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त ---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रघुनाथसिंह को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उग्रसेन ---

मैं यह संशोधन रखता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एक महीने के लिये सदन से निष्कासित किये जायं।

श्री अधिष्ठाता---

यह बिल्कुल आउट आफ आर्डर है, अनियमित है।

प्रश्न यह है कि माननीय रघुनाथसिंह को ७ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रघुनाथसिंह जी, आप सदन छोड़ दें। (श्री रघुनाथ सिंह के सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय रघुनाथ सिंह को सदन से बाहर कर दें।

(मार्शल के आग्रह पर श्री रघुनाथसिंह सदन से बाहर चले गये।)

१९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिय मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४६---राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय...

श्री नेकराम शर्मा —

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने माननीय दीपनारायण सिंह जी को बोलने के लिये आज्ञा दी थी। लेकिन वे चले गये हैं और बोलने के लिये मना भी नहीं कर गये हैं। हो सकता है कि वे नेचुरल काल के लिये गये हों। उनके आने तक उनकी प्रतीक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता —

आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त —

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता —

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ७,०९,३२,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत)

श्री भगवान दीन (जिला रायबरेली) —

श्रीमन्, यह सरकार बड़ी बेईमान है, अन्याय कर रही है और अन्यायी सरकार है।

श्री अधिष्ठाता —

मैं आपको यह कहने की इजाजत नहीं दे सकता। या तो आप आसन ग्रहण करें या सदन छोड़ें। (श्री भगवानदीन के सदन न छोड़ने पर) मैं आपको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय भगवानदीन जी को एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता —

प्रश्न यह है कि माननीय भगवानदीन जी को एक सप्ताह के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता —

माननीय भगवानदीन आप सदन छोड़ें। (श्री भगवानदीन के सदन न छोड़ने पर) मार्शल श्री भगवानदीन को सदन से बाहर कर दें।

(श्री अधिष्ठाता की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री भगवानदीन को सदन से बाहर ले गये।)

श्री उग्रसेन —

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री अधिष्ठाता —

माननीय उग्रसेन जी, इस अनुदान पर कोई विवाद नहीं होना है।

श्री उग्रसेन —

माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही रद्द कर दी है। जब तक वह ठीक नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

श्री अधिष्ठाता ---

आप अपना आसन ग्रहण करें या सदन छोड़ें। (श्री उग्रसेन के सदन न छोड़ने पर) अगर सदन नहीं छोड़ेंगे तो मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन ---

मैं सदन से कहना चाहता हूं कि...

श्री अधिष्ठाता ---

मैं माननीय उग्रसेन जी को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उग्रसेन जी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता ---

प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन जी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मार्शल ने श्री उग्रसेन से सदन के बाहर जाने के लिये आग्रह किया, परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। तदुपरान्त श्री अधिष्ठाता की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री उग्रसेन को सदन से बाहर ले गये।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी बात सुन लें, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। उसको आप सुन लें उसके बाद व्यवस्था दे दें। जो आपकी आज्ञा होगी शिरोधार्य होगी। आप गम्भीरता से सुन लें और शासक पार्टी से कह दें कि वह बीच में हमें रोकें नहीं।

श्री अधिष्ठाता ---

शासक पार्टी नहीं रोकेगी। अगर कोई रोकेगा तो मैं रोकूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा दुख है आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने पूरी रात हाउस आफ कामन्स की रूलिंग पढ़ी। हाउस आफ कामन्स के किसी भी अध्यक्ष ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया है। श्रीमन्, बहुमत का निर्णय मान्य होता है परन्तु अल्पमत को बोलने की आजादी होती है। माननीय काशीनाथ ने २९१(१) का प्रश्न उठाया तो माननीय मदनमोहन वर्मा ने सुना नहीं।

श्री अधिष्ठाता ---

माननीय राधेश्याम जी, जो आपने आश्वासन दिया था उससे आगे जा रहे हैं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा ---

जिस प्रकार से यह व्यवस्था इस सदन में हुई, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी कुर्सी पर माननीय टंडन जी बैठते थे। तब मुस्लिम लीग का विरोधी दल था। हम तो राष्ट्रवादी हैं और उनसे कम जेल नहीं गये हैं।

श्री अधिष्ठाता ---

मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप अपना स्थान ग्रहण करें या सदन छोड़ें। अगर सदन नहीं छोड़ेंगे तो मुझे इंगित करना पड़ेगा। (श्रीराधेश्याम शर्मा के बराबर बोलते रहने पर) मैं माननीय राधेश्याम शर्मा को इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त ---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय राधेश्याम जी को सदन की सेवा से १५ दिन के लिए निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय राधेश्याम शर्मा को सदन की सेवा से १५ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मार्शल ने श्री राधेश्याम शर्मा से सदन से बाहर जाने के लिये आग्रह किया परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। तदुपरान्त श्री अधिष्ठाता की आज्ञा पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री राधेश्याम शर्मा को सदन से बाहर ले गये।)

श्री उमाशंकर —

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता —

प्रार्थना तो है नहीं, अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से उमाशंकर जी से निवेदन करूंगा कि इस झमेले में वह कहां से आ गये, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह कृपा करके बैठें।

श्री उमाशंकर —

एक प्रार्थना मेरी सुन लीजिये। यह गवर्नमेंट है, ताकतवर है, यह लोग थोड़े से आदमी थे, गवर्नमेंट को जरा दब के रहना चाहिए था। लेकिन अब बड़ी ज्यादती हो गई है और मैं प्रार्थना करूंगा कि अब सुचारु रूप से कार्य जैसे हो वैसे चलने दें यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अधिष्ठाता —

यह आपकी बड़ी अच्छी प्रार्थना है और मैं समझता हूं कि सब लोग इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

हम लोग इसके विरोध में निर्दलीय दल के सभी सदस्य वाक आउट करते हैं शेष समय के लिये।

(श्री नेकराम शर्मा ने अपने निर्दलीय दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) —

हम भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(श्री बनवारीलाल विप्र ने सदन का परित्याग किया।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा) —

मैं व्यवस्था का सवाल उठाता हूं कि आज सुबह से जब से यह सदन शुरू हुआ है, आज हमारे सामन राष्ट्रीय संकट का अनुदान था और बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, उसके ऊपर आज सुबह से जो हंगामा हो रहा है, उसके लिये मुझे कम से कम बड़ा दुख है और संयुक्त समाजवादी दल की तरफ से जो नियमों की अवहेलना का सवाल था उस पर अध्यक्ष महोदय को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये था और ट्रेजरी बेंचेज के जो मुख्य मन्त्री हैं या शासक दल के लोग हैं उनको भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये था। आज इस संकटकालीन वक्त में इस तरह से हम लोग हसी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक दिन में निलम्बित करें तो मैं समझता हूं कि हम लोग यह गणतन्त्र की कब्र खोद रहे हैं और गणतन्त्र के लिये यह अच्छा नही है। इस डिसेंट के साथ और इस प्रोटेस्ट के साथ मैं अपने दल के साथ दस मिनट के लिये वाक आउट करता हूं।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु ने रिपब्लिकन दल के अन्य सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०–आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिपारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १०––आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,७८,५४,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या १०––आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,७८,५४,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२–अभियंत्रण इंजीनियरिंग संस्थायें

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३२––अभियन्त्रण इंजीनियरिंग संस्थाएं के अन्तर्गत ७१,२८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३२––अभियन्त्रण इंजीनियरिंग संस्थाएं के अन्तर्गत ७१,२८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,१२,३३,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान पर स्वतः प्रारम्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे तो उनके उत्तर में अन्त में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) ––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि उस पर आप मुझे कटौती के प्रस्ताव को मूव करने की आज्ञा दें।

श्री अधिष्ठाता––

जो विशेष परिस्थिति है, उसमें मैं आपको इसके लिये अनुमति देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, आज एक विशेष परिस्थिति में यह सदन अपनी कार्यवाही कर रहा है। मुझे इस बात का खेद है कि आज एक ऐसी विशेष परिस्थिति सदन के अन्दर उपस्थित हो गई जब कि एक ऐसे अनुदान पर हम विचार कर रहे थे जो हमारी इस विशेष परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण अनुदान था और जब कि पूरे राष्ट्र के अन्दर इस बात की चिन्ता थी और पूरा राष्ट्र इस बात में जुटा हुआ था कि जो राष्ट्रीय संकट हमारे देश में उपस्थित हो गया है हम उसके ऊपर विचार करें। आज हम इस बात में जुटे हैं कि राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये सारे राष्ट्र को सूत्रबद्ध करें और अपनी सारी शक्ति और सारे साधन जुटाकर अपने राष्ट्र की कमजोरियों को दूर करें कि जिन कमजोरियों की वजह से हमारे राष्ट्र को चीन के मुकाबले में अपनी सीमाओं पर पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद राष्ट्र ने जो दृढ़ संकल्प और जिस एकता का परिचय दिया उससे पूरे देश को पूरी शक्ति मिली और राष्ट्र संगठन की तरफ बढ़ा। जो हमारी राष्ट्रीय नीति थी उसको लागू करने के बाद हमने जिन मौलिक नीतियों को नहीं छोड़ा वे नीतियां हमारी सरकार अपनाकर बराबर १५ साल से काम करती चली आ रही हैं। वे हमारे राष्ट्रीय नीतियां और परम्परायें ऐसी रहीं कि जिनकी वजह से न केवल राष्ट्रीय मर्यादा हमारी संसार में बढ़ी बल्कि दुनिया के अनुभव और तजुर्बे ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वे हमारी राष्ट्रीय नीतियां मौलिक रूप से सही राष्ट्रीय नीतियां थीं। जो हमारी कमजोरियां हो सकती हैं उन कमजोरियों को हमको अनुभव और तजुर्बे से दूर करना है उन नीतियों को अपनाकर जिनको हमने अभी तक मौलिक रूप से सही माना है लेकिन जब हम इस सदन में ऐसे अनुदान पर विचार कर रहे थे तो मैं इस बात का खेद प्रकाश किये बिना नहीं रह सकता कि एक कालेज की व्यवस्था को लेकर हमने उस राष्ट्रीय संकट के महत्व को भुला दिया। एक साधारण कालेज की व्यवस्था के अन्दर गड़बड़ हो सकती है। उसके अन्दर एक मतभेद हो सकता है। सरकार ने जो जवाब दिया उससे सहमति या असहमति हो सकती है लेकिन उसको एक इतना बड़ा ईश्यु बनाकर इमरजेन्सी को भुला दिया जाय और सदन के अन्दर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाय तो मैं इसके ऊपर गहरी चिन्ता प्रकट करता हूं और अफसोस जाहिर करता हूं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इस विशेष परिस्थिति का असर, जो इस सदन के अन्दर पैदा हुई हैं, सारे प्रदेश पर ही नहीं पड़ेगा बाल्कि ४३ करोड़ जनता के ऊपर भी पड़ेगा। जिसकी गणतन्त्र में गहरी आस्था है और जो यह चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हों और संसार में गणतन्त्र के द्वारा राष्ट्र मजबूत हों उन सब का ध्यान इस तरफ जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री और सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि हमें इस बात पर फिर सोचना चाहिये और हमने शुरू में इस बात की चेष्टा की कि कुछ परम्परायें हम कायम करें, कुछ कोड बनायें जिनके ऊपर चलकर हम सदन में मर्यादानुसार जनतांत्रिक व्यवस्था कायम करें। आज हम सामान्य प्रशासन पर विचार कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन अगर असेम्बली और पार्लियामेन्ट के अन्तर्गत सही काम न करेगा तो उससे ऐसी भावना पैदा होगी जिससे जनता पर यह प्रभाव पड़े और वह यह सोचे कि विधान के अन्दर काम करनेवाले मन्दिर से अच्छी परम्परा नहीं निकलती है, इससे सारा प्रशासन कमजोर होगा। सारे प्रशासन पर उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिये इस प्रशासन पर अपनी राय देते समय मैं बहुत गंभीरता से विचार करता हूं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले १५ सालों में हमें प्रशासन की बहुत सी कमजोरियाँ देखने को मिलीं और हमने इस सदन में बहुत से राय मशविरे दिये। सरकार ने कुछ को माना है, कुछ को नहीं माना। हमारे उससे मतभेद होते हैं और मैं समझता हूं कि जो प्रशासन है इस प्रदेश में वह इसके अनुरूप नहीं है। जो घोषणायें हमने संविधान में की हैं, जो मान्यतायें हमने प्रदेश और देश में बनायी हैं, यह प्रशासन उनके अनुरूप नहीं है। हमने वैधानिक तरीके से प्लान्ड इकानामी की घोषणा की है और एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में हम अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने समाजवाद की घोषणा की है, डेमोक्रेटिक प्रणाली में अपनी आस्था जाहिर की है, लेकिन हमारा प्रशासन उसके अनुकूल नहीं बन पाया है। हमने इस के लिये कमेटियां बैठायीं कमीशन बैठायें, हमने कहा कि चूंकि देश में जनवादी व्यवस्था है इसलिये यह ब्योरोक्रेटिक ढांचा

[श्री चन्द्रजीत यादव]

काम नहीं कर सकता, उसमें हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि उन मान्यताओं को प्राप्त करने में हम सफल हो सकें। लेकिन, श्रीमन्, बावजूद हमारे प्रयासों के हमारे शासन में काफी बड़ी नौकरशाही की जहनियत मौजूद है। हमारा शासन आज भी उन मान्यताओं के अनुकूल नहीं चल पा रहा है। हमने कहा कि हम यहां समाजवाद की स्थापना करेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसा करना है तो हमको अपने प्रशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके लिये आवश्यक है कि प्रशासन में जिम्मेदार लोगों को हम उचित शिक्षा दें, उनका जो केडर है उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इस प्रकार करें कि उन मान्यताओं में उनको आस्था हो। जब तक शासन चलाने वाले कर्मचारी समाजवाद के सिद्धांतों और उसकी मान्यताओं को नहीं समझते, उनके अनुकूल अपने को नहीं बनाते तब तक केवल हमारी घोषणाओं से और संविधान में उसकी व्यवस्था कर देने से ही हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमारी मशीनरी पुरानी है और विरासत में मिली है। उस समय संसदीय नियमों और परम्पराओं का कोई महत्व नहीं था और न हमारे सामने यह लक्ष्य ही था। हमने यह लक्ष्य घोषित किया, लेकिन हमारी मशीनरी में उसके अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उन ट्रेनिंग कालेजेज में जहां से पी० सी० एस० या आई० ए० एस० के कैडर के लोग निकलते हैं उनके कोर्सेज में आमूल परिवर्तन किया जाय। उनको पूरी जानकारी होनी चाहिये कि प्लान्ड इकानामी क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का समन्वय कैसे होगा? जब तक इसकी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती तब तक हमारा निश्चित रूप से यह यकीन है कि केवल घोषणाओं से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

दूसरी बात मैंने शुरू में कही थी कि हमारा शासन काफी खर्चीला है। हमको शासन का खर्च कम करना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि जब हम प्लान्ड इकानामी करते हैं और उसके लिये हम मशीनरी तैयार करते हैं तो उसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वह इतनी नहीं बढ़नी चाहिये कि जो रुपया दूसरे जरूरी कामों पर लगाना चाहिये वह केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लगने लगे। जब मैं आम बजट पर बोल रहा था उस समय मैंने कहा था कि हमारे बजट का ४० प्रतिशत रुपया सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर, महंगाई भत्ते पर, सफर खर्च पर खर्च होता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय २७ या २८ फीसदी की बात की ही थी, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि उसके बाद जब मैंने बजट को देखा, उसकी गणना की और एक एक विभाग को लेकर मैंने देखा तो मैं यह कहने में हिचकता नहीं कि आज हमारे बजट का करीब करीब आधा रुपया केवल वेतन पर, महंगाई भत्ते पर और सफर खर्च होता है। मैं समझता हूं कि इसकी चारों ओर से आलोचना की गई। हमने बराबर इस बात को कहा है कि एड-मिनिस्ट्रेशन में इकानामी होनी चाहिये और बढ़े हुये खर्चे हैं, उनमें कमी होनी चाहिये। हमारे इस गरीब देश में जो ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले हैं, उनकी तनख्वाहें कम होनी चाहिये। हमने शुरू से ही इस बात को कहा है कि एक हजार से ऊपर किसी का वेतन नहीं होना चाहिये, चाहे उनका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर पिछले मंत्रिमंडल में यह निर्णय किया गया कि एक हजार तक या उससे कम वेतन लेंगे। कोई भी मंत्री एक हजार से ऊपर वेतन नहीं लेंगे। इस बात को हमें हिम्मत करके अपने प्रशासन में लागू करना चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि, जो ऊंची तनख्वाह और कम तनख्वाह पाने वालों में भेद भाव है, वह कम होना चाहिये। जो छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वालों का बुरा असर पड़ता है। आप देखें कि लाखों कर्मचारी ऐसे हैं, जो कि कम वेतन पाते हैं। वह सही माने में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। क्षमता घटती जा रही है। जो जीवन के लिये आवश्यक वस्तुयें हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उस अनुपात के अनुरूप उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है। छोटी तनख्वाह पाने वालों में उससे असंतोष की भावना व्याप्त होती जा रही है। इन सब बातों का प्रभाव, उनके काम करने के तरीके पर उनकी क्षमता पर पड़ता है। सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिये कि सबसे ऊंची तनख्वाह पाने वालों में और सबसे कम तनख्वाह पाने वालों में अन्तर कम हो।

एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकारी विभागों में जितना समन्वय और कोआर्डिनेशन होना चाहिये, वह आज नहीं है। यह लैक आफ कोआर्डिनेशन इस देश की डेवलपिंग इकानामी के लिये सहायक नहीं है और इसको प्रशासन में एकदम समाप्त किया जाना चाहिये। जो देश अपनी अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिये कोशिश कर रहा हो, अगर उसके विभागों में समन्वय नहीं होगा, और एक दूसरे के काम में रुकावट पड़ती जायगी, तो इससे देश का भला नहीं हो सकता है और हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती है। आप देखें कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ ऐसी कमेटियां बनाई हैं, कि वह मिल जुल कर इस बात की जांच पड़ताल करें, कि विभागों में कैसे समन्वय लाया जा सकता है। प्रदेश के अन्दर भी ऐसी ही कमेटियों का निर्माण राज्य सरकारों को भी करना चाहिये, जो इस बात में आगे कदम बढ़ा सकें। खासतौर से जिन विभागों का गहरा ताल्लुक होता है, वह अपने काम को कैसे जल्दी से कर सकें, इस बात पर सरकार का ध्यान जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रशासन के अन्दर कुछ ऐसी जगहें हैं, जो फिजूल की हैं और बड़ा वेतन देने के लिये ही उनका निर्माण किया जाता है। हमारी सरकार के अन्दर ऐसे सेक्रेटरीज हैं, जिनको कि कमिश्नर का पद दे दिया जाता है। दूसरी जगह रिक्त नहीं होती है, लेकिन उनको सेक्रेटरी और कमिश्नर का ये दोनों ही पद इसलिये दे दिये जाते हैं ताकि उनको सेक्रेटरी और कमिश्नर दोनों का ही वेतन मिल सके। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो बड़े ऊंचे पद और वेतन हैं, इनको समाप्त किया जाना चाहिये। आज कमिश्नरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा की गई है कि जो जिला परिषद् बनेंगी, वह अपने जिले की सर्वोच्च इकाई होंगी। जनतन्त्र के अन्दर आज हम काफी अधिकार जिला परिषदों के अध्यक्षों को देने जा रहे हैं। ऐसा करके जनतन्त्र की परम्परा को हम मजबूत करेंगे। जिलाधीश के अधिकार इससे कम होंगे और जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार बढ़ेंगे। इससे वह और अधिक मुस्तैदी के साथ काम कर सकेंगे। हम कमिश्नर के पद को रखें और यह कमिश्नरियां जो कि पहले प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई समझी जाती थीं, उनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी आज कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कमिश्नरों के पद को समाप्त करना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात मैं और लालफीता शाही के बारे में कहना चाहता हूं। शासन के अन्दर काम करने के आज वही पुराने तौर तरीके बने हुये हैं। एक कागज पर नोट चलता है, वह फिर कहां कहां जाता है उसका पता ही नहीं चलता। हम लोग अगर किसी कागज का पता लगाने लगते हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि वह किस आफिसर के पास है। एक फाइल ढूंढ़ने में हफ्तों लग जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि फाइल अन्डर सेक्रेटरी के यहां है, या डिप्टी सेक्रेटरी के यहां है, या अधीक्षक के यहां है। यह गलत परम्परा है, घातक परम्परा है, इसमें कोई न कोई अवश्य परिवर्तन करना चाहिये ताकि यह रेडटेपिज्म दूर हो।

श्रीमन्, मैं इस पर और अधिक समय नहीं लेना चाहता। सरकार ने कुछ कामों में संशोधन करने की चेष्टा की है, परन्तु बावजूद उसके उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। आज हमें वह तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है जिससे कार्य में प्रगति हो, खर्चे में कमी हो, और लालफीताशाही का अन्त हो।

इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिये जो इन तमाम बातों पर गौर करे और इन बढ़ती हुई समस्याओं को सामने रखकर, बदलते हुये जनवादीकरण के अनुरूप अपने सुझाव पेश करे। मैं अपने भाषण को यह कह कर समाप्त करता हूं कि सरकार इस संकटकाल के समय जो हमने सुझाव रखे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री मैनेजरसिंह के निष्कासन पर आपत्ति तथा अन्य सदस्यों का निष्कासन (क्रमागत्)

श्री पितईराम (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, हमारी पार्टी के आज इतने सदस्य निकाले गये, यह बड़ा अन्याय है. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री पितईराम—

नहीं, हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है. . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके लिये यह मौका नहीं है। आप कृपया बैठें। (श्री पितईराम के न बैठने पर) आप अगर नहीं बैठते तो कृपया सदन छोड़ें।

श्री पितईराम—

नहीं छोड़ेंगे। नहीं बैठेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप यदि नहीं बैठते और सदन नहीं छोड़ते, तो मैं आपको इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय पितईराम को ४ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय पितईराम को ४ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पितईराम, आप ४ दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये गये। आप कृपया सदन छोड़ें।

(सदन न छोड़ने पर श्री अधिष्ठाता ने मार्शल को श्री पितईराम को सदन से बाहर ले जाने की आज्ञा दी। श्री अधिष्ठाता के आदेश पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री पितईराम को सदन के बाहर ले गये।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ९–सामान्य प्रशासन (क्रमागत)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन के अनुदान पर मैं बोलने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं सामान्य प्रशासन के खास विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करूं, मुझे आपके माध्यम से अपने मुख्य मंत्री एवं प्रान्तीय सरकार का ध्यान एक उत्पन्न विशेष परिस्थिति की ओर दिलाना है। अधिष्ठाता महोदय, आप और यह सदन एक लम्बे अरसे से बराबर यह देखते चले आ रहे हैं कि कुछ पार्टियां और विशेषकर कुछ व्यक्ति इस प्रदेश में एक प्रकार का संकट खड़ा कर रहे हैं जो एक आंतरिक संकट है। उसके पीछे एक विशेष मकसद छिपा हुआ है और वह यह है कि संसार का इतिहास, यूरोप का इतिहास, इस प्रदेश में आंखों के सामने मौजूद है। जिस प्रकार सोशल डैमोक्रेट्स ने यूरोप और संसार को चोट दी है और जिस तरह से उन्होंने फासिज्म को संसार के सामने प्रस्तुत किया है वही एक नगण्य दृश्य आज दिन भर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इसका सामान्य प्रशासन से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इनका लक्ष्य प्रजातंत्र की हत्या करना है। और कोई दूसरी बात नहीं है। गणतंत्र को जिस तरह से ये ठोकर पहुंचा रहे हैं, गणतंत्र को जैसे इन्होंने सोचा है, विचारा है और जिस तरह से गणतंत्र के महत्व को चोट पहुंचाने का लक्ष्य उन्होंने बनाया है, उसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। मैं सरकार को यह चेतावनी

देता हूं। सदन के अन्दर और बाहर अगर यह तरीका इनका जारी रहा तो क्या परिणाम निकलेंगे, इसकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री को असावधान नहीं रहना है। जनतंत्र की रक्षा के लिये बहुमत ने आपको शक्ति दी है, आपके हाथ में शासन की बागडोर दी है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे। आपके हाथों को सख्ती से काम करना पड़ेगा, तभी गणतन्त्र की रक्षा हो सकती है। यह मेरा विचार है।

सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अभी कुछ बातें माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहीं। आज मुझे ही क्या, पूरे सदन को इस बात पर दुख है कि जो घटनायें सुबह से घटी हैं, मैं समझता हूं कि यह सदन इस मूडमें नहीं है कि उन पर गम्भीरता से विचार कर सके लेकिन मेरा दिमाग सही है, मैं अपनी जगह पर हूं। (हंसी) मुझे आपसे यह कहना है कि सामान्य प्रशासन का इकाई से लेकर मुख्य मंत्री तक सम्बन्ध है। अगर गांव का यूनिट मुख्य मंत्री तक मिलजुल कर चलेगा, तभी सामान्य प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी योजनायें अच्छी तरह से अमल में आ सकती हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि सामान्य प्रशासन में सारी बातें छिपी हुई हैं। अगर नागरिक सुरक्षा में, सिंचाई में, कृषि में, किसी में भी ढिलाई होगी तो हमारी उन्नति में बाधा पड़ेगी। कुछ बाधायें हैं। जिस तरह से इंडियन नैशनल कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना अपना लक्ष्य बनाया है, मैं आपके सामने विशेष तरीके से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये जगह जगह पर सहयोग में कुछ कमी है और उसके कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रान्तीय सरकार की ओर से कुछ आज्ञायें निकलती हैं। उनकी तामील पूरे तरीके से अगर इकाई तक हो जाय तो जितनी योजनायें चल रही हैं वे पूरे तरीके से १ वर्ष में पूरी हो सकती हैं। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम असेम्बली के सदस्य आप तक रोजाना नहीं पहुंच सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, होम सेक्रेटरीज के पास पहुंचते हैं अपनी दिक्कतें उन्हें सुनाने के लिये। आप एक ऐसी कमेटी बना दें ताकि जिले जिले की अड़चनें पहुंचें जो वहां स्क्रूटिनी की जाय और उसके बाद वे आपके पास पहुंचे और उनका निराकरण हो। हम २५०, २७५ व्यक्ति अपनी बात लेकर आपके अधिकारियों के पास दौड़ें, यह प्रश्न बड़ा अहम है। रोजाना की दिक्कतों को हल करने के लिये आप एक ऐसी कमेटी बनादें जिसके सामने हम अपनी दिक्कतों को रख सकें।

एक दूसरा मश्विरा मेरा यह है कि कहीं कहीं अधिकारियों में और हम कार्यकर्त्ताओं में मतभेद हैं, उन्हें दूर करने के लिये आपका और हमारे संगठन का क्या तरीका हो, इस पर भी आपको सोचना होगा। सामान्य प्रशासन बहुत खूबी से चल रहा है लेकिन आप थोड़ा सा मौका निकाल कर देंगे तो मेरा विश्वास है कि सारी समस्यायें हल हो सकती हैं।

तीसरी बात यह है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो शक्ति नीचे की इकाइयों को प्रदान की जा रही है उसमें भी जगह जगह कुछ अड़चनें पैदा हो गई हैं। उन पर भी विचार करना होगा। जिस तरह से ग्राम पंचायतें हैं, उनके ऊपर ब्लाक्स हैं और परिषदें हैं ये तीन टुकड़े हैं, उनमें कुछ अड़चनें हैं, आपस में पार्टियों के नाते और दूसरे किस्म की। तो मैं यह चाहता हूं कि कि इन विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। जिला परिषदों के जो अध्यक्ष काम कर रहे हैं वह तो आप को मालूम ही है। जिला परिषद्, ब्लाक्स, और ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो काम हो रहा है उसके प्रशासन को आपको और सुदृढ़ बनाना है। वैसे बनाया तो जा ही रहा है। इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं। आखिर में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय का ध्यान फिर इन हरकतों की ओर आकर्षित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत जी यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को गम्भीरतापूर्वक समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे माननीय सदन में जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल]

कल से आज ३ बजे तक विषाक्त वातावरण रहा, उसको मैंने देखा, मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं । गलती किस की है मैं इस विषय में इस समय नहीं पड़ता लेकिन खेद अवश्य प्रकट करता हूं । आखिर इस तरह की दुर्घटनायें क्यों होती हैं ? इस चीज के भीतर हमें और आप सभी को जाने की आवश्यकता है । उसके बारे में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखता हूं ।

जैसा कि हमारे चोटी पर के नेतागण कहते हैं हमारा यह राज्य कल्याणकारी राज्य है । यह मैं भी मानता हूं लेकिन यहां कहां तक लागू है यह देखना है । जिस प्रकार की चीजें हमारे बीच में हो रही हैं वे कल्याणकारी राज्य के लिये कहां तक सहायक होंगी, इस पर भी हमें विचार करना होगा । श्रीमन्, सभी जगह जनतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विरोधीदल होता है, लेकिन श्रीमन्, हमने इतिहास देश और विदेश का पढ़ा लेकिन इस प्रकार का वातावरण न कहीं का देखा और न पढ़ा, जैसा कि यहां की असेम्बली में और पार्लियामेंट में आये दिन हुआ करता है ।

श्री अधिष्ठाता--

श्यामलाल जी, आप अब अनुदान पर आ जाइये ।

श्री श्यामलाल--

मैं उसी पर आ रहा हूं । हमारे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । यही कारण है कि जब हम उसका विरोध करते हैं तो हमें उसका उत्तर संतोषजनक नहीं दिया जाता । जब हम उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है । हमारी जबान पर ताला लगा दिया जाता है । जनतंत्र प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो आलोचना की जाय उसको शान्ति से सुना जाय । सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल की एक एक आलोचना गम्भीरतापूर्वक सुननी चाहिये । अगर किसी असेम्बली या पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ दल विरोधी दल की आलोचनाओं को सुनने में आनाकानी करता है तो मैं कहता हूं कि उस देश और प्रदेश का जनतंत्र खतरे में है ।

आज सामान्य प्रशासन के अनुदान पर जो विवाद चल रहा है, मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश की शासन व्यवस्था आज रूढ़िवादी व्यवस्था है । जो अंग्रेजों की देन ब्यूरोक्रेसी है, बिलकुल वही नौकरशाही व्यवस्था आज भी हमारे सामने है । कहा जाता है कि ईश्वर है, अब ईश्वर है या नहीं है इसमें बहुत मतभेद है । किसी ने देखा तो है नहीं कि भगवान है लेकिन मैं सिद्ध करूंगा कि भगवान है । मैं कहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में नौरकशाही किस खोह में पहुंच गयी है, इसको मैं आपके सम्मुख अपने शब्दों और तर्कों से रखना चाहता हूं । मैं सिद्ध करूंगा कि हमारे प्रदेश की नौकरशाही में बड़ी बुराइयां हैं जिनको दूर करने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये ।

श्रीमन्, जब तक हमारे देश में अंग्रेज थे, तब तक हम कहते थे कि ये विदेशी अंग्रेज हैं लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे देश में जो कांग्रेस संस्था है वह तो देशी है लेकिन कांग्रेस का सत्तारूढ़ दल आज बिलकुल उसी ढर्रे पर चल रहा है । उदाहरण के लिये आप देखें कि अंग्रेज आई० सी० एस० को छोड़ गये थे लेकिन कांग्रेस संस्था ने आई० ए० एस० कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है, केवल एब्रोविएशन का फर्क है । इसी तरह से अंग्रेज पटवारी जो छोड़ गये, उसे कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल ने लेखपाल कर दिया । इसमें कोई फर्क नहीं है । अंग्रेज एक जमींदार वर्ग को छोड़ गये थे लेकिन कांग्रेस संस्था ने जमींदार की जगह ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और ग्राम प्रधान बना दिया । अंग्रेज कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और कानूनगो छोड़ गये थे और कांग्रेस हुकूमत में भी वही ज्यों के त्यों कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और कानूनगो है । १९ वीं शताब्दी में लार्ड मेकाले ने जो इंडियन पेनल कोड बनाया, ए० से जेड० तक आज भी वह ज्यो का त्यों है । आज १५ साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी अंग्रेजों का बनाया हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हूबहू उसी तरह से चल रहा है । सत्तारूढ़ दल ने सन् ४७ में आश्वासन दिया था, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलायी थीं कि अब इन्साफ सस्ता हो जायगा लेकिन १५ साल का जमाना गुजर

गया, १९४८–४९ और १९४९–५० में सत्तारूढ़ दल ने कहा कि हमारा स्वतंत्रता का बच्चा अभी १–२ या ४ वर्ष का है या ८ वर्ष का है, परन्तु क्या आज भी १५ साल के बाद किसी को सस्ता और सच्चा इंसाफ मिल रहा है ? हमारा देश गरीब है और यह किसानों और मजदूरों का देश है । किसी को आपने सच्चा इंसाफ दिया है ? आपके द्वारा में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज जिस के पास पैसा नहीं है, उसको सस्ता न्याय नहीं मिलता, वह उसी को मिलता है कि जो तिजोरी वाला है जिस की जेब भरी है । आप के यहां कब इंसाफ सस्ता मिलेगा, किस दिन सूबे की जनता, यह किसान मजदूर आप के यहां खुशहाल होंगे ? कब आप के यहां स्वतंत्र वातावरण में सांस ले सकेंगे ? आज अभी वह बात पैदा नहीं हुई है । आप बराबर भले ही यह कहते रहें हैं लेकिन मैं देहात से आता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह इन्टीरियर है । एक मैं बुनियादी चीज कहूंगा कि यह सत्तारूढ़ दल वर्षों से चिल्ला रहा है हम जूडिशियरी और एगजिक्यूटिव को अलग करेंगे लेकिन मैं आप के सामने एक जीता जागता उदाहरण पेश करूंगा कि किस तरह से इन दोनों को अलग किया गया है । अभी कल की बात है २१ मार्च, १९६३ की, ३२ से ३४ तक प्रश्न थे जिन में झांसी जिले का एक मामला था जिस में वहां के एक विधायक के ऊपर हजारों रुपये के गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत की बात थी । उन विधायक का केस अदालत में था, उसने एक प्रार्थना पत्र दे दिया और उस पर सत्तारूढ़ दल ने साल भर तक विचार किया और कहा कि यह मुकदमा हम वापस कर लेंगे, गबन का हजारों रुपये का उनके खिलाफ केस था और वह अदालत के सुपुर्द होता तो निर्णय हो जाता और उनका कनविक्शन भी हो जाता लेकिन वह चूंकि कांग्रेस दल के विधायक थे इसलिये बचा दिया गया । यह छोटी छोटी चीजें हैं इन से हमारे हृदय में पीड़ा होतीहै, एक बौखलाहट होती है । इस पर आप विचार करें । जहां तक देश के संकट का प्रश्न है हम शान्त रहेंगे सहयोग आप को देंगे, हम सब आप के साथ हैं लेकिन जहां तक देश और प्रदेश के अन्दर की बात है हम सुधार के लिये आप का विरोध करेंगे और मांग करेंगे कि न्याय सब को मिले । मिनिस्ट्री इतनी बढ़ी है इस पर सदन में बहुत बहस हो चुकी है । जब पड़ोसी पंजाब प्रदेश मिनिस्ट्री कम कर सकता रहा है तो आप क्यों नहीं कम कर सकते ? आप भी इकानामी मेजर्स लाइये और रुपया संकट काल के लिये पैदा कीजिये । एक ओर जो रुपया बचाया भी जाता है वह मिनिस्ट्री बड़ी कर के उसमें लगाया जा रहा है और २–४–६ मास के बाद किसानों पर और कोई टैक्स ला दिया जायगा । मैं आप को पूर्वी जिलों का उदाहरण देता हूं । हमारे क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में किसान इतने गरीब हैं कि वह टैक्स देने योग्य नहीं हैं उनमें वह कैपेसिटी नहीं है, उनके छप्पर में ताले नहीं लगते । मैं महोली पश्चिम जिला बस्ती से आता हूं वहां ताले नहीं लगते । माननीय मुख्य मंत्री जी खुश होते होंगे कि हमारे राज में किसानों के घरों में ताले नहीं लगते और यह तो अशोक का समय आ गया । लेकिन उन को यह गलतफहमी न होनी चाहिये, अशोक के समय के लोग तो ताले इस लिये नहीं लगाते थे कि सभी समाज खुशहाल था किसी को किसी की चीज चुराने की जरूरत हीं नहीं होती थी लेकिन गुप्ता जी के राज्य में लोग ताले इसलिये नहीं लगाते क्योंकि घर में कुछ रह ही नहीं गया, ताले काहे के लगायें ? वह कोई खुशहाल नहीं हो गये हैं । अशोक और गुप्ता जी के राज में यह महान अन्तर है, यह समझ कर आप थोड़ी देर के लिये क्षणिक आनन्द भले ही ले लें कि आप की नीति सफल हो गई । थोड़ी देर के लिये आप आपने को बहुत खुशहाल समझ लें लेकिन आपकी जो नीति है वह अकबर और अशोक जैसी नहीं है बल्कि औरंगजेब और जयचन्द जैसी है । लिहाजा आप अपनी नीति में तबदीली करें और देश या प्रदेश की जनता को खुशहाल करें अगर कांग्रेस को कुछ दिन और सेवा करना है ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह सामान्य प्रशासन का अनुदान पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके बोलने से ऐसा मालूम हो रहा था कि १५ साल के अन्दर पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य हुए हैं और उनके द्वारा गांव में जो उन्नति हुई है ।

[श्री मुरलीधर कुरील]

(इस समय ३ बजकर ४६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

जो सैकड़ों मील सड़कें बनाई गयी हैं, नहरें बढ़ाई गयी है और खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत से काम किये गये उनसे ऐसा लगता है कि उनकी नजर उन सब कामों की तरफ गई ही नहीं और उसके साथ ही साथ जहां वह यह कहते है कि अशोक के जमाने में इसलिये ताले नहीं लगते थे कि लोग ईमानदार थे और आज ताले इसलिये नहीं लगते कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो उसमें वास्तविकता नहीं है।

आज आप देखें कि कितने गांव ऐसे हैं ? समय समय पर माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं कि हमारे जिले में कितने गांवों में बिजली पहुंच गयी और बाकी कितने गांवों में कब तक पहुंच रही है ? जहां बिजली पहुंची है वहां कुछ काम नहीं हुआ है, लोगों की उन्नति नहीं हुई है, अच्छे मकान नहीं बने हैं ? इसी तरह से और भी चीजों को देखें। आज से १० साल पहले जो गांव थे, आज वहां घरों में बिजली पहुंच गयी है, उनमें आवागमन के साधन हो गये हैं और आज वे कस्बे के रूप में परिवर्तित हो गये हैं और अगर देखा जाय तो इन १५ सालों के बाद कस्बे टाउन एरियाज में और टाउन एरियाज म्युनिसपैलिटीज में परिवर्तित हो गये हैं। वहां आबादी बढ़ी ह, लोगों की वहां हैसियत बढ़ी है। इस तरह से हर तरफ कुछ न कुछ काम हुए हैं। कुछ करना ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है। उसी के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये बराबर प्रयास हो रहे हैं। आज जिस तरह से हम शिक्षा को बढ़ा रहे है उसी के साथ पिछड़े हुए लोगों को, गरीबों को उठाने का प्रयास किया है। जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का प्रयास अवश्य होना चाहिये। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं ?

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हम लोगों को सम्पन्न देखना चाहते हैं वहां पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वही आदमी नौकरी करते हैं, उसी के पास रोजगार भी है, उसी के पास दूसरे धंधे भी हैं और दूसरे पैसे कमाने के साधन भी हैं। तो यह ठीक नहीं है कि सब साधन एक ही जगह पर केन्द्रित हो जायं, बल्कि उनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। आप ऐसी व्यवस्था करें जहां लोगों को कामों में हिस्सा मिले और उनके जीवन स्तर को अधिक से अधिक उठाया जाय वहां पर आप यह भी सोचिये कि गांवों में और शहरों में एक साधारण परिवार अपनी जिन्दगी कैसे बसर करे और उसके लिये आमदनी की पूर्ती कैसे हो और उसके लिये क्या उपाय किये जायं ? अगर इस तरह का कोई विश्लेषण हो और अगर उस पर लक्ष्य निर्धारित करके कोई काम हो तो आप लोगों की बेरोजगारी दूर करने में सफल हो सकेंगे। वरना अगर हम यह काम नहीं करते तो एक ओर तो हमारे साधन बढ़ेगें किन्तु वह एक जगह केन्द्रित होते जायेंगे और इससे एक तरफ कुछ लोग तो बढ़ते चले जायेंगे और दूसरी तरफ लोग गरीब होते जायेंगे। इस तरह से जो हमारा कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है उससे अलग हो जायेंगे। इस समय इस चीज को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जो पैसे को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है मैं समझता हूं कि उस पैसे के महत्व की वजह से ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें होती हैं। तो अगर पैसे का महत्व कम हो जाय तो फिर शायद वह शिकायत न आवे।

इन शब्दों के साथ जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती का जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में बोल रहा हूं। दिल नहीं चाहता है कि मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है सामान्य प्रसाशन का उसका विरोध करूं। वैसे यह तो बहुत अचछा राज्य है। चाहे इतिहास में मिलता हो लेकिन हमारी दादियां और मातायें कहा करती थीं कि राजाओं में विक्रमादित्य का राज्य सबसे अच्छा था। वहां चोरों और डकैतों के हाथ कटवा दिये जाते थे लेकिन इस राज्य में चोरों और डकैतों की खुली

छूट मिली हुई है। आपको चाहे मेरी बात बुरी लगे। यों तो विचार सगे भाइयों के नहीं मिलते। आपकी जमात कांग्रेसी में ही सबके विचार एक से नहीं हैं। फिर मैं तो दूसरे दल का हूं, हमारे आपके विचार तो नहीं मिलते हैं। आज डेमोक्रेसी का ढोल बहुत पीटा जा रहा है लेकिन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी हमारे ही प्रदेश में सबसे ज्यादा फैली हुई है। डिमोक्रेसी इस हाउस में सबसे ज्यादा फैली हुई है। आज उसका नमूना आपने देखा है। उसके लिये आपने विरोधी दल के उन साथियों की कार्यवाहियों की मैं घोर निन्दा करता हूं कि उन्होंने डिमोक्रेसी का अपमान किया है लेकिन इसकी जिम्मेदारी विरोधी दल की उतनी नहीं है। हमने तो गलती की है लेकिन उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकारी पक्ष पर है। मैं यहां एक बात पेश करना चाहता हूं कि वह यहां के एक आनरेबिल मिनिस्टर हैं बनारसीदास जी उनकी तरफ से कही हुई बात है। उन्होंने हाथ उठा उठा कर बच्चों की तरह हम से कहा कि तुम गद्दार हो। इतना अच्छा राज्य कहां हो सकता है कि हम देशद्रोही खुली हवा में घूम सकते हों, हाउस में बोल सकते हों। आप जब कहते हैं कि हम गद्दार हैं तो आप हमें सजा दीजिए और अगर हम गद्दार नहीं हैं तो कृपया आप टैक्टिक्स के आधार पर हमें ऐसा क्यों कहते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य हमसे कहता, हम महसूस नहीं करते, एक कांग्रेसी भाई कहता, हम एहसास नहीं करते, अगर हम किसी को देशद्रोही कहें तो उतना नहीं खलेगा लेकिन जब माननीय मंत्री हमको देशद्रोही कहते हैं तो हमारे दिल पर चोट लगती है कि तुम हमको बाहर रख कर रक्षा के काम में हाथ बटवाना चाहते हो लेकिन दूसरी तरफ आप हमको देशद्रोही कहते हैं। मैं अपील करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि अगर आप डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं तो आपकी कैबिनेट के अन्दर एक गंभीरता पैदा होनी चाहिये।

जहां तक इस अनुदान का सवाल है, मैं नहीं कहता कि आपकी पुलिस रिश्वत लेती है। आज पूंजीवादी सरकार है और ऐसी हुकूमत में अगर एक अनपढ़ आदमी ५–७ सौ रुपया इकट्ठा करके एक आटे की चक्की लगा कर आटे में ऐसी ऐसी चीजें मिलकार बेचता है और मुनाफा कमाता है तो अगर आज आई० सी० एस०, पी० सी० एस० और हमारे कर्मचारी रिश्वत में रुपया ले लें तो मैं आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप किसी चीज को ले लें, एक तरफ आपकी डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रधान से लेकर एम० एल० ए० तक, आप तुलना कीजिये? चाहे इस हाउस में हो चाहे बाहर हो, आपके पटवारी में ज्यादा शक्ति है, आपके पटवारी की बात उस हाउस में मानी जा सकती है और दूसरी तरफ जो आपका प्रमुख है उसकी कोई कद्र एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। आप चाहें इसकी सफाई दें और आपको ऐसा करना भी चाहिये क्योंकि अगर आप इस बात को तसलीम करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगा, आपको तो उस दरोगा कि तारीफ करनी ही है।

हरिजनों का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, हमारे हरिजन भाई यहां बहुत बोले, लेकिन मैं कहता हूं कि हरिजनों के उद्धार के आप ठेकेदार नहीं हैं। आप उनका बिलकुल उद्धार न कीजिये। वे मेहनतकश लोग हैं। अगर उनमें हिम्मत हुई तो वे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। आप तकावी न दीजिये। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ही गड़बड़ी है। एक हरिजन अगर सब-इंसपेक्टर है तो उसकी वेल्यू उसके सिपाही के मुकाबले में नहीं है जिसके नाम के साथ ठाकुर और चौधरी लगा है। मुख्य मंत्री जी स्वयं या दूसरे साथी मेरे साथ चलें और गांवों में देखें कि हरिजन सवर्णों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता चाहे वह पंचायतों में चुन लिया गया है। अगर वह शक्ति से उठता भी है और पंचायत का प्रधान या मेम्बर भी बन जाता है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इमदाद करता है उसका मनोबल तोड़ने के लिये। मैं अपने जिले की बात कहता हूं, आप दूसरे जिलों में भी देख सकते हैं, जहां गरीब लोग आज प्रधान हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक चौधरी और राठौर की दरख्वास्त पर कि उसने गलत एलाटमेंट कर दिया उसको एस० डी० एम० की अदालत में तलब करता है अगर गलत एलाटमेंट है तो उस गरीब प्रधान के खिलाफ आप हुक्म सुना सकते हैं, कोई कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन नहीं की। श्रीमन्, मैं अपने जिले के २० प्रधानों की मिसाल दे सकता हूं। मिसालें मौजूद हैं लेकिन एस० डी० एम० आर्डर नहीं करते हैं। हमने कहा कि हम सिफारिस करना नही चाहते हैं लेकिन

[श्री विजयपालसिंह]

७–८ महीने हो चुके हैं और कोई हुक्म नहीं हुआ है। वह आप की कोर्ट के सामने भीख मांगने आते हैं इसलिये जो भी हुक्म हुआ आप सुनाना चाहते हों सुना दें। कम से कम हर हफ्ते वह हाजिर होता है उससे छुटकारा मिल जाय। लेकिन हाकिम परगना हुक्म नहीं सुनाते हैं। प्रधान साल डेढ़ डेढ़ दो दो साल से परेशान हैं, उनपर माली संकट है लेकिन फिर भी तारीख पर जाते हैं और उनके स्वाभिमान पर इससे भारी चोट पहुंचती है।

जैसा कि मैं देखता हूं आज हम से कहा जाता है कि हम गद्दार हैं। मैंने जिस रोज कम्युनिस्ट पार्टी का फार्म भरा था तो इसलिये नही भरा था कि मिनिस्ट्री मिल जायगी, इस लिये नहीं भरा कि संकट में नहीं जाऊंगा, इसलिये नही भरा कि जेल जाना पड़ेगा, बल्कि इसलिये भरा था कि देश की सेवा कर सकें। आप की देश में हुकूमत है और हमारा जो होना है वह तो होगा ही लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि देश में जो प्रतिक्रियावादी लोग बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपके प्रशासन पर है।

आप के ऐडमिनिस्टेशन की वजह से, आपकी नौकर शाही की वजह से, जमींदार घरानों को जिनको हमने कुचल दिया था आज फिर से अपना सिर उठा चुके हैं। आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन में किस की बात मानी जाती है? डिप्टी की मानी जाती है और अधिकारियों की बात मानी जाती है। इनको छोड़िये, हमारे मंत्री जी किस की बात मानते हैं? मुझे खुद उनसे शिकायत है। हो सकता है कि मेरा विचार अलग हो। मंत्री जी मेरे कस्बे में गये। मैंने उनका स्वागत किया और रात दिन दौड़कर ४० हजार रुपया इकट्ठा किया। लेकिन माननीय मंत्री जी के मुख से एक भी शब्द इस कर्मठ साथी के लिये नहीं निकला। लेकिन जिन्होंने एक रुपया भी नहीं निकाला उनकी तारीफ की है। यही आप की डेमोक्रेसी है? इससे आप जनता का मनोबल उठाना चाहते हैं? क्या इससे प्रतिक्रिया वादी लोग नही बढ़ेंगे? वह बढ़ेंगे और इन्हीं बातों से बढ़ेंगे।

मैंने मुख्य मंत्री जी का भी बयान सुना था और दूसरे भाइयों की बातों को भी सुना था। लोग कहते हैं कि दारुल-उलूम देवबंद में पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तानी जासूस लगे हुये हैं। दारुल-उलूम देवबंद एक कालिज की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पश्चिमी प्रदेशों के बारे में मैं जानता हूं कि वहां के मुसलमान उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। आपने इसके बारे मे क्या सुना और क्या समझा? अगर कोई चीज थी तो हमें अहतियात बरतना चाहिये था। उस इदारे की तलाशी लेकर ठीक नहीं किया। चाहे आपने भूल मे किया या गलती से किया। लेकिन यह जरूर है कि इस संकट कालीन स्थिति में करोड़ों मुसलमानों को आप ने अपने खिलाफ कर लिया और उनमें वह जज्बा पैदा किया है कि जो प्रतिक्रियावादी लोग पैदा कर रहें हैं। इससे हो सकता है कि वे उनके खेमे में चले जांय और प्रतिक्रिया वादी फायदा उठायें। मैं कहना चाहता हूं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत होना चाहिये और आपको खामियों को ध्यान मे रखना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि मेरी राय यह है कि वहां की गुटबाजी की वजह से, दलबंदी की वजह से कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाकर, सरकारी कर्मचारियों को उकसाकर, उसकी तलाशी ली गयी है और इससे कोई फायदा नहीं हुआ है।

मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो। जहां तक आपके कोआपरेटिव का ताल्लुक है उसके बारे में बड़ी बड़ी चर्चायें होती हैं। लेकिन कोआपरेटिव के काम में हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ढील है। कितना हम प्रचार करते है? शायद वह प्रचार अधिकारियों तक या जो कोआपरेटिव बैंक्स के मेम्बर्स हैं उन्हीं तक सीमित होगा। जनता में रोज गलत प्रचार किया जाता है कि कोआपरेटिव बहुत बुरी चीज है, कोआपरेटिव फार्मिंग हुई तो जमीन छिन जायगी। लोगों में गलत धाराणाएं पैदा की जाती हैं। अगर आप इस शासन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपने सरकारी कर्मचारियों का दिल व दिमाग बदलना होगा। डंडे के जोर से नहीं, भाई चारे से समझा बुझा कर। वही अंग्रेजियत जो १९४७ से पहले थी आज भी है। उसको हमें निकालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक ही बाप के तीन लड़के होते

हैं––एक कलेक्टर हो जाता है, एक डिप्टी हो जाता है और एक किसान रहता है। लेकिन तीनों भाई भाई हैं। आज ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी भारी खाई है उसको पाटने की जरूरत है। आज चन्दा वसूल करने में जोश था। कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्ती की। मुजफ्फरनगर जिले में जबरदस्ती नहीं की लेकिन उन्होंने जो जोश दिखाया इसलिये नहीं ज्यादा चन्दा इकट्ठा कर लें बल्कि इस लिए दिखाया कि एस डी० ओ० से ए० डी० एम० बना दिया जाय। आज सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को देश के हित में खींचना होगा और हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। अगर हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इस संकटकालीन स्थिति में मजबूत नहीं होता तो आज हम बहुत नुक्सान उठा सकते हैं। चाहे आप मानें या न मानें लेकिन आज ऐडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के जमाने से ढीला है। इसको मजबूत करना पड़ेगा भाई चारे के तरीके से। हम चाहे किसी दल के हों हमें इस संकटकालीन स्थिति में अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को मजबत करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)––

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि पिछले वर्ष में हमारे प्रशासन ने इस प्रदेश का प्रबन्ध जिस तरह से चलाया है वह प्रशंसा के योग्य है। देश के अन्दर असाधारण स्थिति थी। पिछले वर्ष अक्तूबर में चीन ने हम पर हमला किया। एक परेशानी का आलम बना। हमारी सरकार ने हमारे अधिकारियों पर बड़ा भरोसा किया उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ डालीं जिनका उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ पालन किया। धन संग्रह किया और आंतरिक सुरक्षा भी कायम रखी। समाज विरोधी तत्वों को दबा कर शान्ति, व्यवस्था कायम रखी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वह वर्ग जो समाज की सेवा करता है, जिनके पास काफी अनुभव है, आज अनावश्यक आलोचना का पात्र बन गया है। आलोचना सुन्दर होती है, सुखद होती है लेकिन उसके पीछे रचनात्मक सुखद भावना होना चाहिये। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वह आलोचना जो केवल आलोचना के लिये ही होती है और इस दृष्टिकोण से की जाती है कि हम कमजोरियों को उभारें उनको डिस्प्युट करें वह आलोचना न हो कर कटुव अप्रिय आलोचना हो जाती है। हमारे प्रशासन ने जो काम किया है उसके लिये वह बधाई का पात्र है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम यह बात कहने के लिये मजबूर हैं कि आज हमारे सामान्य प्रशासन के अन्दर कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। जनता दुखी होती है। सबसे पहला तो दोष यह है कि आज प्रशासन का हर काम ढीला हो गया है। आज अगर कोई मामूली शिकायत भी है मंत्री जी के यहां आ गई तो वह जिले में भेज दी गई। जिले से डिप्टी के यहां गई। डिप्टी से तहसीलदार के यहां गयी। तहसीलदार से कानूनगो के यहां गई। और कानूनगो से लेखपाल के यहां गई। नतीजा यह होता है कि जवाब आने में ६ महीने लग जाते हैं। मैं इसलिये आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रशासन को और अधिक एफिशियेन्ट बनाने के लिये उसको सक्रिय बनाये और काम का अर्ली डिस्पोजल करने की स्पिरिट पैदा की जाय तो बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती है।

दूसरी बात–आज प्रशासन का हाल क्या है? यों तो जिलाधीश सारे जिले का इन्चार्ज है और जहां तक विधान का सम्बन्ध है जितने अधिकारी जिले के हैं वे उसके मातहत होते हैं वैसे वह अपना काम स्वतंत्ररूप से अलग-अलग करते हैं। लेकिन मुख्य अधिकारी जिले का जिलाधीश ही होता है। आज आपके रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन का हाल क्या हो गया है? यह तहसील-दार और डिप्टी वगैरह जब दौरे पर जाते हैं तो यह कोई पड़ताल नहीं करते। जहां इनका कैम्प लगता है वहीं बैठे-बैठे लेखपाल को बुला कर खानापूरी कर लेते हैं। नतीजा यह होता है कि गांव समाज की हजारों बीघा जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। कागज में वह बाकायदा बंजर दर्ज है लेकिन मौके पर बिलकुल उसके बिपरीत है। जब उसके ऊपर कोई

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

शिकायत की जाती है या कोई बात कही जाती है तो तहसीलदार साहब सुनते ही नहीं हैं, डिप्टी साहब सुनते ही नहीं हैं। दूसरे स्थानों की बात मैं क्या कहूं अपनी बात कहता हूं। एक ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया। मैंने जब डिप्टी साहब से स्वयं जोर देकर कहा तब उसपर तवज्जह की गई। इसके पहले किसान उनके पास गये लेकिन कोई तवज्जह नहीं की गयी। आज पट्टे के तसदीक करने में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। आज कचहरियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह किसी से छिपा नहीं है यह सब चीजें प्रशासन को कलंकित करती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन की कुशलता के लिए और उसको और अधिक सक्रिय बनाने के लिये इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब कभी-कभी अगर कचहरियों का राउंड लगा लिया करें और देख लिया करें कि हमारे डिप्टी और एस० डी ओ० तथा क्लर्क्स वगैरह ठीक-ठीक कार्य कर रहें हैं या नहीं तो उनका क्या बिगड़ जायगा? उनके एक राऊंड से ही सब ठीक हो जायगा। आज नकल के मुहकमे और दूसरे मुहकमे भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। किसका ध्यान उस तरफ जाता है ? जब शिकायत की जाती है या कहा जाता है कि कलेक्टर साहब कुछ ध्यान नहीं देते हैं, बात इस कान से सुनकर दूसरी तरफ टाल देते हैं। हम जब कचहरियों में बैठते हैं तो इतनी आलोचनायें और टिप्पणियां होती हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। अगर कलेक्टर चाहे तो ऐसी वैसी चीजें तो फौरन तय हो सकती हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट एथारिटीज़ सक्रिय हों। जागरूक हों तो भ्रष्टाचार एक हफ्ते में खत्म हो सकता है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिले के अधिकारी इन चीजों की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और कोई तवज्जह ही नहीं करते। यह ऐसी चीजें हैं कि जिनका सम्बन्ध हमारे दैनिक जीवन से होता है। मगर शिकायत करते हैं तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मैं समझाता हूं कि इधर भी सरकार का थोड़ा ध्यान जाना चाहियें।

इसके साथ-साथ एक चीज और है। हमारे प्रशासन को एक बहुत बड़ा काम करना है, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिये हम जहां उनकी आलोचना करते हैं वहां हमारे हृदय में उनके लिए बड़ा कोमल और आदर का स्थान भी है क्योंकि वह हमारे प्रशासन को चलाते हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसलिये उनके अन्दर आन्तरिक शान्ति बनाये रखनी चाहिए। उनके ऊपर प्रशासन का सारा भार है, इसलिये इस बात की जरूरत है कि प्रशासन को इस बात के लिये सजग किया जाय कि जो समाजद्रोही तत्व हैं जो समाज के अन्दर रहकर समाज को पीड़ित करते हैं उस पर वह कड़ी निगाह रखें। वह इस बात पर भी निगाह रखें कि फिफथ कालमिनिस्ट्स कौन-कौन हैं जिनकी सहानुभूति विदेशियों से है। अभी आप जानते हैं जो राष्ट्रीय संकट आया, उत्तर प्रदेश से तो उसका सीधा सम्बन्ध नहीं रहा लेकिन नेफा का अनुभव बताता है कि वहां के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़-छोड़ कर पता नहीं कहां का रास्ता लिया था।

यदि दुर्भाग्य से यहां पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमको कड़ाई के साथ काम, करना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन हमारे जीवन की रीढ़ है। उसको शुद्ध बनाने के लिये उसको सक्रिय बनाने के लिये हमारी सरकार को बहुत सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा और हमको आलोचना करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी आलोचनाओं में कोई कटुता तो नहीं है। हमारी आलोचनायें इस तरह की आलोचनायें हों, जैसे अपने छोटे भाई के प्रति नसीहत होती है। उसके पीछे कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिये।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि भ्रस्टाचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन यह इस हद तक फैल गया है और इस ने हमारे समाज के अन्दर आज ऐसा घर बना लिया है कि उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। यों कहने के लिये हम कुछ भी कहें और अपने संतोष के लिये यह भी कहें कि हमारे अधिकारी शुद्ध हैं और भ्रष्टाचारी नहीं हैं लेकिन भ्रष्टाचार

है । अभी जो सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट बांटी गई है उसमें यह बतलाया गया है कि आलोच्य वर्ग में ५५ या ६५ मुकदमे आपने क्रिमिनल को दिये । मैं इसको जानता हूं कि क्रिमिनल में क्या होता है । उसमें इतनी बारीकी देखी जाती है और बाल की खाल निकाली जाती है कि प्रायः दोषी आदमी कानून के हथकन्डे से बच जाया करते हैं । भ्रष्टाचार को निकालने के लिये आगे आने वाले लोगों को इस बात के लिये तैयार करना होगा कि वे इस भ्रष्टाचार को पाप समझें । अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार ठीक हो सकता है । इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुलिस के बारे में हम बहुत कुछ कह चुके हैं । हम को उस ओर विचार करने की जरूरत है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने इस सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में बोलने के लिये जो मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । आज आपके कार्यकाल में यह एक दिन ऐसा आया है कि जिसमें आपने मुझे समय दिया । आज हमारे इस आदरणीय सदन के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन का अनुदान उपस्थित किया है वह इस प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से एक बहुत ही आवश्यक अनुदान है । इसका सम्बन्ध इस प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है जिसके आधार पर इस प्रदेश की उन्नति और अवनति निर्भर करती है । आज इस प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रशासन की दिशा में जो कदम उठाये हैं वह ऐसे हैं कि जिनसे प्रशासन के अन्दर जो खराबियां थीं वे दूर हुईं । इस बात को कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में जो काम किये हैं उनसे हम स्वतन्त्रता की दिशा में आगे बढ़े हैं लेकिन आज देश के प्रशासन से जो लाभ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । प्रशासन के दो अंग खासकर हैं । आज जुडिशरी और एक्जिक्यूटिव के अलग न होने की वजह से सामान्य जनता को न्याय जिस तरह से मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । आज ए० डी० एम० (जे०) जो बनाया गया है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत काम करता है । उसका करेक्टर रोल और उसकी उन्नति और अवनति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होती है । उसकी इच्छा के अनुसार उस जुडिशरी के आदमी की उन्नति और अवनति होती है । वह कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता है जो जिलाधीश के विरुद्ध हो या उसकी इच्छा के विपरीत हो । इसलिये यह जो जुडिशरी और एक्जिक्यूटिव का अलगाव है वह अलगाव वास्तविकता से बिलकुल परे है और अगर उसके लिये अंग्रेजी का शब्द 'फार्स' इस्तेमाल किया जाय तो पूरा न होगा । और इस सेपरेशन से कोई जनहित नहीं हो रहा है । आज ऐसे मुकदमे जो एक्जीक्यूटिव के हैं धारा १०९ और ११० के या जो प्रिवेंटिव सेक्शन्स के हैं, एस० डी० एम्स० के अन्तर्गत होने के कारण उसी स्थिति में फैसले होते हैं जैसे वे अंग्रेजों के जमाने में होते थे । आज प्रिवेंटिव सेक्शन्स के मुकदमों में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स पुलिस की रिपोर्ट को ही मान कर लोगों को दण्ड देते हैं जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में होता था । तो जब तक ऐसे मुकदमों का फैसला एस० डी० एम० से लेकर दूसरे इजलासों में नहीं दिया जाता उस समय तक प्रदेश की जनता को पूरा न्याय नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा विश्वास है । मैं मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि वे एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन को वास्तविक रूप देने का प्रयत्न करें ताकि प्रदेश की जनता को वास्तव में न्याय मिल सके ।

जैसा कि अभी पालीवाल जी ने कहा, हमारे प्रदेश का रेवेन्यू विभाग ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध जमीन के अधिकारों से है । आज लेखपाल किसी भी व्यक्ति को काबिज के खाने में लिखकर किसी भी गांव के लोगों में झगड़ा पैदा करा सकता है । उसके लिये बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि लेखपाल से काबिज लिखने का अधिकार छीन लेना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमारे माल मंत्री जी ने एक कमेटी भी बैठायी थी, लेकिन मैं समझता नहीं कि उसकी रिपोर्ट आज तक सदन के सामने आयी हो । मेरा सुझाव है कि काबिज के खाने में इन्दराज

[श्री जगदम्बाप्रसाद]

करने की अधिकार लेखपाल से ले लेना चाहिये। अगर आप रेवेन्यू के मामले में सही रेकार्ड्स रखना चाहते हैं तो। आज लेखपालों का स्तर बिलकुल गिरा हुआ है। किसी भी सर्किल में कोई भी आदमी कानूनगो और लेखपाल से मिल कर किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करा सकता है और उसे अपने अधिकारों से वंचित करा सकता है। यह जो कठिनाइयां प्रदेश की जनता को हैं और जिनको दूर करने के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया है, मेरा सुझाव है कि उनको दूर करने के लिये आप गम्भीरता से विचार करें और सही कदम उठायें।

पुलिस के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष--

पुलिस का अनुदान आज नहीं है। वह तो कल हो चुका।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

लेकिन पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है और उसमें आता है। मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं आप बैठ जाइये। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आप के समक्ष कई सदन के माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रशासन पर अपने विचार व्यक्त किये। विचारों में कटुता थी। सुझाव भी थे। लेकिन सुझावों में सच्चाई होते हुये भी यदि ट्रेजरी बेन्चेज विरोध मान कर, उसकी तरफ तवज्जह न करें, तो मैं समझूंगा कि यह हमारी सरकार की भूल है। यदि सामान्य प्रशासन अच्छा नहीं होगा, तो हमारे प्रदेश की जनता सुखी नहीं रह सकती। वह खुशहाल नहीं रह सकती है। हमारा प्रदेश किसी प्रकार की भी प्रगति नहीं कर सकता है। आप देखें कि आज हमारे अधिकारीगणों में एक नई भावना जन्म ले रही है, जो कि हमारे प्रशासन और शासन के लिये बहुत ही हानिकारक है। यदि कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायें और वहां किसी अधिकारी से मिले हां, तो उन्हें पता लगा होगा कि वह खुले आम हमारी गतिविधियों की आलोचना करते हैं और हमारे कार्यकलापों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरह से आप देखें कि एक नया क्लास पैदा हो गया है, यह हम लोगों के लिये कहा जाता है। वह लीडर शब्द का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह जनता के नौकर होने के नाते अपने जन प्रतिनिधियों का ही मजाक उड़ाते हैं और प्रजातन्त्र के ऊपर हंसते हैं। इससे कैरेक्टर और मारल गिरता जा रहा है। हम लोगों की बदनामी हो रही है और हम बुरी निगाह से देखे जाते हैं। इन सब बातों का कारण यही है कि निजी संबंधियों को और अपनी ही जाति के लोगों को तरह तरह से मदद देकर, जो प्रशासन में ले लिया जाता है उसी का यह सब परिणाम है। यह कारण है कि उनके गलत कामों को चेक नहीं किया जा पाता है। आज हमारे प्रदेश में इस कदर जातिवाद ने जन्म लिया है और रिश्वत खोरी तथा कुनबापरस्ती को प्रश्रय मिला है। कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि हम योग्य कैन्डिडेट्स को ही लें और अयोग्य अभ्यर्थियों को सिफारिश के बल पर प्रशासन में न लें, चाहे वह किसी सरकारी पक्ष के संबंधी हों, और चाहे वह विरोधी दल के किसी के संबंधी हों, तो यह बातें नहीं पैदा हो सकती हैं। परन्तु उनको किसी न किसी प्रकार ले लिया जाता है जिसके कारण ही यह सब बातें पैदा होती हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय माननीय विजयपाल सिंह जी जो कि कम्युनिस्ट दल के हैं उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर कि सिपाहियों का हरिजन थानेदारों से भी अधिक स्थान और मान एवं सम्मान है। इसका कारण केवल जातिवाद ही है। यह जातिवाद हमारे देश का दुश्मन है और इसी शैतान ने हमको, हमारे देश को सदियों तक गुलाम

रखा गया है। इसी के कारण ही हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति रुकी है। यह हमारे सामने एक दानव की भांति है। जिसको हमको मिलकर अन्त करना चाहिये। आज हम प्रशासकों में जातिवाद का बहुत कुछ नशा देखते हैं। आज सरकारी नौकरियों में सेलेक्शन भी जातिवाद के आधार पर ही होते हैं। छोटी-मोटी जगहें तो स्वयं अधिकरीगण उसी आधार पर भरते हैं और लोगों को सेलेक्ट करते हैं। इससे प्रशासन में बहुत कुछ कमजोरियां आई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और उपरोक्त गतिविधियों पर चेक लगायें जो इस तरह की बातों में लीन हैं। मुझे बड़ा दुख: है कि आज इस सदन में मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि सामान्य प्रशासन के भी मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक पिछले साल में एक भी बैठक सामान्य प्रशासन कमेटी की नहीं बुलाई। उसमें कुछ सुझाव दिये जा सकते थे, लेकिन उसकी बैठक नहीं हुई। जो हमारे प्रदेश में जिलाधीश हैं उनका रवइया आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा कि ब्रिटिश शासन काल में था। मुझे उसमें कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता।

हमारे आगरे के पास बीचपुरी में एक एग्रीकल्चरल सेन्टर है, वहां पर भाषण देते हुये माननीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, एक बार कहा था कि जिलाधीशों व जिला अधिकारियों को देहात में जाना चाहिये और वहां जाकर देखना चाहिये कि वहां की क्या स्थिति है, कितनी तहसीलों में कितने गांव हैं, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां पर हम कैसे और किन साधनों द्वारा प्रगति कर सकते हैं? उनको अपने जिलों की तमाम तहसीलों का दौरा करना चाहिये, यह प्रधान मंत्री का कहना है। जब उन्होंने यह कहा था तो अखबारों में भी उसका जिक्र था। मगर हम देखते हैं कि उस पर कोई अमल नहीं हुआ। श्रीमन् आज जितने भी आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी हैं, उनका एक अजीब सा रवैइया है ही।

इसके अतिरिक्त आज हमारी सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग भी जब जनता में जाते हैं तो अपने आफिसरों के जरिये ही जाते हैं। वे पहले डी० एम० को सूचना देते हैं, डी० एम० तहसीलदार को सूचना देता है, तब वे जाते हैं और उनके साथ रिसेप्शन आफिसर भी रहता है। एम० एल० ए० तक को उनसे मिलने के लिये १० चक्कर डी० एम० के यहां लगाने होते हैं। तब जाकर वह मंत्री महोदय से मुलाकात कर पाता है। यह स्थिति है आज प्रशासन की। एक जमाना था जब वह लोग स्वंय जनता में जाकर काम करते थे, इतना काम करते थे कि जनता उनको भगवान की शक्ल में मानती थी उनके एक इशारे पर कोलाहल मचाने तक के लिये तैयार हो जाती थी। लेकिन आज तो वे लोग मसनदों पर पड़े रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में जाना पसन्द करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां दावतें खाते हैं, सोने का हार डलवाते हैं, और २० हजार या लाखों रुपयों की थैलियां लेते हैं। अधिकारी और पुलिस की साया में जाते हैं। अगर आप उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी के पास जाते, उससे बात करते, तो जो आपको ब्योरो-क्रेट्स थे वे यह समझते कि यह झोपड़ी वाला तो सीधे इनसे बात करता है, कहीं ऐसा न हो-कि यह हमारी शिकायत कर दे। वह उनसे डरता। वे गरीब लोग बड़ी बड़ी आशायें लगाये थे कि जनतंत्र आयेगा और हमें बराबरी के अधिकार मिलेंगे, मगर उनके वह खयालात पूरे नहीं हुये।

श्रीमन्, पुराने जमाने में भी बादशाह लोग स्वंय जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे, और उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। यही कारण था कि उनकी एग्जीक्यूटिव उन लोगों से डरा करती थी। आज तो मंत्री लोग चमक दमक की जिन्दगी पसन्द करते हैं। कुछ मंत्रीगण ऐसे हैं जिनको चमक दमक से मोहब्बत नहीं है, बल्कि अपनी सेलरी तक गांधीवाद के उत्थान के लिये दे देते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। अपना पूरा समय गांधीवाद की तरफ दे रहे हैं।

[श्री भगवानदास यादवेन्द्र]

आज इस देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियां बढ़ रहीं हैं । उसमें मंत्रिगण का भी हाथ है । इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि यदि हमें अपने इस प्रशासन को ठीक करना है तो हमें जनता के के सामने खुद जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्,हमारी सरकार ने जब शासन की बागडोर संभाली तो सरकर ने वायदा किया था कि देश के सभी नागरिकों में समानता लायी जायगी । संविधान की धारा ४३ में यह दिया हुआ है कि हमारी सरकार समुचित कानून द्वारा, आर्थिक संगठनों द्वारा देश के सभी श्रमिकों को कार्य देगी, उचित वेतन देगी, सामाजिक सुविधा देगी लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि व्यवहार में सरकार द्वारा संविधान के विरोध में कार्य हो रहा है । देखने में आता है कि चाहे वह खेती में काम करने वाला किसान हो या मिल में काम करने वाला मजदूर हो या और किसी प्रकार का भी मजदूर क्यों न हो, उसका सभी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शोषण होता है। इस सरकार का १५ साल का शासन गुजर गया लेकिन श्रमिकों का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

चारों तरफ बेकार जमीन पड़ी हुई है, उसको गरीबों को दिया जाता तो उसमें वे अन्न पैदा करते लेकिन उनको देने के बजाय सरकार ने उन पर जंगल लगाने की नयी स्कीम चालू कर दी है । हर गांव में जंगल लगाने के नाम पर बेकार जमीन खुदवा दी गयी है और उसके लिये सरकार की तरफ से अधिक से अधिक रकम भी खर्च की जा रही है । उसका नतीजा यह हुआ है कि बरसात में जो घास वहां उग आती थी वह भी जंगल के नाम पर गायब हो गयी है । मेरा तो निश्चित विश्वास है कि अगर उस जमीन को भूमिहीनों को दे दिया जाता तो रात दिन काम करने वाले गरीब लोग उसमें बहुत सा अनाज पैदा कर सकते थे । लेकिन सरकार आज तक यह नहीं कर पायी है ।

तीसरी योजना में सरकार ने लक्ष्य घोषित किया कि देश और प्रदेश में उद्योगों की रफ्तार को तेज किया जायगा, आधुनिक साधनों के द्वारा कृषि की पैदावार को बढ़ाया जायगा, असमानता को मिटा कर समाज को समाजवादी ढांचे में ढाला जायगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतायें कि उनका वह लक्ष्य कहां गया ? मेरा तो विश्वास है कि कांग्रेस के इस १५ साल के शासन में असमानता और बढ़ी है, गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है । आज के इस समाजवाद में तो काम केवल उसके लिये हो रहा है जो वास्तव में समाजवाद का शत्रु है । अभी माननीय चन्द्रजीत जी ने एक प्रश्न उठाया था कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर जो सरकार की रकम बकाया है, उसको क्यों वसूल नहीं किया जा रहा है, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि वसूली में ठोस कदम उठाना समाजवादी सरकार के विरुद्ध है । लेकिन दूसरी तरफ जो वर्ग समाजवाद को वास्तव में बल दे सकता है, उन मजदूरों के विरुद्ध सरकार कठिन से कठिन कार्य-वाही करती है । लेकिन समाजवाद के शत्रुओं से रकम वसूल करना सरकार समाजवाद के विरुद्ध समझती है और अभी इसी साल हरिजनों और पिछड़े वर्ग को, जो कि समाजवाद के आधार माने जाते हैं, इसी सरकार ने साढ़े बत्तीस लाख रुपया काट कर कम कर दिया है । आज प्रदेश के किसानों के साथ लगान की वसूली में जो सख्ती की जाती है और जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह किसी से छिपा नहीं है । मैं आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील की बात कहना चाहता हूं कि होली के अवसर पर लगान वसूली के सिलसिले में किसानों के बैल उनके दरवाजे से खोल कर तहसील में लाकर बांध दिये गये और जिनके पास बैल नहीं थे उनको पकड़ कर तहसील में लाया गया वहां बांध कर उलट दिया गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना

चाहता हूं कि वे इस बात की जांच करें। बहादुरगढ़ गांव के दो किसान जो जाति के कोइरी हैं, उनको तहसील में लाकर कोंनिग की गयी। मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि जो बकाया रकम हमारे पूंजीपतियों पर आज पड़ी है अगर उसकी आधी रकम उन मिलमालिकों व पूंजीपतियों की सरकार के ऊपर होती तो वे ही अपनी रकम सरकार से वसूल कर लेते। आज ये मंत्रिगण जो उनके हमदर्द बन कर बंगलों में आराम कर रहें हैं, मेरा निश्चित विश्वास है कि वे उन बंगलों को नीलाम करके अपनी रकम वसूल कर लेते और इनको वहां से निकाल कर बाहर कर देते। यह हमारी सरकार और उसके मंत्रिगण जो समाजवाद का नारा लगाते हैं, आश्चर्य इस बात से होता है कि सरकार के अन्दर ऊंचे ऊंचे पदों पर कुछ ऐसे अधिकारी आज भी हैं जो समाजवाद का नाम सुन कर नाक सिकोड़ते हैं।

इस संबंध में एक उदाहरण में आजमगढ़ के दो हाई स्कूल का देना चाहता हूं जिसके मैनेजर एक ही व्यक्ति हैं। उसकी ग्रान्ट के लिये आवेदन-पत्र दिया गया, सिफारिशें की गयीं, प्रशासन की नयी स्कीम के अनुसार विभाग की तरफ से ६ महीने तक कोई एतराज नहीं किया गया। इस संबंध में जब श्री केशभान राय जी से मिला गया तो उन्होंने कहा कि जब ६ महीने तक विभाग की तरफ से कोई एतराज नहीं हुआ है तो वह स्कीम स्वीकृत मानी जायगी और अन्त में यह विश्वास दिलाया गया कि फाइल आने पर निश्चित रूप से स्कूल को ग्रांट दे दी जायेगी। एक दिन पहले तो यह विश्वास दिलाया गया लेकिन दूसरे ही दिन फाइल आने पर उस स्कूल को ग्रांट माननीय मंत्री के विश्वास दिलाने पर नहीं दी गयी। ऐसा इसलिये हुआ कि मैनेजर ने इस विभाग के डाइरेक्टर श्री चक के खिलाफ हाईकोर्ट में दावा किया था और चक साहब की जब डाक्टर साहब से बात-चीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट बतलाया कि इस स्कूल को मैं ग्रान्ट नहीं दे सकता क्योंकि उस स्कूल के मैनेजर ने मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट में दावा किया है। और इस तरह से स्कूल के ग्रान्ट को रोक दिया गया।

दूसरी बात यह है कि आजमगढ़ जिले में एक जिला विद्यालय निरीक्षक है जो गलत तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। हरिजनों के लिये स्कूल व होस्टल को विभाग की तरफ से जो अनुदान मिलता है, उसमें भी वे गलत तरीके से हिस्सा बटाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे दो, तीन बातों पर अपना ध्यान दें और इनको गौर से सुन लें। पहली बात तो यह है कि आज हाउस में जो दुखद घटना हुई, उसे देख कर हम लोगों का विचार आज की डिबेट में हिस्सा लेने का नहीं था लेकिन बीच में बोलने की बात तो हो गयी।

आज का जो कांग्रेस राज्य है वह खासतौर से दो मुहकमों पर आधारित है। पहला मुहकमा तो पुराने आई० सी० एस० और नये आई० ए० एस० का है और दूसरा मुकहमा पुलिस का है। इन दो मुहकमों पर आज की सरकार आधारित है। पुलिस बगैर नोटिस दिये हुये घरों से बुलाकर लोगों को बन्द कर दे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपने सुना होगा, उसकी अखबारों में भी बहुत चर्चा हुई, सदन में भी उसकी चर्चा हो चुकी है देवबन्द की तलाशी के बारे में, मैं उनका जिक्र नहीं करता लेकिन जो हालात देवबन्द शहर में आज हैं, उनकी तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जो स्कूल है जहां से कि देश की आजादी की लड़ाई का एक शानदार बाब जुड़ा हुआ है उस की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिस की एक्टिविटीज आज से १५ साल पहले या आज भी कभी सरकार के खिलाफ रही हों लेकिन वहां आज एक-एक कदम पर यूनिवर्सिटी के चारों तरफ सी०आई०डी०

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

लगी हुई है और शुबहा किया जा रहा है कि जो भी दाखिला होता है वह पाकिस्तान का आदमी तो नहीं है। वहां पर ४ विधायकों का एक डेपुटेशन गया तो उससे भी सी०आई० डी० ने पूछा कि आप इन्क्वायरी करने आये हैं तो हम आप की इन्क्वायरी करने आये हैं। ताज्जुब है कि जब इस मामले के बारे में माननीय गृहमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री से कहा गया तो वह भी लाइल्मी का इजहार करते हैं। नौकरशाही के हावी होने का और कोई इस से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।

हमारे प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इस का उदाहरण हमें इसी सदन से पेश करना होगा और कैबिनेट का जो मौजूदा साइज है उसकी तरफ ध्यान देना होगा कि वह ४५ आदमियों की मिनिस्ट्री कहां तक कम हो सकती है। मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी तमाम मुहकमों के बनाये गये हैं लेकिन इधर और उधर के बीच में एक और हैं जिनको स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है। उनको बनाने की क्या जरूरत हुई ? एक एक विभाग में ४-४ सेक्शन बनाये गये हैं और अलग अलग उसके मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर बनाये गये हैं। उद्योग विभाग है, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज तो मुख्य मंत्री के पास हैं और स्माल इंडस्ट्रीज ठाकुर साहब को दे दी गई है। यह जो तीन-तीन और चार-चार जगह बांटा गया है इसके क्या माने हैं ? काम तेजी से चले इस वास्ते अगर कुछ ज्यादा जगह हो तब भी ठीक है। ४-४ और ६-६ महीने बीत जाते हैं दफतर से फाइल नहीं निकलती। इसके अलावा अधिकारी वर्ग विधायकों को कभी भी कोई फाइल जो उनके जिले के मामलात से संबंधित होती है उनको नहीं दिखाते, कभी कोई किसी जिले से विधायक के पास आता है और उसका कोई मामला है तो उसको अगर फाइल दिखा दी जाया करे तो इस में क्या परेशानी है। इस तरह से हर जगह नौकरशाही हावी है और हर कदम पर उसी का राज है। इसलिये अगर वाकई मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि प्रशासन ठीक से चले तो वह अव्वल तो मिनिस्ट्री का साइज कम करें और नौकरशाही पर काबू पाने की कोशिश करें। मिनिस्ट्री का साइज ४५ से कम किया जा सकता है, जब पंजाब और दूसरी स्टेट्स में काम चल सकता है तो यहां भी चल सकता है। तो यहां गुटबाजी के आधार पर लोगों को न भरा जाय, यह नाराज हो जायगा, वह नाराज हो जायगा, इसलिये सब को मिनिस्ट्री में रखना मुनासिब नहीं है, ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री में भरा जाय जिन की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से प्रशासन के खर्च को बढ़ाया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी नोट कर लें कि यह पंचसाला प्लान्स का दौर है, दो प्लान्स खत्म हो चुकी हैं और तीसरी प्लान का यह तीसरा साल शुरू है। हम चाहते हैं कि जो रुपया प्लान्स के लिये है उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। आप के जो बी० डी० ओज०, ए०डी०ओज० और ए० आर० ओज० हैं, जिलाधीश हैं, प्लानिंग आफिसर्स हैं उनको आप को आदेश देना चाहिये कि जो भी पैसा प्लान में हरिजनों के लिये, ग्रामसुधार के लिये, इमारतों के लिये, सड़कों के लिये सैंक्शन हुआ है उसका सही तौर पर वक्त पर इस्तेमाल किया जाय और जो सही उपयोग न करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसके अलावा ब्लाकों का पैसा गलत तरीके से तकसीम होता है और नतीजा यह होता है कि गांवों का विकास नहीं हो पाता। इस तरह से जो पैसा माननीय मुख्य मंत्री जी टैक्स के रूप में जनता से वसूल करते हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, इस तरफ वह ध्यान दें।

एक बात यह भी है कि शासन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ऊंच नीच का फर्क बहुत है। आप देखें कि छोटे आदमियों पर अगर सरकार का बकाया हो तो जबरदस्ती तहसील में बुलाकर बन्द करके वसूल कर लिया जाता है, लेकिन सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स और केन सेस का एक, दो हजार नहीं करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर सरकार का बकाया है किन्तु हमारे मुख्य मंत्री उनका अटेचमेन्ट करने में असमर्थ हैं। कहते हैं कि कारखाने बन्द हो जायेंगे इसलिये अटैचमेंट नहीं कर सकते। हमारे यहां अमरोहा कुन्दन शुगर फैक्ट्री पर ७ लाख रुपया किसानों का बकाया है। मैं गन्ना विकास मंत्री तथा मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा कि उनकी आदत है हर मर्तबा किसानों का रुपया

रोक लो । साल भर अपने काम में लाओ और केन सोसाइटी को वह रुपया अदा न करो और सूद भी मत दो । मैं यह कहने में हक बजानिब हूं कि यह सरकार नौकरशाही पर आधारित है । मैंने परसों भी पुलिस अनुदान पर कहा था और मैं आज पुनः मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, हरिजनों के साथ और मुसलमानों के साथ सर्विसेज में न्याय होना चाहिये। उन्हें आम शिकायत है कि उनके लिये दरवाजा बन्द है । प्रोमोशन इस बात पर दिया जाता है कि किस को रिश्तेदारी मिनिस्टर से है और उच्च अधिकारियों से है । योग्यता के आधार पर तरक्की नहीं दी जाती । कल एक सवाल का जवाब दिया गया था कि ५९ के करीब हरिजन उम्मीदवार बी०डी० ओ०, ए०डी०ओ० सेलेक्शन में भेजे गये और १९ लिये गये और यहां कह दिया गया कि अयोग्य हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों को नजर में रखें । हमारी पंचवर्षीय योजनायें पूरी कामयाबी के साथ चलें और लक्ष्य प्राप्त करें और ब्लाकों के स्तर पर जो तरक्की होनी है वह पूरी हो । उसका फायदा अमीर और गरीब सभी लोगों को हो ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

उपाध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने इस अनुदान के ऊपर भाषण दिये । कई ने कुछ सुझाव उपस्थित किये और कई ने कुछ आलोचनायें प्र तुत कीं । अब सब सदस्यों की आलोचनाओं का उत्तर देने का न तो अवसर है और न इस समय मेरा मन ही है । आज जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें इस सदन में गुजरी हैं उन बातों ने मुझे काफी आघात पहुंचाया है और हर माननीय सदस्य को जो कुछ यहां हुआ, उससे आघात पहुंचता होगा क्योंकि जो कुछ इस सदन में होता है वह प्रदेश में जाता है और प्रदेश के बाहर सारे देश में जाता है । ऐसी घटनाओं का असर हमारे जन जीवन पर बहुत भारी मात्रा में पड़ता है । पूर्व इसके कि मैं दो शब्द इन आलोचनाओं के विषय में इस अवसर पर कहूं मैं इस अनुदान के सिलसिले में सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और वे जो आज इस सदन में नहीं हैं उनतक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सबको मिल कर इस सदन की मान मर्यादा की रक्षा करनी है और यदि हम उस मान मर्यादा के रखने में इस सदन में असमर्थता प्रकट करते हैं तो हम सिर्फ अपने को ही कलंकित नहीं करते बल्कि जिन्होंने चुन कर भेजा है उन्हें भी कलंकित करते हैं । कोई किसी भी दल से चुन कर क्यों न आया हो परन्तु हर व्यक्ति जो इस सदन में आया है, उसने एक व्रत इस सदन के समक्ष लिया है कि वह विधान के प्रति अपनी श्रद्धा रखेगा और विधान के अन्तर्गत कार्य करेगा । अगर वह विधान के अन्तर्गत कार्य नहीं करता और विधान को गिराने की चेष्टा करता है तो उसकी गणना गणतन्त्र के पुजारियों में नहीं होगी परन्तु उन लोगों में होगी जो गणतन्त्र को गिराना चाहते हैं और उसकी जड़ों को खोखला करना चाहते हैं और खोखला करके हमारे बीच में उन बातों को ले आना चाहते हैं जिससे अधिनायकवाद का जन्म हमारे बीच में हो सकता है । मैं इस समय फिर भी उस अपनी आवाज को दुहराऊंगा जो आज सुबह दोहराई थी कि सदन का कार्य तो चलेगा यदि कोई उसके चलाने में रुकावट डालेगा तो उन विधियों से जिनकी इजाजत विधान ने दे रखी है हम सब के प्रति वह कार्यवाही की जायगी और करना चाहिये जिसके द्वारा विधान की रक्षा की जा सके ।

इसी वर्ष इस अनुदान में से वह चीजें निकाली गयी हैं, जिनका संबंध असेम्बली और कौंसिल से था । पिछले वर्ष तक जो कौंसिल और असेम्बली पर खर्च होता था और माननीय सदस्यों पर जो खर्च होता था वह इस अनुदान का हिस्सा था । अब वह एक अलग अनुदान बन गया है जिसको कि हमारे सहयोगी न्याय मंत्री जी ने इस सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया था । इसलिये मैं अधिक आज जो विषय इस अनुदान से संबंध नहीं रखते उनपर इस समय चर्चा नहीं करूंगा ।

एक बात की मुझे जो तकलीफ है वह यह है कि माननीय विजयपाल सिंह जी ने कुछ मेरी आलोचना की कि मैं उनके जिले में गया और उन्होंने वहां चन्दा इकट्ठा किया था और मैंने उनके प्रति उसके लिये आधार प्रकट नहीं किया । मुझे इस बात का दुःख है बहुत से मेरे साथी मिलकर चन्दा इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। मैंने उसी अवसर पर क्या प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मुझे जाने का अवसर भी मिला है, कहीं भी किन्हीं खास व्यक्तियों का नाम ले ले कर उन लोगों की प्रशंसा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नहीं की है और उनके प्रति आभार भी नहीं प्रकट किया व्यक्तिगत तौर पर, परन्तु सारे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, जिन्होंने इस चन्दा को इकट्ठा करने के कार्यों में या सुरक्षा के अन्य कार्यों में सहायता की है उनके प्रति आभार प्रकट किया है। क्योंकि जब सबने कार्य किया तो उसमें किसी खास व्यक्ति का नाम छांट कर उसके प्रति आभार प्रकट करना, मैं समझता हूं कि दूसरे के प्रति अन्याय होता। तो हम यदि कोई भूल से उस अवसर पर उन माननीय सदस्य को यदि मेरे इस कार्य से कोई दुख हुआ है तो मैं इसके लिये उनसे क्षमा प्रार्थी हूं।

जहां तक चन्दे का विषय है इस संबंध में इस सदन के समक्ष मुझे एक बात कहनी है और वह यह है कि गैरसरकारी व्यक्तियों ने चन्दा इकट्ठा करने में पूरा-पूरा योगदान जहां दिया वहां यह बात भी निर्विवाद है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर जिम्मेदारी से कार्य किया, उत्सुकता दिखायी, उमंग और जोश दिखाया। यह उन्हें लांछन देना कि उनमें कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं उचित नहीं है। भाई श्यामलाल जी ने उनकी बहुत आलोचना की कि सरकारी आदमी तो कोई उत्साह ही नहीं रखते, ये तो अंग्रेज की देन है और अंग्रेज के जमाने से चले आते हैं और यह सरकार भी जो वे करते हैं उसी की दाद देती है। मैं आज आपके द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। अंग्रेज के जमाने का अधिकारी अवश्य अंग्रेज की हुकूमत को कायम रखने के लिये कार्य करता था परन्तु आज आपने इस देश के अन्दर गणतन्त्र की स्थापना की है और गणतन्त्र जहां हो वहां अधिकारी गणतन्त्र की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करेगा। न तो आज उसे वह अधिकार है जो अंग्रेज के जमाने में उसे प्राप्त थी और न आज वह उस पद्धति से कार्य कर सकता है जिस पद्धति से अंग्रेज के जमाने में वह कार्य करता था। आज यह जो सारी पद्धति शासन के विषय में ऊपर से नीचे तक बदली है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अन्ततोगत्वा ताकत उनके द्वारा बरती जाय जो स्वतः ताकत देने के स्रोत हैं। इस देश का किसान ही सब को ताकत देता है, वही सब को चुनता है क्योंकि अधिकांश संख्या में वही इस देश के अन्दर रहता है। और गणतन्त्र में जो अधिकांश संख्या में रहता है, उसी के हाथ में ताकत का स्रोत रहता है। तो यह जो दिल्ली से लेकर गांव तक उत्तरोत्तर शासन की कार्य प्रणाली हम स्थापित कर रहे हैं वह क्या इस बात की द्योतक है कि ये अधिकारी सारे विषयों को कैसे अंग्रेज के जमाने में चलाते थे वैसे ही इस जमाने में भी इसको चलाते थे? क्या सारे शासन का यह उद्देश्य है? भले ही आज अभी उन उद्देश्यों के चलाने में जगह-जगह पर दिक्कतों और कमियों का सामना करना पड़ता हो, भले ही अभी हम जगह-जगह पर परम्परायें और मर्यादायें स्थापित न कर पाये हों परन्तु क्या उत्तरोत्तर हम आगे अदम उस दिशा में बढ़ाते नहीं जा रहे हैं? गांव सभायें हमने १९४७–४८ में भी कायम की थीं। उसमें उनको कुछ अधिकार भी दिये। जिला बोर्ड भी अंग्रेज के जमाने से चलते हैं लेकिन उन्हें हमने दूसरी रूपरेखा दी। तो क्या उस रूपरेखा ने इस बात का परिचय हमें नहीं कराया कि हम उत्तरोत्तर अपनी उन कमियों को जो अंग्रेज के जमाने से चली आ रही थीं हटाने का प्रयास कर रहे हैं? आज क्या यह बात सिद्ध है कि जो एक्सप्लायटेड है आज वह उसी तरह से एक्सप्लायटेशन के तहत में चल रहा है जैसे अंग्रेज के जमाने में चलता था? सारी योजनायें जो आज देहाती क्षेत्रों में लागू होने जा रहीं हैं और जिनके द्वारा गांव के जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा की जा रही है वह आज जो गिरा हुआ है उसको उठाने की दिशा में ही कार्य कर रही हैं। फिर आज यह शिकायत करना कि जो पददलित है, जो गिरा हुआ है उसको कोई बल नहीं मिलता, कोई सहयोग नहीं मिलता और शासन उसको आज भी दबोचे रहता है यह आज की परिस्थितियों के साथ न्याय करना नहीं है। कमियां आज भी हैं, खामियां भी हैं परन्तु सामाजिक जीवन में काफी उन्नति हुई है और काफी विचारों में परिवर्तन हुआ है। हमारे हरिजन भाई आज से १५।२० वर्ष पहले जिस तरह से गांव में अपना जीवन व्यतीत करते थे, आज उस तरह का उनका जीवन नहीं है। हो सकता है कहीं, कुछ जिलों में जहां सामन्तशाही युग के लोग अब भी जिन्दा हों और जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन न किया हो, वे अभी इसी तरह से

कार्य कर रहे हों। लेकिन जिस पुलिस की आप निन्दा करते हैं जिसमें कमियां और कमजोरियां हैं क्या अगर कोई सामन्तशाही युग के विचार रखने वाला व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी सहायता के लिये पुलिस नहीं पहुंचती है, वह अधिकारी जिसे भाई श्यामलाल जी बृटिश हुकुमत का एजेन्ट बताते हैं, क्या वह उसकी सहायता नहीं करता है ? श्याम लाल जी स्वतः अभी उस युग से उठ नहीं पाये हैं जिस युग में से उनके भाइयों को उन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता था। आज वे बदली हुई परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिये वे अनुभव नहीं कर सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों से हरिजन गुजरते थे। आज कितनी बड़ी क्रान्ति है, मैं इसको सामाजिक क्रांति ही मानता हूं जो हमारी नजरों के सामने से गुजरी है क्योंकि वे नवयुवक हैं, उन्हें अपने बुजुर्गों से उन स्थितियों से परिचय प्राप्त करना चाहिये और थोड़े तवारीख के पन्ने उलटने चाहिये। यदि वे तवारीख के पन्ने उलटेंगे तो जो समाज में उत्थान हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उसका भारी मात्रा में आभास नये ढंग से प्राप्त हो सकेगा।

मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह शासन जो गिरे हुये हैं, पददलित हैं, उनको उठाने की चेष्टा कर रहा है, बावजूद इसके कि अभी शासन में कमजोरी है, कमियां हैं और अभी सारे कर्मचारीगण उन हमारी अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी मात्रा में कार्य नहीं करते हैं परन्तु हमें इस कार्य को करने में अपने समाज में क्रांति लानी है। अभी इसके द्वारा जिसमें हमें भी हिस्सा लेना है, प्रत्येक को हिस्सा लेना है जो देश का नागरिक है, तभी उस कर्मचारी में भी जो अभी हमारे विचारों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, उसमें क्रांति ला सकेंगे और उसे प्रभावित कर सकेंगे और उस दिशा में चलने के लिये उसे प्रेरित कर सकेंगे जिसमें चलने के लिये मेरे साथी और सहयोगी श्यामलाल जी लाना चाहते हैं।

कई साथियों ने शिकायत की कि शासन कुन्बापरस्ती करता है, नौकरी अपने रिश्तेदारों को देता है और उनको नहीं देता जो पिछड़े हुये हैं। जहां तक नौकरी देने का विषय है वह इस अनुदान में आता है क्योंकि पी० एस० सी० का पैसा इसी में खर्च होता है तो कौन नहीं जानता है कि सारी नौकरियां पी० एस० सी० के द्वारा होती है और वह एक ऐसी संस्था है, जिसे विधान ने एक मान्यता दी है और जो एक स्वतंत्र संस्था है और नौकरियों के लिये आदमियों को न्याय और योग्यता की बुनियाद पर छांटती है तो सरकार पर दोषारोपण करना कहां तक उचित है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस तरह की आलोचना करना न्यायसंगत नहीं है और वस्तु स्थिति से परे की आलोचना है और यह वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं रखती। कितने ऐसे समय आये हैं जबकि इस सरकार ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिफारिशें की थीं उसके विरुद्ध कोई कार्य किया है और यदि कोई उसके विरुद्ध कार्य होता है तो वह सब आपके सामने आ जाता है। यदि कोई बात उसकी हम नहीं मानते हैं तो उसके कारण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके विषय में आप अपना मत देते हैं और सरकार का जो उसका मत होता है और जिस बात को ध्यान में रखकर वह उस निर्णय के विरुद्ध कोई फैसला करती है वह आपके सामने आ जाता है। शायद यहां हजारों आदमी प्रति वर्ष रेक्रूट किये जाते हैं वहां कभी एक परसेंट या दो परसेंट कोई ऐसा समय आया हो जब कि सरकार को अपना मत किसी नियुक्ति के विषय में दूसरे ढंग से अख्तियार करना पड़ा हो। यों तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐडवाइजरी बाडी ही मानी जाती है। परन्तु हमारी यह परम्परा रही है कि उसकी सिफारिशें आयें तो हम उन सिफारिशों को मानकर लोगों की नियुक्ति करें।

दूसरी बात शराफत हुसैन जी ने कही कि चार पांच रोज हुये शायद किसी मंत्री ने बी० डी० ओ० की नियुक्ति के विषय में यह बताया था कि बी० डी० ओ० की नियुक्ति में अधिक हमारे हरिजन भाई नहीं लिये गये। तो जहां तक हरिजन भाइयों की नियुक्तियां हैं वह तो सुरक्षित हैं और सुरक्षित होने के कारण जो दृष्टिकोण पब्लिक सर्विस कमीशन अधिक से अधिक उनके पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है वह उसका इस्तेमाल करने की चेष्टा करता है और उनकी नियुक्तियों की सिफारिश करता है। यदि कोई स्टैंडर्ड से कम आदमी है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने हरिजन भाइयों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की नियुक्ति के विषय में भी बना रखा है, यदि उससे कम स्टैंडर्ड का कोई व्यक्ति होता है तो वह उस व्यक्ति को नहीं लेते हैं। परन्तु जो नौकरियां उस अनुपात में कम रह जाती हैं वह नौकरियों दूसरे साल दुसरे सेलेक्शन में जोड़ ली जाती हैं और उस साल हरिजन भाइयों को मौका दिया जाता है कि वह इम्तहान में बैठें क्योंकि इम्तहान लिये जाते हैं और इम्तहान के बाद लोग उस नियुक्ति के पाने के अधिकारी होते हैं। इम्तहान भी होता है और इन्टरव्यू भी होता है, इन्टरव्यू में थोड़े मार्कस हैं। लेकिन ज्यादा पक्ष चूंकि एक संरक्षण हरिजन भाइयों को मिला है तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी ज्यादा पक्ष उन्हीं का लिया जाता है कि जिनकी संख्या संरक्षण के हिसाब से अधिक होनी चाहिये और यदि वह संख्या पूरी नहीं हो पाई है तो जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वह उस संरक्षण के अनुपात में रख सकते हैं, योग्यता को देखते हुये और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखते हुये जो उन्होंने रखा है, वह उनको रखते हैं। तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह नम्र निवेदन सदन के साथियों से है कि कोई कुनबापरस्ती नहीं है। कोई मिनिस्टर, कोई अधिकारी उसमें कोई अपनी राय देने का अधिकार नही रखता। वह तो फैसला पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है और उसके फैसले के हिसाब से नियुक्तियां होती हैं।

शराफत हुसैन साहब ने यह भी शिकायत की कि दारुल उल-उलूम देवबन्द में शासन के तहत में वहां एक तलाशी ले ली गई। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार और उसके एन्फोर्समेंट ब्रांच को पूरा अधिकार है कि जहां उसे सूचना मिले वहां वह हमारे स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंचकर तलाशी भी कर सकता है और वह किसी व्यक्ति को पकड़ने इत्यादि क वहां आदेश भी दे सकता है। हमारे पास कोई पहुंचे या न पहुंचे परन्तु एन्फोर्समेंट ब्रांच जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है या होम डिपार्टमेंट का है उसे अधिकार रहता है। इस किस्से में जिसमें तलाशी हुई है, उसमें तो फारेन एक्सचेंज के रेगुलेशन्स का ब्रीच था। उन्हें कोई इत्तिला मिली और उसके अनुसार उन्होंने कोई तलाशी इत्यादि ली। स्वत: मैं कह सकता हूं कि दारुल-उल-उलूम देवबन्द वह संस्था है जिसने हमारे बीच में ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया है कि जिन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया, राष्ट्रीयता का परिचय दिया और बावजूद बहुत से विरोधों के ऐसे लोग उससे निकले कि जिन्होंने इस देश के राष्ट्रीय जीवन का नेतृत्व किया। यह दुख की बात है कि आज कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे आ जायं। तो फिर आज आप कहते हैं कि हर स्थान पर आपको जरा चौकसी बरतनी चाहिये। यदि कोई कहीं ऐसे कानून का उल्लंघन हो रहा है तो चाहे बड़ी संस्था हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई दल हो, हर एक को कानून की शरण में जाना पड़ेगा, और कानून जो अधिकार देता है उन व्यक्तियों को, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये वह कार्य करते हैं और उनको करना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार ने कोई तलाशी का आदेश नहीं दिया। परन्तु यह बात है जैसा कि मैंने बतालाया कि जिलों के अन्दर जो हमारा एल० आई० यू० काम करता है, वहां कुछ वह देख-रेख करता है। उसके द्वारा पिछले २, ३, वर्षों में कुछ बातें केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के सामने आईं, जिसके कारण वहां देखना पड़ता है और खासकर आज कल के जमाने में उसको देखना पड़ता है। उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे आये जो पाकिस्तान के रहने वाले थे उन्होंने झूठा पता लिखा दिया आसाम का और बंगाल का। जब तलाशी हुई तो पता लगा कि वे आसाम और बंगाल के रहने वाले नही हैं। तो ऐसे समय में जब कि पाकिस्तान का रुख भार वर्ष के प्रति ऐसा है कि जो हमें सन्तोष नहीं देता यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान ऐसी संस्था में घुसेड़ दे या भेज दे तो फिर क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उनके ऊपर देख-रेख रखे? यदि आप हमसे चाहते हैं कि हम उत्तरदायित्व को निभायें और हमारे अधिकारियों से चाहते हैं कि वे अपने उत्तरदायित्व को निभायें तो हमें वह कार्य करना पड़ेगा और उन जिम्मेदारियों को अपने कन्धों पर उठाना पड़ेगा। लेकिन हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने उन साथियों को जिन्होंने इस विषय में आलोचना की कि न कोई हमारा मन्शा और न हमारे अधिकारियों का मन्शा है और न सरकार के किसी सदस्य का मन्शा उस संस्था के आदर सम्मान को घटाने का है या उसकी इज्जत जो है और जो रही है उसमें कोई कमी लाने का है लेकिन यदि वहां कोई गलती हो, यदि वहां कोई भूल

हो या वहां पर कोई धोखा देकर कोई कार्य कर बैठता है तो फिर उसकी भी खबर रखनी पड़ती है और खबर रखने के बाद उचित कार्यवाही करनी पड़ती है।

एक विषय की मैं और चर्चा करना चाहता हूं, जिस विषय में २, ३ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अधिकारी, जो हमारे चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। यदि किसी अधिकारी की ऐसी शिकायत है, यदि किसी हमारे सदस्य ने यह शिकायत की है कि हमारे जिलाधीश या कमिश्नर ने उनसे मिलने के लिये उनको समय नहीं दिया है तो मैं उनकी शिकायत की जांच ही नहीं करना चाहूंगा अपितु उस अधिकारी को ताड़ना भी दूंगा और उसको अपना दृष्टिकोण बदलने के लिये कहूंगा क्योंकि आज हम यह चाहते हैं कि जो हमारे चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनसे हमारे सरकारी अधिकारियों का सम्पर्क होना चाहिये। इसीलिये हमने विभिन्न समय पर कर्टसी वीक रखने की बात कही है। उसमें यह बात रखने की चेष्टा की है कि हिन्दू, मुसलमान या ईसाईयों के त्योहारों के अवसर पर हमारे अधिकारीगण आपस में जनता के प्रतिनिधियों से मिलें और उनको समय दें। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का ऐसा सम्पर्क हो कि जिससे एक दूसरे के प्रति अधिक बिश्वास बढ़े। यदि कोई जिलाधीश या कोई कमिश्नर ऐसी कमी दिखाता है तो अवश्य जनता के प्रतिनिधियों का यह अधिकार है कि वह ऐसे अधिकारी की हम तक शिकायत करे और हम इस बात का प्रबन्ध करेंगे क्योंकि आज इस गणतन्त्र के जमाने में कोई अधिकारी उस पुराने रुख को लेकर चलता है, चलना चाहता है, तो वह अपनी अयोग्यता का परिचय देता है। क्योंकि गणतन्त्र के इस युग में आज कोई उस ढंग से कार्य नहीं कर सकता। आज तो अन्तरिम जिला परिषदों और ब्लाक समितियों को बना कर हमने उनको जिलाधीश के बहुत से अधिकार दिये हैं और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधीश अपने अनुभव को सहयोग द्वारा उन चुने हुये प्रतिनिधियों को दे जो हमारे प्रमुख तथा परिषद् के अध्यक्ष के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। जिलाधीशों का अनुभव अधिक है और इस प्रकार के सहयोग से वे सरकारी कर्मचारियों का अनुभव पा सकते हैं। यह कार्य सहयोग द्वारा ही हो सकता है। इसलिये बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो हमारे आदेशों के विरुद्ध कार्य करता हो। किन्तु यदि वह ऐसा कार्य करेगा तो फिर, जैसा मैंने कहा, उसे ताड़ना मिलेगी और उसे वह एन्ट्री नहीं मिलेगी करेक्टर रोल में जो कि अच्छे अधिकारियों को मिलती है।

एक बात श्यामलाल जी और दूसरे सदस्यों ने भी कही, जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि हमारे प्रदेश में शासन पर, सर्विसेज पर खर्च बहुत ज्यादा है। मैं और वित्त मन्त्री जी कई बार आंकड़ों से यह सिद्ध कर चुके हैं कि जितनी हमारी आमदनी और जन-संख्या है, उसके अनुपात में अन्य प्रदेशों को देखते हुये हमारे शासन का खर्च कम है और जो मन्त्रिमंडल के विषय में बार-बार बात कही जाती है उसमें भी वह अधिक नहीं है। यदि आपके यहां ३१, ३२ मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स हैं तो बंगाल में ३७ हैं और महाराष्ट्र में भी प्राय: इतने ही हैं जब कि वे अनुपात में हमारे आधे या एक बटा तीन हैं। इसके अतिरिक्त १२, १३ नये आदमी जो हैं, वे कल अपना नया उत्तरदायित्व सम्हालेंगे जब यह बुजुर्गवार इन स्थानों को यहां से खाली करेंगे। तो क्या उन्हें कुछ सीखना नहीं चाहिये? इसके अलावा आखिर हम उनको क्या देते हैं? जो तनख्वाह आप पाते हैं वह उनको मिलती है। जिस घर में आप रहते हैं वह उनको मिलता है। जो एलाउन्स आपको मिलता है वही उनको मिलता है।

श्री श्यामलाल ––

तनख्वाहों में अपार कमी होनी चाहिये मिनिस्टरों की।

श्री चन्द्रभानु गुप्त ––

मन्त्रियों की तनख्वाह मुरार जी के बजट के बाद इस उत्तर प्रदेश में अब साढ़े सात सौ रुपया है। मैंने पता लगाया था कि हमारे साथी एम० एल० ए० पर मकान, तनख्वाह आदि सब मिला कर ४०० रुपया खर्च होता है। तो हम मन्त्रिगण अगर २४ घंटे यहां पर रहते हैं,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

घरबार ला कर यहीं जमा देते हैं और आप उनसे इतना काम लेना चाहते हैं तो फिर क्या शिकायत हो सकती है उनसे आपको ? यूं तो अगर मुख्य मन्त्री कई पोर्टफोलियों ले लेता है तो आपको शिकायत है और अगर सब बांट देता है, कुछ काम नहीं करता तो भी आपको शिकायत है। तो मैं नहीं समझ पाता कि आखिर आपके विचारों का संतुलन कहां पर है। आप संतुलित ढंग से कब आलोचना करते हैं ? अब समय नहीं है और मैं ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहता। मेरा मन भी नहीं था बोलने का क्योंकि जो घटनायें आज यहां हुईं उन्होंने मुझे भी आघात पहुंचाया है। यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सुझाव आपने दिये हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह सुझाव यदि कार्यान्वित किये जा सकेंगे, तो सहानुभूतिपूर्वक उनके कार्यान्वित करने की भारी मात्रा में चेष्टा की जायगी। अब मैं अधिक समय सदन का न लेते हुये आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जो अनुदान पेश किया गया है, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,१२,३३,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--

एक मुझे आप सब लोगों को सूचना देनी है जो कि इस प्रकार है। "मुझे आपको यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निम्नलिखित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है :

(१) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय---२३ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक।

(२) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय--२५ मार्च, १९६३ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--२७ मार्च, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक ३० मार्च, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

२--उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा किया जायगा।

३--इस निर्वाचन से सम्बन्धित नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) --
श्रीमन्, कल का क्या प्रोग्राम है ?

मुख्यमन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त) --
कल छुट्टी है।

श्री उपाध्यक्ष--
अब हम उठते हैं और २५ मार्च, १९६३ को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर सोमवार, २५ मार्च, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२२ मार्च, १९६३।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर]

गांधी फैजेआम डिग्री कालेज, शाहजहांपुर में स्थित है। कालेज की मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स यूनियन के बीच कुछ समय से कालेज के प्रांगण में भारत माता की प्रतीक स्थापना के सम्बन्ध में मतभेद चल रहा था। यूनियन की ओर से ऐसा प्रतीक स्थापन करने के स्थान के लिये जनवरी, १९६२ के प्रारम्भ में अनुमति मांगी गई थी किन्तु मैनेजमेंट की ओर से यह अनुमति प्रदान नहीं हुई। इस वर्ष जनवरी ८ को यूनियन की ओर से भारत माता का प्रतीक कालेज के प्रांगण में स्थापित कर दिया गया। २६ जनवरी, १९६३ को यूनियन ने गणतन्त्र दिवस का समारोह इस प्रतीक के सामने मनाया। कालेज के अधिकारियों ने यह समारोह दूसरे स्थान पर मनाया। इसके कारण वातावरण में तनातनी बढ़ गई। विदाई समारोह का आयोजन किया जिसमें उनके शिक्षक भी आमंत्रित थे। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन सक्सेना एक अन्य छात्र के साथ अनामन्त्रित वहां पहुंच गये। श्री सक्सेना ने समारोह का विरोध किया। ऐक्टिंग प्रिंसिपल और श्री सक्सेना में बहुत गरमागरमी हो गई। इस पर प्रिंसिपल ने श्री सक्सेना को कालेज से निष्कासित (Expel) कर दिया। २५ फरवरी, १९६३ को श्री सक्सेना और कालेज के एक और अन्य छात्र श्री बालमुकन्द अग्रवाल कालेज में भूख हड़ताल के लिये बैठ गये। शान्ति भंग होने की आशंका के कारण जिला अधिकारियों ने भूख हड़तालियों को फरवरी २७ को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। श्री बालमुकुन्द अग्रवाल ने फरवरी २७ को मांफी मांग ली और उसी दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। श्री सक्सेना मार्च १८ को शान्ति रखने के लिये जमानत मुचलका देने पर रिहा कर दिये गये। उपरोक्त बातों से यह प्रतीत होगा कि कालेज के अधिकारियों और छात्रों के बीच में वैमनस्य के दो कारण हैं।

(१) कालेज के अधिकारी भारत माता के प्रतीक की स्थापना के विरोधी रहे हैं और उसको पुन: हटा देने के लिये प्रयत्नशील हैं।

(२) कालेज के अधिकारियों ने श्री सक्सेना को कालेज से निकाल देने का जो आदेश दिया है उसे यूनियन वाले बदले की भावना से प्रेरित मानते हैं।

जिलाधीश, शाहजहांपुर दोनों पक्षों के बीच शान्तिपूर्ण ढंग से मतभेद को निपटाने का प्रयास करते रहे हैं किन्तु अभी तक इस में सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

नत्थी 'ख'

[देखिये ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर]

विभागों के नाम		स्थगित किये गये कार्यों की लागत
		रु०
१--वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग	.. ..	१६,५३,७६०
२--शिक्षा विभाग	.. ..	१,०६,२३,३१२
३--चिकित्सा विभाग	.. ..	७६,९५,०८५
४--कृषि विभाग	.. ..	१९,५५,४०८
५--पशु-पालन विभाग	.. ..	२५,८८,८८०
६--उद्योग विभाग	.. ..	१७,९८,०५०
७--विविध विभाग	..	७६,७८,३१०
	योग ..	३,३९,९२,८०५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर ।]

उन व्यक्तियों के नाम जिनकी नियुक्ति सी० ओ० व ए० सी० ओ० के पेशकार के पदो पर की गई

१--श्री रामसम्हल फटियार
२--गोपीकृष्ण शर्मा
३--रामकृष्ण द्विवेदी
४--गिरधारीलाल शर्मा
५--राजकुमार श्रीवास्तव
६--धरमपाल वर्मा (लोध)
७--बालकृष्ण पाल
८--प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव
९--हरिश्चन्द्र निगम
१०--शिवराम शुक्ल
११--मसीउल्लाह खां
१२--बृजपाल सिंह कन्नौजिया (कुर्मी)
१३--नेमचन्द्र शर्मा
१४--प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव
१५--परसुराम कुमार श्रीवास्तव
१६--बृजबहादुर सिंह ठाकुर
१७--प्रोंकारनाथ श्रीवास्तव
१८--कृष्णगोपाल श्रीवास्तव
१९--शिवमोहन शुक्ला
२०--छोटेलाल शुक्ला
२१--करनसिंह कटैला ठाकुर
२२--एस० के० अग्निहोत्री

विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर]

अस्थाई कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम		प्रथम नियुक्ति की तिथि	अधिष्ठान जिसमें कर्मचारी कार्य कर रहा है या करता था।
१	२		३	४
१	श्री गया प्रसाद	..	४–९–४३	कलेक्ट्रेट
२	,, जगदीश नरायन चित्रे	..	२–२–४५	,,
३	,, दया राम	..	१८–११–४७	,,
४	,, कर्तार सिंह	..	३–२–४८	,,
५	,, शान्ति स्वरूप	..	११–६–४८	,,
६	,, कालिका प्रसाद	..	९–१०–४८	,,
७	,, जहीरुद्दीन अहमद	..	६–४–४९	,,
८	,, मुहम्मद खुरशेद अली खां	..	१–४–५०	,,
९	,, कृष्ण मुरारी हजेला	..	१३–१०–५०	,,
१०	,, वेद प्रकाश दूबे	..	१८–८–५१	,,
११	,, गुरू प्रकाश	..	२१–८–५१	,,
१२	,, जदुनाथ सिंह	..	२-६-५२	जेड० ए० सी०
१३	,, कृपा शंकर	..	२–१२–५२	कलेक्ट्रेट
१४	,, वीरेन्द्र सिंह	..	१२–१२–५२	जेड० ए० सी०
१५	,, नाथू लाल अवस्थी	..	१९–१२–५२	कलेक्ट्रेट
१६	,, ओम प्रकाश सारस्वत	..	२३–१२–५२	,,
१७	,, राम सलोने	..	९–६–५३	,,
१८	,, राम किशोर	..	१०–६–५३	,,
१९	,, चन्दिका प्रसाद	..	८–७–५३	जेड० ए० सी०
२०	,, गंगा विशुन	..	५–८–५३	कलेक्ट्रेट
२१	,, नन्द किशोर	..	२८–८–५३	,,
२२	,, चन्द्र पाल सिंह	..	१–९–५३	,,
२३	,, इन्दर मोहन	..	१०–९–५३	जेड० ए० सी०
२४	,, जगदीश सिंह	..	६–१–५४	,,
२५	,, मुहम्मद शकी इद्रीसी	..	१–२–५४	,,
२६	,, राममुरारी लाल	..	१–२–५४	,,
२७	,, रामाधर	..	१–२–५४	,,
२८	,, विद्या राम	..	१–२–५४	,,
२९	,, राजेन्द्र सिंह	..	३–२–५४	,,
३०	,, रनवीर सिंह तंदवा	..	१७-२–५४	जेड० ए० सी०
३१	,, कैलाश बाबू	..	२२–२–५४	कलेक्ट्रेट
३२	,, जगदीश शंकर	..	४–३–५४	जेड० ए० सी०

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम		प्रथम नियुक्ति की तिथि	अधिष्ठान जिसमें कर्मचारी कार्य कर रहा है या करता था।
१	२		३	४
३३	श्री देव पाल सिंह	..	२१-४-५४	कलेक्ट्रेट
३४	,, यदुनाथ सिंह	..	५-६-५४	,,
३५	,, राजनारायण चतुर्वेदी	..	३-७-५४	,,
३६	,, देव सिंह	..	९-४-५५	,,
३७	,, सुरेन्द्र सिंह	..	१६-५-५५	,,
३८	,, शम्भू दयाल	..	१४-६-५५	,,
३९	,, नरेन्द्र नाथ	..	१८-६-५५	,,
४०	,, बलवन्त सिंह	..	२१-६-५५	,,
४१	,, जय प्रकाश	..	४-७-५५	,,
४२	,, स्विंदर सिंह	..	११-७-५५	,,
४३	,, राधेश्याम गुप्ता	..	१४-७-५५	,,
४४	,, राजकिशोर मिश्र	..	२-९-५५	जेड० ए० सी०
४५	,, विन्देश्वरी प्रसाद	..	१२-९-५५	कलेक्ट्रेट
४६	,, ओमप्रकाश दूबे	..	२५-११-५५	जेड० ए० सी०
४७	,, दौलत राम	..	२६-११-५५	कलेक्ट्रेट
४८	,, शान्तिस्वरूप पाठक	..	१३-१२-५५	जेड० ए० सी०
४९	,, गिरीशचन्द्र कटियार	..	४-२-५६	,,
५०	,, शिवराज सिंह	..	१७-२-५६	कलेक्ट्रेट
५१	,, राम औतार	..	१५-३-५६	जेड० ए० सी०
५२	,, राधे शंकर	..	३१-३-५६	,,
५३	,, सुरेशचन्द्र बाजपेयी	..	७-५-५६	कलेक्ट्रेट
५४	,, कृष्ण कुमार	..	८-६-५६	जेड० ए० सी०
५५	,, गुरनाम सिंह	..	६-९-५६	कलेक्ट्रेट
५६	,, रघुबीर सरन	..	७-११-५६	,,
५७	,, जगदीश चन्द्र	..	१०-१२-५६	,,
५८	,, राधे श्याम	..	३-५-५७	जेड० ए० सी०
५९	,, राजेश्वर दयाल	..	२२-७-५७	कलेक्ट्रेट
६०	,, श्रीराम	..	११-६-५८	जेड० ए० सी०
६१	,, मुन्ना लाल	..	१४-६-५८	,,
६२	,, अटल बिहारी लाल	..	१४-७-५८	,,
६३	,, सुरेश चन्द्र	..	२५-७-५८	,,
६४	,, श्यामप्रकाश	..	१-९-५८	,,
६५	,, होरी लाल	..	७-१०-५८	,,
६६	,, शिव कुमार	..	१२-८-५९	,,
६७	,, बाबू राम	..	१०-१-६१	कलेक्ट्रेट
६८	,, तेज राम	..	१०-१-६१	,,

नत्थी "ङ"

[देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर।]

१९६१–६२—	रु०
१—लोकमान्य तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	७,५००
२—क्राइस्ट दि किंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी (ऐंग्लो इंडियन स्कूल)	५,०००
३—डा० मा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोथ, झांसी ..	५,०००
१९६२–६३—	
१—सेंट फ्रांसिस कन्वेंट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	३,०००
२—श्री मर्दन सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, तालबेहट, झांसी ..	५,०००
३—सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिरगांव, झासी	५,०००
४—सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिपरी बाजार, झांसी	५,०००
५—सरस्वती पाठशाला इन्डस्ट्रियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांसी	५,०००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

[देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर।]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सुल्तानपुर में प्रविष्ट छात्राध्यापकों की सूची

क्रम-सं०	नाम छात्राध्यापक	योग्यता
१	अब्दुल बारी	हाई स्कूल
२	अब्दुल वहाव	हाई स्कूल
३	अम्बिका प्रसाद	हाई स्कूल
४	अयोध्या प्रसाद	हाई स्कूल
५	अलगू राम	इन्टर
६	ओम प्रकाश	जू० हा० स्कूल
७	उदय भान	हाई स्कूल
८	कमला प्रसाद	हाई स्कूल
९	कृपा शंकर	इन्टर
१०	कैलाश नाथ	इन्टर
११	गया प्रसाद	हाई स्कूल
१२	गुरुदीन उपाध्याय	हाई स्कूल
१३	गुरुदीन वर्मा	हाई स्कूल
१४	गूदर राम हरिजन	हाई स्कूल
१५	गोकुल प्रसाद द्विवेदी	इन्टर
१६	चन्द्रभूषण सिंह	इन्टर
१७	जगदीश प्रसाद सिंह	इन्टर
१८	जगदीश प्रसाद त्रिपाठी	हाई स्कूल
१९	जयकरन हरिजन	हाई स्कूल
२०	जय दयाल सिंह	इन्टर
२१	जय नारायण लाल	हाई स्कूल
२२	दल सिंगार	हाई स्कूल
२३	दूध नाथ	हाई स्कूल
२४	देव बक्स	हाई स्कूल
२५	धर्मेन्द्र सिंह	हाई स्कूल
२६	प्रभुनाथ त्रिपाठी	जू०हा०स्कूल तथा मध्यमा
२७	प्रेमनाथ शुक्ल	हाई स्कूल
२८	प्रसादी हरिजन	हाई स्कूल
२९	बखेड़ू राम	हाई स्कूल
३०	बदरुद्दीन खां	हाई स्कूल
३१	बल्लभाधर	हाई स्कूल
३२	बाबूलाल वर्मा	हाई स्कूल
३३	बाल मुकुन्द	हाई स्कूल
३४	विन्देश्वरी प्रसाद	हाई स्कूल
३५	बुद्धूराम यादव	हाई स्कूल
३६	बेचन सिंह	इन्टर
३७	बैजनाथ (नाम काट दिया गया)	कक्षा ९
३८	भारद्वाज	जू० हा० स्कूल
३९	मंगला प्रसाद	इन्टर
४०	महन्त प्रसाद	हाई स्कूल
४१	महेश नारायण द्विवेदी	हाई स्कूल
४२	मालिक राम	पूरक हिन्दुस्तानी मिडिल
४३	मुहम्मद मूसा खां	हाई स्कूल
४४	यमुना प्रसाद	हाई स्कूल
४५	रमाकान्त	इन्टर
४६	रमापति	हाई स्कूल
४७	रमा शंकर	हाई स्कूल
४८	राम अचल	इन्टर
४९	राम अभिलाष सिंह	हाई स्कूल
५०	राम अभिलाष तिवारी (नाम काट दिया गया)	कक्षा ८
५१	राम कलप	हाई स्कूल
५२	राम झलक	इन्टर
५३	रामदास	इन्टर
५४	रामदीन	इन्टर
५५	राधेश्याम पांडेय	इन्टर
५६	रामनरेश द्विवेदी	जू० हा० स्कूल तथा मध्यमा
५७	रामनरेश वर्मा	हाई स्कूल
५८	राम निरंजन	इन्टर
५९	रामनिहोर दूबे	हाई स्कूल
६०	राम प्रताप पांडेय	हाई स्कूल
६१	राम प्रसाद सिंह	हाई स्कूल
६२	रामफेर	इन्टर

क्रम-संख्या	नाम छात्राध्यापक	योग्यता	क्रम-संख्या	नाम छात्राध्यापक	योग्यता
६३	राम बरन	हाई स्कूल	७९	शिव प्रसाद	हाई स्कूल
६४	राम अभिलाष		८०	शिवराम गुप्त	इन्टर
	(नाम कटा लिया गया)	हाई स्कूल	८१	शीतला प्रसाद	हाई स्कूल
६५	राम मिलन शुक्ल	इन्टर	८२	श्री गोविन्द	हाई स्कूल
६६	राम मिलन हरिजन	इन्टर	८३	श्रीपाल यादव	हाई स्कूल
६७	राम मूर्ति	हाई स्कूल	८४	सन्त प्रसाद लाल	इन्टर
६८	राम यज्ञ	इन्टर	८५	सुरेन्द्र नाथ	हाई स्कूल
६९	राम राजपाल	हाई स्कूल	८६	सूर्य भानु	हाई स्कूल
७०	रामलखन यादव	इन्टर	८७	सूर्य दीन	इन्टर
७१	राम लगन मुराव	इन्टर	८८	सूर्य नारायण	हाई स्कूल
७२	राम सुन्दर	हाई स्कूल	८९	हनुमान प्रसाद	हाई स्कूल
७३	राम शरण	इन्टर	९०	हर्ष बहादुर	हाई स्कूल
७४	लक्ष्मीकान्त तिवारी	हाई स्कूल	९१	हरि शंकर	हाई स्कूल
७५	लालता प्रसाद	हाई स्कूल	९२	त्रिलोक नाथ	इन्टर
७६	वारिस अली	हाई स्कूल	९३	त्रिवेणी प्रसाद	हाई स्कूल
७७	शान्तिस्वरूप	हाई स्कूल	९४	त्रिशूल धारी	हाई स्कूल
७८	शारदा प्रसाद	हाई स्कूल	९५	उमा शंकर	हाई स्कूल

बदर पदुरा मठ

नत्थी 'छ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर।]

क्रम-संख्या	शिक्षक का पूरा नाम	वर्तमान ग्रेड	जिस दिन से कार्य कर रहे हैं।
१	२	३	४
१	श्री राम अभिलाष शुक्ल सहायक अध्यापक (हिन्दी) ..	१२०–३००	३०–८–१९६१
२	श्री राम निवास द्विवेदी, सहायक अध्यापक (संस्कृत) ..	,,	२६–७–१९६०
३	श्री अब्दुल हन्नान सहायक अध्यापक (पर्शियन) ..	,,	दिसम्बर, १९५६
४	श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तवा	,,	८–७–१९४०
५	श्री धर्म देव त्रिपाठी	,,	६–१२–१९५८
६	श्री श्याम सुन्दर ओझा	,,	१४–७–१९६१
७	श्री चन्द्रभूषण शुक्ल	,,	१५–७–१९६१
८	श्री एम० पी० मिश्रा	,,	१–८–१९६२
९	श्री आर० पी० श्रीवास्तवा	,,	सितम्बर, १९६२
१०	श्री राम गोपाल शरण श्रीवास्तवा ..	,,	१२–२–१९६३
११	श्री चन्द्र भाल पांडेय	,,	१५–९–१९६१
१२	श्री वंश गोपाल, सहायक अध्यापक (कला) ..	,,	२९–२–१९५६
१३	श्री के० बी० सिंह, सहायक अध्यापक (कला)	७५–२००	११–१२–१९६०
१४	श्री राम नन्दन सिंह, सहायक अध्यापक, शारीरिक शिक्षण	,,	जुलाई, १९६२
१५	श्री इन्देश्वरी पाल	,,	१६–७–१९६०
१६	श्री उत्तमानन्द उपाध्याय	,,	६–१०–१९५०
१७	श्री मालिक मिनत उल्लाह	,,	२८–८–१९५२
१८	श्री पतेश्वरी लाल	,,	१८–३–१९५५
१९	श्री बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तवा ..	,,	१६–३–१९५५
२०	श्री मंगला प्रसाद पांडेय	,,	१२–७–१९६०
२१	श्री चन्द्र शेखर मिश्र	,,	जुलाई, १९६२
२२	श्री राम मूर्ति सिंह	,,	१५–७–१९६०
२३	श्री शंकर शरण वर्मा	,,	१०–१२–१९५९
२४	श्री श्रीकान्त मिश्र, सहायक अध्यापक (संस्कृत)	,,	२०–१२–१९६१
२५	श्री यावर हुसैन	,,	जुलाई, १९६१

नत्थी 'ज'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर।]

संयुक्त शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को संबोधित शासन की राजाज्ञा यू० ओ० संख्या डी० १/१६२/१५-८०० (८४)-५६ दिनांक ३ मार्च, १९६० का हिन्दी अनुवाद

राजाज्ञा संख्या बी (पी)/२०००/१५-६४९-५६, दिनांक १५, फरवरी १९५७ का अतिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि स्थानीय निकायों के प्राथमिक स्कूलों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् राज्यपाल महोदय ने निम्नवत् आज्ञा प्रदान की है :—

(१) वे पुरुष अध्यापक जिनकी अवस्था दिनांक (३१-५-६० को) ३५ वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें कम से कम ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो वे प्रशिक्षण योग्यता से पूर्णतः मुक्त कर दिये जायं।

(२) वे अध्यापिकायें जिनकी अवस्था (दिनांक ३१-५-६० को) ३० वर्ष या उससे अधिक हो और जो कम से कम ३ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखती हों वे भी प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त कर दी जायं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश नगरपालिकाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के सेक्शन ७३ (२) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में नगरपालिकाओं द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के रक्खे जाने का प्राविधान नहीं है।

(३) जो अध्यापक (दिनांक ३१-५-६० को) ३५ वर्ष से कम हों और जिनका अध्यापन अनुभव ३ वर्ष से अधिक और ५ वर्ष से कम हो उन्हें प्राइवेट अभ्यर्थियों के रूप में ३ बार एच० टी० सी० की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाय। यदि वे एच० टी० सी० परीक्षा पास नहीं कर पाते तो उन्हें अन्य कोई सुविधा न दी जाय।

(४) जिन अध्यापकों की अवस्था (दिनांक ३१-५-६० को) २८ वर्ष से अधिक हो और जिनका अध्यापन अनुभव कम से कम ३ वर्ष का हो उन्हें नार्मल स्कूलों में संक्षिप्त प्रशिक्षण कोर्स की सुविधा निम्नवत् दी जाय:—

(क) संक्षिप्त प्रशिक्षण कोर्स ४ महीने की अवधि का होगा और २ वर्षों में दिया जायेगा। यह कोर्स प्रति वर्ष मई और जून के महीनों में दिया जायेगा और आवश्यकता होने पर अध्यापकों को १ महीने की अवैतनिक छुट्टी उक्त कोर्स के लिये लेना होगी।

(ख) नार्मल स्कूलों के अध्यापकों से मई और जून में कार्य करने को कहा जायगा और इस प्रकार जो अवकाश वे उपार्जित करेंगे वह उन्हें बाद में दी जायेगी।

(ग) उक्त संक्षिप्त प्रशिक्षण पर जो व्यय होगा वह नार्मल स्कूलों के लिये साधारणतया निर्धारित आकस्मिक व्यय कोष से वहन किया जायेगा। अध्यापकों को शिल्प सामग्री पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा और

संक्षिप्त प्रशिक्षण कोर्स की अवधि में उन्हें कोई स्टाइपेन्ड भी नहीं दिया जायेगा क्योंकि संक्षिप्त प्रशिक्षण कोर्स उन्हीं के हित में होगा।

(५) जो अध्यापक (दिनांक ३१-५-६० को) २८ वर्ष की अवस्था से कम होंगे और जिन्हें ३ साल से कम का अध्यापन अनुभव होगा उन्हें एच० टी० सी० प्रशिक्षण के चुनाव में प्राथमिकता दी जायेगी।

उक्त आदेशों के अनुसार स्थानीय निकायों को विस्तृत निदेश कृपया दिये जायं और उक्त निदेशों से शासन को भी अवगत कराया जायगा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर।]

क्रम-संख्या	फर्रुखाबाद जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम	१९६२-६३ में स्वीकृत आवर्तक अनुपालन अनुदान
१	२	३
	साहाय्यिक--	रु०
१	स्वरूप नारायण, कन्नौज	३८,५६८
२	दुर्गा नारायण ऐन्ड ए० के० क्षत्रिय, तिर्वा ..	३०,९००
३	भारतीय शिक्षा सदन, सिकन्दरपुर	२३,४४८
४	श्री कन्हैयालाल राम शरण रस्तोगी	२४,६४८
५	क्रिश्चियन	२८,७४०
६	एस० वी० एस०, कन्नौज	३२,१३६
७	एस० एन० एम०, कायमगंज	२७,५८८
८	वी० पी०	३१,४६४
९	म्युनिसिपल, फतेहगढ़	२०,१८४
१०	राष्ट्रीय विद्यामन्दिर, अकबरपुर	२०,७४८
११	स्वामी रामानन्द	२६,३७६
१२	एच० एल० वैश्य नेशनल, छिबरामऊ	२०,८५६
१३	महात्मा गांधी, मढ़पुर	१२,५२८
१४	ए० बी० शमशाबाद	१७,७६०
१५	देवपाल सिंह मुसा खिरिया, जहानाबाद	३,८७६
१६	जनता राजेन्द्र नगर परवना	९,३३६
१७	आर० पी० कमालगंज	८,१६०
१८	कृष्ण सहाय राष्ट्रीय, कम्पिल	३,४३५
१९	नारायण आर्य कन्या	३६,५१६
२०	सुशीला देवी, कन्नौज	१५,६८४
२१	राखा, फतेहगढ़	११,४४८
२२	जमुना प्रसाद हिन्दू, कन्नौज	१४,५९२
२३	कनोडिया बालिका विद्यालय	१७,७४८
२४	राम स्वरूप शहीद विद्यालय, मेरोपुर	४,९९२
२५	स्वामी रामानन्द बालिका विद्यालय	७,१२८
	असाहाय्यिक--	१९६२-६३
२६	भारतीय विद्यामन्दिर, महेशनगर, मुहम्मदाबाद ..	X
२७	स्वामी एकरसानन्द, तराजाकट	X
२८	स्वामी रामानन्द शुकरुल्लापुर, मुसलपुर	X
२९	सरदार पटेल, कलाटीपुर, इन्द्रगढ़	X

नत्थी 'ञ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

सड़कों व पुलों के तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु अन्तरिम जिला परिषद् कानपुर की सिफारिश

सड़क का नाम	लम्बाई मील
सड़कें—	
१—बिल्हौर—रसूला बाद सड़क	२२ १/२
२—सरसौल—सारह—घाटमपुर सड़क	२१ १/२
३—पुखरायां—मुनगेश्वर—डेरापुर सड़क	१५
४—नबीपुर—गजनेर—घाटमपुर सड़क	२२
५—रमईपुर—जहानाबाद सड़क	२० १/४
६—झींझक—सिकन्दरा सड़क	१४ १/२
७—रायपुर—गजनेर—मूसा सड़क	१७
८—चौबेपुर—बिठूर सड़क	५
९—शिवली—रूरा सड़क	—
१०—डेरापुर—रजधान सड़क	—
११—रसूलाबाद—लहरपुर सड़क	—

पुल—

१—रिन्द और पाण्डु नदी पर सरसौल—घाटमपुर सड़क पर पुल का निर्माण

२—सेंगुर नदी पर झींझक सिकन्दरा सड़क पर पुल निर्माण

३—रसूलाबाद—झींझक सड़क पर रिन्द तथा सियारी नदी के पुलों का पुख्ता करना

४—ककवान में पाण्डु नदी पर पुल निर्माण

पुनः निर्माण—

१—वारीयाल—हमीरपुर सड़क

आधुनीकरण—

१—कल्यानपुर—बिठूर मार्ग का चौड़ा करना

२—भाटी—अकबरपुर—रूरा डेरापुर

३—नरवल—सरसौल

नत्थी 'ट'

[देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

तृतीय योजना काल में निर्मित होने वाले कार्यों की सूची

चालू योजना—

ओ० डी० आर० तथा बी० आर० का पक्का करना

१—सिकन्दरा—मगलौर

नई सड़क का निर्माण—

२—जी० टी० रोड के ६३५ मील से ई० एम० सड़क तक

३—रसूलाबाद—झींझक सड़क

आधुनीकरण व सुधार—

४—कानपुर—चौबेपुर बेला सड़क

पुल—

५—डेरापुर के निकट रूरा—डेरापुर सड़क पर सेंगुर नदी पर पुल का निर्माण

नई योजना

१—रूरा—अकबरपुर	..	..	..	८ मील
२—रूरा—डेरापुर	..	..	..	८ मील

पुल—

३—झींझक—रसूलाबाद सड़क पर रिन्द नदी पर पुल।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

[देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर]

गत ३ वर्षों में वसूल की गई धनराशि तथा बकाया का ब्यौरा निम्न प्रकार है

	नाम तहसील	वसूल की गई धनराशि			बकाया		
		१३६७ फ०	१३६८ फ०	१३६९ फ०	१३६७ फ०	१३६८ फ०	१३६९ फ०
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	रामसनेहीघाट ..	१८,११,८२९.८०	२३,८८,६६४.६८	२०,९६,७४२.६४	४,८७,१८०.५८	५,८४,७२१.८१	७,५८,७२७.५४
२	फतेहपुर ..	२०,४८,६६८.८८	१६,२२,२६१.६८	१५,७५,२७४.०१	४,८७,२६४.०९	१,०६,८३२.३१	८७,६३९.१८
३	हैदरगढ़ ..	११,८२,८६१.९१	११,४६,०२६.०७	१०,७०,१७४.१७	७,३९२.५३	९३,९५८.८९	८५,८२६.३०
४	नवाबगंज ..	१७,६४,६३२.३८	१७,२७,०९८.२९	१६,८५,९७३.२४	६३,७९८.५०	४६,२९७.९०	३५,५९२.५१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

[देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर।]

सड़कें	लम्बाई	विशेष
चालू योजना		
इम्प्रूवमेंट एंड रिकन्सट्रक्शन—वर्तमान सड़कों का सुधार—		
१—उस्का नौगढ़ सड़क	७—४	
२—बस्ती मेहन्दावल सड़क	७—०	
३—बस्ती डोमरियागंज सड़क	१५—०	
४—खलीलाबाद मेहन्दावल (१३—१५) ..	३—०	
५—खलीलाबाद मेहन्दावल (पिछड़े क्षेत्रों की योजना) १।६	६—०	
६—खलीलाबाद मुखलीशुपुर	३—०	
नव निर्माण—		
१—बांसी तलपुरवा सड़क	९—१ १/२	
२—बस्ती मेहन्दावल सड़क	१६—५	
३—तालपुरवा इटवा तुलसीपुर वाया बिसखोहर	१९—०	यह कार्य तीसरी
४—बांसी मेंहदावल सड़क	१८—०	पंचवर्षीय योजना
५—डोमरियागंज रूदौली	१५—०	में पूर्ण हो जाने
६—उस्का ब्रिजमनगंज	५—१	की आशा है।
सी० सी० ट्रेक्स—		
१—खलीलाबाद मेंहदावल	६—०	
२—विश्वनाथपुर महोली	४—३	
३—एक्सटेन्शन आफ बस्ती मेंहदावल ..	५—०	
४—बस्ती डोमरियागंज	४—५	
५—मुनडेरवा लालगंज	६—०	
६—बभनान गौर	४—४	
७—बभनान धारीघाट	७—०	
८—पी० डब्ल्यू० डी० डोमरियागंज सड़क खार-खुराल तक	४—०	
९—पन्डिया हनुमानगंज	२—४	
१०—गौरा धनौरा	१—४	
११—महरौना पकरडन्ड	२—०	
१२—जगदीशपुर समरायान तक ..	२—०	
नई योजना		
वर्तमान सड़कों का सुधार—		
१—बस्ती बांसी सड़क	१३—०	यह कार्य तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में पूर्ण हो जाने की आशा है।

सड़कें	लम्बाई	विशेष
२ नव निर्माण—		
१—सिकरीगंज धन्घटा मुखलीशपुर ..	१६—१	
२—हरिया बभनान सड़क पारसरामपुर ..	११—०	
केन्द्रीय सड़क निधि योजना नव निर्माण—		
१—महसीन महोली सड़क	१४—०	
मानव शक्ति उपयोग योजना—		
१—मेंहदावल करमैनीघाट	४—४	कार्य तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूर्ण हो जायेगा। शासकीय स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
२—सथना गोपालपुर	०—४	
आगमन क्षेत्र योजना सुधार और आधुनीकरण—		
१—खलीलाबाद मेंहदावल	४—०	आगमन बन रहे हैं।
२—बस्ती बांसी सड़क	७—०	तीसरी पंचवर्षीय योजना काल मे बन जायेंगे।
पुल		
१—बस्ती बढ़नी सड़क पर राप्ती पर पान्टून पुल डुमरियागंज में।	..	आगामी वर्षा काल के पहले ही इन पर कार्य समाप्त हो जायेगा।
२—पान्टून पुल बूढ़ी राप्ती पर मनजुरिया घाट पर।		
३—कुआनों नदी पर पुल मुखलिशपुर में।		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६ एल० ए० १९६३—८५० (प्रो०)।

विधान सभा